हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 जुलाई, 1974

खण्ड 2, अंक 9

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 29 जुलाई, 1974

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)1
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(9)40
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)43
शोक प्रस्ताव	(9)47
विशेशाधिकार प्रश्न	(9)48
विशेशाधिकार भंग का प्रश्न	(9)50
बहिर्गमन	(9)56
सचिव द्वारा घोशणा	(9)56
कार्य–मंत्रणा समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन	(9)57
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(9)58
पटल पर रखे जाने वाले कागज–पत्र	(9)58

दी पंजाब ग्राम पंचायत हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1974	(9)58
हरियाणा लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के कार्यकरण के वार्शिक प्रतिवेदन पर चर्चा	(9)81
मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य	(9)95
बहिर्गमन	(9)96
मुख्यमंत्री द्वारा वक्तवय (पुनरारम्भ)	(9)97
परिशिश्ट	
सरकार से देर से प्राप्त दिनांक 8.7.74 के अतारांकित प्रश्न का उत्तर	i-iii

हरियाणा विधान कार्यवाही

सोमवार, 29 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे बाद–दोपहर हुई। अध्यक्ष (चौ. सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Improvement Trust Karnal

***938. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) the date on which the Improvement Trust Karnla was costituted togetherwith the names of the Persons who held the post of Chairman of the said Improvement Trust from time to time and the period for which each of them remained in office; and

(b) the total amount of salary received by each of the Chairman referred to in part (a) above?

State Minister for Co-operation and Local Government (Ch. Goverdhan Dass Chauhan): (a) & (b) A Statement is laid on the table of the house.

Statement

(i) The Improvement Trust Karnal was constituted on 20th March, 1959.

(ii)	Sr. No.	Name of the Chairman	Period for which he held the post	Total Salary received
	1	Deputy Commissioner, Karnal	20.3.1959 to 4.6.1961	
	2	Dr. Nand Lal Verma	5.6.1961 to 23.8.1963	Rs. 18222.86 P.
	3	Sh. R.L. Garg, A.D.M. Karnal	24.8.1963 to 11.9.1964	Rs. 413.65 P. as honorarium
	4	Sh. Jagjit Sinhgh Mann	12.2.1964 to 9.2.1972	Rs. 34744.61 P
	5	Sh. Des Raj	1.6.1969 to 1.6.1972	Rs. 42557.42 P
	6	Ch. Chanda Singh	from 8.6.1972 for a period of three years.	Rs. 30737.82 (upto 30.6.74)

Note No. I-(10.2.1967 to 14.8.1967 No Chairman)

Note No. II-15.8.1967 to 1.6.1969 the trust remained dissolved.

The Improvement Trust Karnal was reconstituted and Sh. Des Raj was appointed its Chairman vide Notification No. 2444-OCD (LGI) 69/13640 dated 29.5.1969.

चौ. राम लाल वधवा: क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि करनाल इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ने कुल कितनी स्कीमें बनाई हैं और उनमें से कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं?

चौ. गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, इम्प्रूवमैंअ ट्रस्ट ने कुल 37 स्कीमें बनाई हैं और उन में से 16 स्कीमें गवर्नमैंट से एप्रूव हो चुकी हैं। 6 कम्पलीट हो गई है। 3 कम्पलीट होने जा रही हैं और बाकी 7 जो हैं उन पर काम शुरू हो गया है।

श्री अमर सिंह: क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो 37 स्कीमें इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट करनाल ने बनाई हैं वह कितने रूपये की लागत से बनाई गई है ओर अब तक कितना रूपया उन पर खर्च हो चुका है?

सिंचाई एंव बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, कुछ मोटी–मोटी योजनाओं के बारे में मेरे पास इन्फर्मेशन्ज हैं, अगर आनरेबल मैम्बर साहब चाहें तो में अर्ज कर सकता हूं:–

(1)	स्कीम न. 5–सब्जी मण्डी–यह स्कीम कोई 8 लाख 28 हजार रूपये की है और इस स्कीम के तहत 35

	शाप–कम–फ्लैटस बनेंगी।
(2)	स्कीम न. 24–होल–सैल क्लाथ मार्किट विकास स्कीम–इसके अन्तर्गत 18 दुकानें बनाई जा रही है और इन दुकानों का साइज 10 बाई 20 होगा। यह 10 लाख रूपये की स्कीम है।
(3)	स्कीम न. 19–शहीद भगत सिंह मार्किट–यह 4 लाख रूपये की स्कीम है।
(4)	स्कीम न. 21–बैंक सुकेयर–यह स्कीम 16 लाख रूपये की है इस पर 6 मंजिली बिल्डिंग बनाई जाएगी और इस बिल्डिंग में आम तौर पर बैंक आफिसिज होंगे।
(5)	स्कीम न. 23–रमेश नगर आवास विकास स्कीम–यह स्कीम 3 लाख रूपये की है। इससे हरिजनों के लिये एक आवास कालोनी बनेगी।
(6)	स्कीम न. 20–जुंडला गेट आवास विकास स्कीम–यह स्कीम कोई 6 लाख रूप्ये की है।

इस तरह से ये कुछ मोटी–मोटी योजनायें हैं।

चौ. राम लाल वधवा: क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के जो चेयरमैन अप्वायंट किए जाते हैं उनके लिये कोई स्पैसीफिक क्वालीफिकेशन भी होती है?

चौ. गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, इसके लिये कोई स्पैसीफिक क्वालीफिकेशन नहीं होती।

चौ. राम लाल वधवा: क्या मिनिस्टर साहब बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा कि जवाब की स्टेटमैंट के आईटम न. 6 में दिया गया है कि चेयरमैन 8 जून, 1972 से तीन साल के लिये है तो 8 जून, 1972 से लेकर अब तक कितनी स्कीमं इस पीरियड के अन्दर बनाई गई है, मुकम्मल हुई हैं?

चौ. गोवर्धन दास चौहान: स्पीकर साहब, इसके लिये आनरेबल मैम्बर अलग से नोटिस दें।

Steps to check the Rising prices of Essential Commodities

***817. Sh. Amar Singh**: Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the prices of essential commodities in the State are increasing day by day as compared to the prices of the said commodities in 1972; if so, the reasons therefore and the steps taken by the Government so far to check the same?

Social Welfare and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): The Governemnt is aware of increase in prices of essential commodities throughout the country as compared to the prices prevailing during 1972. The prices of essential commodities are by and large determined by the Govt. of India and thus there is no tmuch that the State Government can do in that context. The retail prices of essential commodities being distributed through fair price depots have also in turn to be co-related with the procurement/issue prices fixed by the Government of India. These prices are fixed by the Government of India taking into account the cost of raw materials. Prices of various inputs of agriculture production, fiscal, economic policies etc. and the State Government has to fall in line wiht the directions given by the Government of India from time to time. Efforts are however, made to supply the adquate stocks at reasonable price.

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1972 मुकाबले में अब 1974 में कैरोसीन आयल, शूगर, सोफट कोल वगैरह की कितनी प्राइसिज बढ़ी है?

Sh. Shyam Chand: Percentage increase differs from commodity to commodity. These is no general increase as such.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले साल गेंहू की मार्किट वैल्यू क्या थी और अब इस साल क्या है?

Sh. Shyam Chand: We take into account only the price fixed by the Government of India and not the black market price.

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बताएंगे कि पिछले साल खाद की कीमतें क्या थी और अब इस साल क्या हैं और क्या उसी रेशो में आपने इस साल कीमतें बढ़ाई हैं?

Sh. Shyam Chand: That relates to the department of Agriculture.

श्री के. एन. गुलाटी: क्या आनरेबल मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राइसिज को चैक करने के लिये सरकार के पास क्या कोई ऐसी स्कीम है कि जिससे डि–होलडिंग के पालिसी रूल्ज पास करके स्टाक्स पर छापे मारे जा सकें और जो लोग स्टाक रखें उन्हें सख्त से सख्त सजाएं दी जा सकें?

Sh. Shyam Chand: All necessary measures are taken by the Government.

श्री गिरीश चन्द जोशी: क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्राईस राइज को हैरस करने के लिए एक्सपीडीशियस डिस्ट्रीब्यूशन के लिये कोई स्टेट एडवाइजरी कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने कोई फैसले भी किये और क्या उससे कोई इफैक्ट भी हुआ?

Sh. Shyam Chand: Sir, one committee was here i.e. Advisory Committee to advise the Food and Suppleis Department and we have taken certain steps, which have given results. Moreover, the Government of India appointed a committee under the Chairmanship of Mr. Mohan Dharia, Union Minister of Planning, and the committee has submitted its report to the Government of India and it is under consideration of that Government and they have given very good suggestions to the Government of India to check rise in prices and fair distribution of essential commodities through fair price shops.

चौ. चांद राम: क्या वजीर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो फूड एण्ड क्लाथस जैसी असेनशियल चीजें हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से उसी रेट पर की जाएगी जो रेटस गवर्नमैंअ आफ इण्डिया के फिक्स किये हुए हैं?

Sh. Shyam Chand: Yes Sir.

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने अभी अपने जवाब में सारी जिम्मेदारी सैन्ट्रल गवर्नमैंट के ऊपर डाली हैं इस महंगाई को रोकने के लिये क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है?

Sh. Shyam Chand: Sir, as I have expressed before the House that the Government of India appointed a committee and that committee has submitted it report and the Government of India have taken certain steps like increase in bank rate from 7% to 9% to ckeck inflation and flow of money in the market.

श्री जगदीश सिंह टिक्का: क्या मिनिस्टर साहब यह बताएंगे कि जो आदमी ब्लैक मार्किट करते हुए, अडल्ट्रेशन करते हुए पकड़े जाएं और फिर साबित भी हो जाए तो क्या सरकार यह सोच रही है कि ऐसे आदमियों को लाजमी कैद की सजा जरूर दी जाए?

Sh. Shyam Chand: About the black-marketing, necessary action is taken under D.I.R. About adulteration, the question pertains to the Health Department.

चौ. दल सिंह: क्या वजीर साहब यह फरमाने की कृपा करेंगे कि वह कौन–सी जिन्दगी की जरूरी–जरूरी चीजें हैं जिनको कि सरकार गांव में पहुंचाती है, तकसीम करती है?

Sh. Shyam Chand: Coarse cloth, wheat atta, maida, suji-maida, though maida and suji are not controlled commodities now, kerosene oil, diesel etc.

चौ. मनफूल सिंह: क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोर्स क्लराथ पिछले साल कितने गांवों में भेजा गया है?

Sh. Shyam Chand: I cannot tell about the quantity just now. I need a separate notice for it.

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टेट गवर्नमैंट ने क्या गवर्नमैंट आफ इण्डिया को कीमतों को चैंक करने के लिये कोई तजवीज भेजी है?

Sh. Shyam Chand: As I have just pointed out, the Committee has submitted its report to the Government of India and they have recommedned all the things in that report.

श्री अमर सिंह: क्या मिनिस्टर साहब यह बतायेंगे कि क्या यह हकीकत है कि सन् 72 के मुकाबले में अब 74 में 30 प्रतिशत प्राइसिज राइज हुई हैं, अगर यह सच है तो इसको रोकने के लिये क्या–क्या कदम उठाए जाएंगे?

Sh. Shyam Chand: Increase in price depents upon commodity to commodity, it may be 20%, may be 10% or may be 25%.

श्री गिरीश चन्द जोशी: स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब ये बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने वलनरेबल सैक्शन आफ सोसाइटीज को प्रोटैक्ट करने के लिये, खासकर लेबर वर्किंग क्लास और गवर्नमैंट सर्वेन्टस के लिये, फैक्टरीज में फेयरप्राइस शाप्स खोलने की कोई तजवीज रखी है ताकि उनको सारी चीजें वहां पर मुहैया हो सकें?

Sh. Shyam Chand: We have asked all the cooperative societies specailly working in the labour colonies to have such depots for the labour.

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सरकार ने जो मोटा कपड़ा राशन में देने के लिये प्रबन्ध किया है

वह गांवों में प्रति व्यक्ति कितना मिलता है और किन–किन जगहों पर वह मिल रहा है?

Sh. Shyam Chand: We give 9 yards on one card. But, this month we have revised the policy. Out of 284 cloth depots in the State, more than 50% were in Karnal district. We have framed a policy under which two depots will be in municipal committee and two depots in each block and the policy will be implemented from next month.

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन–जिन गांवों में आप डिपो खोलने जा रहे हैं वे किस क्राइटेरिए पर खोले जा रहे है? आबादी के लिहाज से या किसी और लिहाज से?

Sh. Shyam Chand: Priority will be given to co-operative societies, then to ex-servicemen and then to unemployed graduates and scheduled castes.

चौ. फूल सिंह कटारिया: जैसे अभी मंत्री महोदय ने बताया कि डिपोज हम ब्लाक वाइज खोलने जा रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस ब्लाक में ज्यादा गांव हैं क्या वहां ज्यादा डिपोज खोलेंगे?

Sh. Shyam Chand: Population in each block is roughly the same.

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि डिपोज पर 1972 में किस भाव पर आटा मिलता था और 1974 में किस भाव है?

Sh. Shyam Chand: in 1972, its price was 91 P. per kilo, This year it wil be Rs. 1.41 per kilo.

Over Crowding in Buses

***810. Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) whether the Government is taking any steps to solve the problem of overcrowding in the buses;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to ply local buses on short routes to decrease the said rush in the buses?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) से (ग) बसों में भीड़ को कम करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:–

(1) बसों की संख्या में बढ़ौतरी की जा रही है।

(2) राश्ट्रीय हाईवेज पर और अधिक बस–सेवाएं चलाई जा रही है।

(3) टैम्पो चलाने के लिये काफी मात्रा में रूटस दिये जा रहे हैं।

(4) छोटे–छोटे मार्गों से जिला हैडक्वार्टर पर शटल सेवाएं चलाने का सुझाव विभाग क विचाराधीन है।

चौ. दल सिंह: अभी मिनिस्टर साहिबा ने जवाब में फर्माया कि बसों की तादाद हम बढ़ा रह हैं, मतलब कि उनके पास बसों की तादाद कम है। दूसरी तरफ से कहते हैं कि छोटे रूटों पर बसें चलाएंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इनके पास तादाद कम है तो छोटे रूटों पर बसें कैसे चलायेंगे?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: मैंने यह कहा है कि सरकार के यह सुझाव विचाराधीन हैं कि बसों की संख्या बढ़ा कर छोटे रूटों पर और बसों को चलाया जाए।

चौ. पीर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि 1974 के आखिर तक क्या सभी छोटे रूटों पर बसें चलने लग जाएंगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: यह अभी नहीं कहा जा सकता।

चौ. शिव राम वर्मा: जो सुझाव अभी मंत्री महोदया ने बताए इनकी कब तक पूरे होने की आशा है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जितनी जल्दी हमें बसें मिलती जाएंगी उतनी जल्दी हम ये सुझाव पूरे करते जायेंगे।

राव बंसी सिंह: जैसे मंत्री महोदया ने अभी बताया कि उनका टैम्पोज को परमिट देने का ख्याल है तो मैं जानना चाहता हूं कि टैम्पोज को परमिट देने का क्या क्राइटेरिया है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जिस आदमी के पास अपना टैम्पो है और वह परमिट के लिये एप्लाई करता है उसे परमिट दे दिया जाता है। अब तक हम 343 टैम्पोज को परमिट दे चुके हैं।

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि मौजूदा रश को देखते हुए सरकार को और कितनी बसों की जरूरत है तथा उसके पास इस वक्त कुल कितनी बसें हैं?

परिवहन मंत्री (कर्नल महा सिंह): इस वक्त हमारे पास करीब 1700 बसें हैं और आशा है कि एक दो महीने में हम सौ बसें और एड कर देंगे। इसी तरह से बसों की तादाद बढ़ती जाएगी। अगर हमारे पास दो हजार बसें हो जाएंगी तो इस वक्त को देखते हुए वे काफी होगी।

चौ. मेहर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन एरियाज में टैम्पोज नहीं चल सकते क्या उस एरियाज के लिये सरकार का कुछ ख्याल है? जैसे मेरी कांस्टीचुएंसी में रेगिस्तानी एरिया है, वहां पर सड़कें नहीं हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उस इलाके के लोग कब तक पैदल सफर करते रहेंगे?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जहां तक सड़कें नहीं है वहां पर न तो बसें चल सकती हैं और न ही टैम्पो चल सकते हैं। जब वहां पर सड़कें बन जाएंगी तक हम वहां पर भी बसें चला देंगे।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस वक्त बसिज में ओवर लोडिंग की परसैंटेज क्या है? यानी अगर एक बस 50 सीट की है तो उसमें कितनी सवारियां बिठाई जाती है?

कर्नल महा सिंह: अलग–अलग रूटों पर अलग–अलग किस्म की ओवर लोडिंग होती है। कई जगहों पर बसें पूरी सीटें भी लेकर नहीं चलती।

चौ. फूल सिंह कटारिया: जैसे मंत्री महोदय ने अभी फर्माया है कि सौ बसें और आएंगी तो मैं जानना चाहता हूं कि वे बसें कहां–कहां भेजी जाएंगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जहां–जहां जरूरत होगी।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जैसे उन्होंने बताया कि इस वक्त उनके पास 1700 बसें हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से इस वक्त ठीक हालत में कितनी चल रही हैं और कितनी रोज ब्रेक डाउन होती हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: रोजाना ब्रेक डाउन के बारे में अलग से नोटिस दे दें, बता देंगे। वैसे हमारी सारी बसें अच्छी हालत में हैं।

श्री के. एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि क्या ओवर क्राउडिंग के लिये भी कोई रूल है? हमने देखा है कि यह कंडक्टर की डिसक्रिशन होती है कि अगर वह चाहे तो बस को ओवर लोड कर लेता है और न चाहे तो कई बार खाली भी ले जाता है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: पहले भी कई बार बताया गया है कि यह कंडक्टर के बस की बात न ही होती सवारियां जबरदस्ती चढ़ जाती हैं।

चौ. दल सिंह: अभी मंत्री महोदया ने कहा कि सवारियां जबरदस्ती चढ़ जाती है तो क्या इससे यह अन्दाजा नहीं लगता कि सरकार ना–अहल है या आपका कोई कन्ट्रोल नहीं है?

कर्नल महा सिंह: सरकार पब्लिक की हमदर्द है और पब्लिक की मदद करने के लिये सबको गाड़ियों में बैठने दिया जाता है। अगर जगह होती है तो सब सवारियां बैठ जाती हैं और अगर सवारियां ज्यादा हो जायें तो उन्हें मना नहीं किया जाता।

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा): स्पीकर साहब अगर चौ. दल सिंह का सरकार की अहलियत और ना–अहलियत को नापने का यही पैमाना है तो बड़ा अफसोस है।

श्री अमर सिंह: जैसे कि उन्होंने बताया कि अब उनके पास 1700 बसें है, तो मैं जानना चाहता हूं कि एक बस की पूरी लाईफ कितने साल की होती है? अगर मान लें कि एक बस की

पूरी लाईफ 6 साल है तो ऐसी कितनी बसें है जो 6 साल से ऊपर की है?

कर्नल महा सिंह: हमारे पास दो तरह की बसें हैं एक तो टाटा की हैं जिनकी लाईफ हमने 6 साल रखी है और दूसरी अशोक लेलैंड की हैं जिनकी लाइफ 8 साल है। हमारी कोशिश यह रहती है कि बसिज की देखभाल अच्छी तरह की जाए और उनकी लाईफ बढ़ाई जाए।

श्री बिहारी लाल बाल्मीकि: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो बसें होडल से चंडीगढ़ के लिये चलती हैं रास्ते में क्यों नहीं रूकती? आज बस नम्बर 5879 को रोका नहीं गया, मैंने चण्डीगढ़ आना था वह खाली थी?

कर्नल महा सिंह: आज वाली बस का न रूकने का कारण यह था कि कंडक्टर यह चाहता था कि बिहारी लाल जी 400 रूपये देकर कार किराए पर लेकर आएं। (हंसी)

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि मैडिकल कालेज रोहतक तक तो लोकल बसें चलती हैं लेकिन आयुर्वैदिक कालेज के लिये कोई लोकल बस नहीं चलती क्या वहां तक यह सेवा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जैसे–जैसे हमारे पास नई बसें आती जाएंगी हम चलाते जाएंगे। हमारा यह विचार है कि 25 किलोमीटर तक लोकल बसें चलाई जाएं।

लाला रूलिया राम: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि अम्बाला डिपो की गाड़ियां जो चण्डीगढ़ को चलती हैं वे रोजाना 5–4 बेकार रहती हैं क्या उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी?

(कोई जवाब नहीं दिया)

चौ. राम लाल वधवा: अभी यहां पर बताया गया है कि हरियाणा मं 1700 बस चलती हैं लेकिन पिछले दिनों मुझे एक रिटन रिप्लाई दिया गया था कि 1568 बसें हमारे यहां हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जो रश हुआ है इस वजह से हुआ है कि इन दिनों में दो सौ बसों की कमी हो गई है और क्या इस रश को देखते हुए सरकार इस बात पर विचार करेगी कि मिनी बसें चलाने की इजाजत दी जाये ताकि यह रश कम हो और लोगों को सुविधा मिले?

कर्नल महा सिंह: सरकार की नीति मिनी बसें चलाने की नहीं है। लेकिन बसों की तादाद रोज बढ़ती जा रही है और इस वक्त 1650 से ज्यादा बसें आन रोड हैं। जो चैसीज आई हैं उन पर बाडी बन जाने के बाद 1700 बसें हमारे पास हो जायेंगी।

चौ. अब्दुर रजाक खां: क्या वजीर साहब बताएंगे कि अलवर–बहेड़ी रोड पर सबसे ज्यादा ब्रेक डाउनज होते हैं इसका क्या कारण है? पिछले दिनों गाड़ी न. 1367 का टायर फटने से ब्रेक डाउन हो गया और जब उनसे पूछा तो वह कहने लगे कि

क्या करें टायर नहीं मिलते हैं। तो क्या इस बारे कोई कार्यवाही की गई है?

कर्नल महा सिंह: पिछले दिनों टायरों की काफी कमी थी और अभी परसों ऐस.टी.सी. ने, जितने टायर डीलर्ज हैं उनको बुलाकर देहली में मीटिंग की है। आशा है कि अब जल्दी ही टायर्ज की हालत दुरूस्त हो जायेगी?

मलिक सतराम दास बत्तरा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इन 1700 बसों की डेली माइलेज कितनी है, वीकली और मंथली रिटर्न कितनी है और माइलेज कंजम्पशन कितनी है?

कर्नल महा सिंह: इस साल के आखिर तक करीब चार लाख किलोमीटर चलती थीं। उसके बाद बसों की तादाद बढ़ी है और जो चैसीज आई हैं उनकी बाडीज बनने पर यह तादाद 1700 हो जायेगी। फिर यह माइलेज चार लाख से बढ़कर पांच लाख किलोमीटर के करीब पहुंच जायेगी?

चौ. शिव राम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि बसों में आराम कितना बढ़ा है? इस चीज को देखने के लिए ऐसा फैसला करेंगे कि शुक्रवार को जिन मंत्रियों को बाहर जाना हो वे कारों की बजाए बसों में जायेंगे और जिन्होंने सोमवार को वापस आना हो वे बसों में ही वापस आयेंगे?

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): हम इससे उल्ट बात कर लेंगे कि अगर किसी मंत्री ने बाहर जाना हो और उसकी कार में जगह हो तो आनरेबल मैम्बर्ज को जगह दे दिया करेंगे। (हंसी)

श्री गौरी शंकर: क्या वजी साहब बतायेंगे कि जो बसें चलती हैं उनमें स्पेयर टायर होते हैं?

कर्नल महा सिंह: आमतौर पर होते हैं लेकिन कभी–कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि टायरों की कमी हो जाती है तो स्पेयर टायर नहीं भी होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया डीलर्ज के साथ मीटिंग हुई है और यह दिक्कत दूर हो जायेगी।

Persons sent to Judicial Lock up in Connection with the recovery of Arrears of Loans

***792. Ch. Dal Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the total number of persons sent to Judicial lock-up at Jind in connection with the recovery of arrears of loans by the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Jind, during the years 1972-73, 1973-74, separately; and

(b) the total number of persons out of those referred to in part (a) above, who being to Scheduled Castes?

सहकारिता एवं स्थानीय शासन राज्य मंत्री (चौ. गोवर्धन दास चौहान):

	1972–73	1973–74 (25.6.74 तक)
(क)	190	392
(ख)	62	102

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब मेरी गुजारिश यह है कि इस सवाल का जवाब मुझे पहले मिलना चाहिये था लेकिन नहीं मिला है और मैं इसे स्टडी नहीं कर सका हूं। आपने पहले कहा भी था कि जो लम्बे जवाब होंगे वे पहले मैम्बरान को मिल जाया करेंगे। तो यह कृपा जरूर होनी चाहिये ताकि जवाब का अच्छी तरह से पढ़ कर सप्लीमैंटरी किये जा सकें। तो अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात उनके नोटिस में है कि आपके इन्सपैक्टरों ने कोई दो हफ्ते पहले एक आदमी का इतना पीटा कि उसकी पसली टूट गई और ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या ऐक्शन ले रहे हैं?

चौ. गोवर्धन दास चौहान: सरकार के नोटिस में कोई ऐसा केस नहीं आया है। अगर उनको पता है तो बतायें हम उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे।

चौ. दल सिंह: सवाल के जवाब में बताया गया है कि 1973–74 में 392 आदमी जुडिशियल लाकअप में रखे गये। क्या गवर्नमैंट इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके इंसपैक्टर लोगों को ठोकरें मारते हैं, पीटते हैं और उसकी पसलियां तोड़ते हैं, जुडिशियल लाकअप में रखने वाली हिदायत वापस लेने के लिये तैयार है?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): अध्यक्ष महोदय, बात ऐसी है कि रिकवरी के लिये पूरी कोशिश की जाती है और हमारे ए.आर. इसके लिये पूरी चेश्टा करते है, तकाजा करते हैं लेकिन जब किसी प्रकार भी अदायगी नहीं होती तो पंजाब कोआप्रेटिव ऐक्ट की धारा 67(ए) के अन्तर्गत ऐज एरियर्ज आफर लैंड रैवेन्यु रिकवरी की कार्यवाही की जाती है। इसमें हमारे महकमा के आदमी इस बात की कोशिश करते हैं कि अदायगी बिना ऐक्शन लिये की जाये लेकिन जब अदायगी नहीं होती तो वारंट गिरफ्तारी इशु किये जाते हैं और उनको जुडिशियल लाकअप में बंद किया जाता है।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): इसके अलावा स्पीकर साहब एक बात और है। अगर किसी को कोई मार पीट दे और उसको

अगर गिरफ्तार करें तो फिर ये कहेंगे कि पुलिस एट्रोसिटीज हो गई। (हंसी)

चौ. पीर सिंह: क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि जिन लोगों ने कर्ज नहीं लिया उनके भी फर्जी अंगूठे लगाकर कर्ज बना दिया जाता है और फिर नोटिस भेजे जाते हैं और तलब किया जाता है?

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के केस अगर माननीय सदस्य के नोटिस में हों तो हमारे नोटिस में लायें अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री अमर सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह जो 392 आदमी जुडिशियल लाकअप में भेजे गये इन में शिडयूल्ड कास्टस कितने हैं?

श्री बनारसी दास गुप्त: यह सब कुछ जवाब में दिया हुआ है कृपया पढ़ लें।

चौ. दल सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि यह फिगर्ज तो जींद जिला की हैं, सारे हरियाणा में कितनी गिरफ्तारियां की गई और जुडिशियल लाकअप में रखा गया?

श्री बनारसी दास गुप्त: इसके लिये अलग से नोटिस चाहिये।

चौ. चांद राम: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि अगर ऐसे केसिज जिनमें रिकवरी न होने पर इन्सपैक्टरों ने हरिजनों को पीटा हो, नोटिस में लाये जायें तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी?

श्री बनारसी दास गुप्त: अवश्य करेंगे।

Passenger Buses

***826. Malik Sat Ram Dass Batra**: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) the total number of passenger buses on road as on 1st April, 1968, 1st April, 1969, 1st April, 1970, 1st April, 1971, 1st April, 1972, 1st April, 1973 and 1st April, 1974, separately; and

(b) the inter-state bus service at present run by the Haryana Roadways and the point of start and the destination of each such bus service?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) तथा (ख) दो कथन विधानसभा के सम्मुख मेज पर रखे जाते हैं।

Statement -1

(a) Statement showing the total number of passenger buses on Haryana Roadways on Road.

	Number of buses.
1.4.1968	567
1.4.1969	639
1.4.1970	728
1.4.1971	1048
1.4.1972	1217
1.4.1973	1388
1.4.1974	1571

Statement II

(b) Statement showing Inter-State bus service being run by the Haryana Roadways with point of start and destination.

Sr. No.	Name of Inter-Stae route.
1	Nangal-Delhi.
2	Kalka-Delhi.
3	Paliala-Delhi.
4	Ludhiana-Delhi.
5	Ferozepur-Delhi.

6	Yamuna-Delhi.
7	Nahan-Delhi.
8	Ambala-Delhi.
9	Ambala-Ludhiana.
10	Yamuna Nagar-Amritsar
11	Ambala-Rupar via Kharar-Rajpura.
12	Ambala- Rupar via Chandigarh.
13	Ambala- Kharar via Rajpura.
14	Ambala-Patiala.
15	Kalka-Hissar via Chandigarh.
16	Kalka-Rupar via Nalagarh.
17	Ambala-Simla.
18	Ambala-Kasauli.
19	Ambala-Mallah.
20	Ambala-Ferozepur.
21	Ambala-Pathankot.
22	Ambala-Jullundur via Nawanshahar.
23	Ambala-Kalka via Chandigarh.
24	Yamuna Nagar – Dera Bassi via

	Naraingarh.
25	Yamuna Nagar – Chandigarh via Dera Bassi.
26	Naraingarh-Kalka via Derabassi.
27	Naraingarh-Chandigarh.
28	Ambala-Nangal.
29	Nangal-Delhi.
30	Kalka-Delhi.
31	Paliala-Delhi.
32	Ludhiana-Delhi.
33	Ambala-Kalka via Chandigarh.
34	Ambala-Simla.
35	Ambala-Nangal.
36	Nangal-Delhi.
37	Ambala-Rupar.
38	Ambala-Kalka via Chandigarh.
39	Ambala-Simla.
40	Ambala-Nangal.
41	Delhi-Nangal.

42	Ambala-Rupar.
43	Ambala-Jullundur via Nawanshahar.
44	Ambala-Pathankot.
45	Kalka-Sonepat via Chandigarh.
46	Ambala-Sohana.
47	Naraingarh-Chandigarh.
48	Ambala-Chandigarh.
49	Yamuna Nagar-Chandigarh via Dera bassi
50	Chhachhrauli-Chandigarh via Mullana.
51	Yamuna Nagar-Chandigarh via Mullana.
52	Ambala-Haridwar.
53	Jagadhri-Saharnpur.
54	Ambala-Meerut.
55	Ambala-Nahan.
56	Barara-Nahan.
57	Shahbad-Nahan.
58	Yamuna Nagar-Paunta Sahib-Nahan.

59	Ambala-Simla.
60	Ambala-Kasauli.
61	Kalka-Chandigarh via Delhi.
62	Kalka-Nalagarh-Rupar.
63	Gurgaon-Kama.
64	Gurgaon-Chandigarh via Delhi.
65	Gurgaon-Chandigarh via Bahadurgarh.
66	Gurgaon-Chandpur via Mehrauli.
67	Gurgaon-Delhi.
68	Gurgaon-Ballabharh-Mehrauli.
69	Gurgaon-Bahadurgarh via Najafgarh.
70	Gurgaon-Bharatpur.
71	Gurgaon-Mathura.
72	Gurgaon-Hassanpur via Mehrauli.
73	Gurgaon-Alwar.
74	Delhi-Ujjina.
75	Delhi-Kahanur.
76	Delhi-Kharkhuda.

77	Delhi-Khetri.
78	Delhi-Gwaliar.
79	Delhi-Chandigarh (Deluxe).
80	Delhi-Jaipur via Alwar.
81	Delhi- Jaipur via Kotputli.
82	Delhi- Jaipur via Kotputli. (Deluxe)
83	Delhi-Palwal-Chandigarh.
84	Delhi-Jagadhri (Deluxe)
85	Delhi-Jammu.
86	Delhi-Jhunjhunu
87	Delhi-Tijara.
88	Delhi-Dadri.
89	Delhi-Dujana.
90	Gurgaon-Delhi-Nandgai.
91	Delhi-Nagina.
92	Delhi-Nahri.
93	Delhi-Ballabgarh-Sonepat.
94	Delhi-Pillani via Dadri.
95	Delhi-Pillani via Rohtak.

96	Delhi-Beri via Sampla.
97	Delhi-Bahadurgarh.
98	Delhi-Badli via Dhansu.
99	Delhi-Bhupania.
100	Delhi-Bharatpur.
101	Delhi-Mathura.
102	Delhi-Rewari via Manesar.
103	Delhi-Simla (Deluxe)
104	Delhi-Hodel.
105	Delhi-Hassanpur.
106	Gurgaon-Beri via Najafgarh.
107	Chandigarh-Delhi via Derabassi.
108	Chandigarh-Delhi (Deluxe)
109	Chandigarh-Delhi (A.C.C.)
110	Chandigarh-Delhi (Night Service)
111	Chandigarh-Gurgaon via Delhi.
112	Chandigarh-Mathura via Delhi.
113	Chandigarh-Palwal-Delhi.
114	Chandigarh-Hodel-Delhi.

115	Chandigarh-Jaipur.
116	Simla-Delhi via Derabassi.
117	Chandigarh-Ballabgarh (Night Service) via Delhi.
118	Chandigarh-Ferozepur Jhirka (Night Service)
119	Chandigarh-Ambala Cantt.
120	Chandigarh-Karnal.
121	Chandigarh-Kurukshetra.
122	Chandigarh-Indri.
123	Chandigarh-Y. Nagar.
124	Chandigarh-Dehra Dun via Derabassi Saharanpur.
125	Chandigarh-Hardwar.
126	Chandigarh-Narnaul.
127	Chandigarh-Pillani via Loharu.
128	Chandigarh-Tosham.
129	Chandigarh-Sirsa.
130	Chandigarh-Bhiwani.
131	Chandigarh-Hissar.

132	Chandigarh-Punhana.
133	Chandigarh-Panipat.
134	Chandigarh-Kaithal.
135	Chandigarh-Rajond.
136	Chandigarh-Rohtak.
137	Chandigarh-Dabwali.
138	Chandigarh-Sonepat.
139	Chandigarh-Paonta Sahib Lal Dhang.
140	Chandigarh-Hissar via Paliala.
141	Chandigarh-Kalka via Manimajra.
142	Kalka-Rupur via Nalagarh.
143	Chandigarh-Simla via Kalka.
144	Chandigarh-Kasauli via Kalka.
145	Chandigarh-Morni via Manimajra.
146	Chandigarh-Naraingarh.
147	Chandigarh-Baddi via Manimajra.
148	Rohtak-Delhi.
149	Delhi-Ferozepur.
150	Delhi-Bhatinda.

151	Delhi-Dabwali.
152	Rohtak-Jaipur.
153	Delhi-Sangrur.
154	Rohtak-Delhi-Patiala.
155	Delhi-Tara Nagar.
156	Rohtak-Chandigarh.
157	Sonepat-Delhi.
158	Gohana-Delhi.
159	Aterna-Delhi.
160	Jhajjar-Delhi.
161	Beri-Delhi.
162	Delhi-Shiwani.
163	Delhi-Hissar.
164	Tosham-Delhi.
165	Bhiwani-Delhi.
166	Kharkhoda-Delhi.
167	Jati Kalan-Delhi.
168	Bahu Jholri--Delhi.
169	Rohtak-Hodel. via Delhi

170	Pehowa-Delhi.
171	Karnal-Nangal.
172	Barwal-Delhi.
173	Karnal-Rupar.
174	Delhi-Amritar.
175	Delhi-Patiala.
176	Delhi-Hoshiarpur via Ludhiana.
177	Karnal-Delhi.
178	Delhi-Hoshiarpur via Chandigarh.
179	Saffidon-Chandigarh.
180	Panipat-Chandigarh.
181	Kaithal-Delhi.
182	Kaithal-Rupar.
183	Kaithal-Patiala-Delhi.
184	Karnal-Haridwar.
185	Karnal-Saharanpur.
186	Karnal-Meerut.
187	Karnal-Shamli-Dehra Dun.
188	Karnal-Muzafar Nagar.

189	Kaithal- Shamli.
190	Kaithal-Rishikesh.
191	Karnal-Hiisar-Haridwar.
192	Delhi-Fazilka.
193	Hissar-Delhi.
194	Hissar-Bhadra. via Adampur.
195	Hissar-Bhadra via Balsamandh.
196	Hissar-Rajgarh.
197	Hissar-Pillani.
198	Hissar-Jakhal-via Tohana.
199	Hissar-Patiala.
200	Hissar-Ludhiana.
201	Hissar-Chandigarh.
202	Hissar-Bhatinda.
203	Hissar-Ajmer.
204	Hissar-Dabwali-via Ratia-Sardulgarh.
205	Dabwali-Hanumangarh.
206	Delhi-Ganganagar.
207	Dabwali-Delhi.

208	Dabwali-Sardul-Sahar.
209	Dabwali-Sangria.
210	Tohana-Delhi.
211	Sirsa-Delhi.
212	Sirsa-Nohar.
213	Dabwali-Tohana via Ratia-Sardulgarh.
214	Kanina-Kotputli.
215	Rewari-Jagadhri via Delhi.
216	Rewari-Nimka Thana via Narnaul.
217	Rewari-Behror via Kund.
218	Rewari-Behror via Bawal.
219	Rewari-Mathura via Palwal.
220	Mohindergarh-Delhi via Rewari.
221	Rewari-Khetri.
222	Narnaul-Kotputli.
223	Rewari-Kotputli.
224	Rewari-Ajmer.
225	Rewari-Pillani-via Mohindergarh.
226	Rewari-Chandigarh via Rohtak.

227	Rewari-Chandigarh via Delhi.
228	Rewari-Tijara.
229	Mohindergarh-Delhi via Jhajjar.
230	Jind-Delhi.
231	Jind-Sangrur.
232	Jind-Patiala.
233	Jind-Chandigarh.
234	Hansi-Chandigarh.
235	Narwana-Delhi.
236	Narwana-Chandigarh.
237	Jhumpa-Bhiwani-Rohtak-Delhi.
238	Bhiwani-Rohtak-Delhi.
239	Dadri-Delhi via Jhajjar.
240	Bhiwani-Haridwar.
241	Bhiwani-Mathura.
242	Bhiwani-Chandigarh.
243	Mohindergarh-Chandigarh.
244	Yamuna Nagar-Chandigarh via Mullana.

245	Jakholi-Delhi.
246	Panipat-Delhi.
247	Dadri-Patiala via Hansi.
248	Rewari-Delhi via Manesar.
249	Rewari-Delhi via Sohana.
250	Rewari-Jhujhunu via Kotputli.
251	Rewari-Kalka via Delhi-Chandigarh.

चौ. राम लाल वधवा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इन सालों में प्राइवेट बसें कितनी–कितनी चलती थीं?

कर्नल महा सिंह: स्पीकर साहब, 1 दिसम्बर, 1972 को मुकम्मल नैशनलाइजेशन हो गई थी उसके बाद प्राइवेट बसें नहीं चलीं उससे पहले चलती थीं। अगर उस वक्त के आंकड़े चाहियें तो नोटिस दे दें।

मलिक सतराम दास बत्तरा: क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि अन्तर्राज्य बसें कितनी चलती हैं, जिलावार कितनी चलती हैं और एक जिला को दूसरे जिला से बसों द्वारा कुनैक्ट कर दिया गया है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: सारी स्टेट में एक से दूसरे जिला को बसें चलती हैं, जिला हैड क्वाटर्ज के लिये, राजधानी के लिये

चलती हैं और दूसरी स्टेटस को चलती हैं। इस बारे में सारा ब्योरा लिस्ट में दिया हुआ है, मैं मैम्बर साहब से प्रार्थना करूंगी कि वह उसमें देख लें।

चौ. पीर सिंह: क्या यह ठीक है कि हरियाणा के अन्दर अब भी प्राइवेट बसें चले रही है।

कर्नल महा सिंह: हरियाणा के अन्दर प्राइवेट बसें नहीं चलती लेकिन हमारा रैसीप्रोकल अरेंजमैंट दूसरी स्टेटस के साथ होता है जैसे कि पंजाब, देहली, यू.पी. और राजस्थान वालों के साथ है। तो उस अरेंजमैंट के तहत उस स्टेटस से प्राइवेट बसें हरियाणा में आती हैं और प्राइवेट बसें नहीं चलती हैं यही चलती हैं।

श्री के. एन. गुलाटी: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इस रश को देखते हुये क्या तजरूबे के तौर पर दो चार म्युनिसिपल कमेटीज को और खासतौर पर फरीदाबाद कम्पलैक्स को मिनी बसें चलाने की इजाजत दी जायेगी?

कर्नल महा सिंह: सरकार की मिनी बसें चलाने की इजाजत देने की नीति नहीं है। फरीदाबाद में थ्री व्हीलर्ज टैम्पोज के परमिट लिब्रली देने शुरू कर दिये हैं और बसों की तादाद भी जो वेरियस सैक्टर्ज को चलती हैं बढ़ा दी गई हैं।

चौ. अब्दुर रजाक खां: क्या मिनिस्टर साहब दिल्ली से अलवर को नाईट बस चलाने पर गौर करेंगे?

कर्नल महा सिंह: मेरे ख्याल में राजस्थान गवर्नमैंट की नाईट–बस चलती है। हमारा राजस्थान के साथ जो एग्रीमैंट है उसी के मुताबिक हमें रूटस मिलते हैं और उन्हीं रूटों पर बस चला सकते हैं। नाईट–बस चलाने की उन्होंने अभी हमें इजाजत नहीं दी है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: जब मिनिस्टर साहब कुरूक्षेत्र गए थे तो वहां पर लोकल बस चलाने के लिए अनाऊंस करके आए थे लेकिन अभी तक नहीं चली। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कब तक लोकल–बस चलाई जाएंगी?

कर्नल महा सिंह: मैं इसकी जांच करूंगा और जल्दी से जल्दी चलाने की कोशिश की जाएगी।

चौ. मेहर चन्द: जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया है कि मेरे एरिए में सड़कें नहीं हैं, टिब्बे हैं, राजस्थान के एरिए की तरह का एरिया है। इन टिब्बों में रास्तों पर गट्टू चलाने की इजाजत देंगे? (हंसी)

कर्नल महा सिंह: वह चलाने की इजाजत दी जा सकती है (हंसी)

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि राजधानी चण्डीगढ़ को जींदसे नाईट–बस चलाने की कोई तजवीज है?

कर्नल महा सिंह: जी हां तजवीज है। भिवानी से राजधानी को जो बस आती है उसको वाया जींद शुरू करने वाले हैं।

Jui Lift Irrigation Project

***837. Sh. Om Parkash Garg**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the total area irrigated by the Jui Lift Irrigation Project in the year 1973;

(b) the time by which the entire project is likely to be completed; and

(c) the total area likely to be irrigated by the said project?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):-

(a) 19242 acres.

(b) The original project has been completed. Work on extension project is scheduled to be completed in 1976-77.

(c) 46207 acres annually on fully development of irrigation.

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस प्रौजैक्ट पर टोटल कितना खर्चा आया है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: इस प्रौजैक्ट पर 2 करोड़ 94 लाख रूपया खर्च आया है। इसके ऊपर हमने कुछ माइनर्ज को एक्सटैड करने का विचार किया है जिस पर 1.56 करोड़ खर्च आया है।

Ch. Mehar Chand: May I know from the Hon. Minister the capacity of Jui Canal in terms of cusecs?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: 3.5 थी। अब फैसला किया है कि वहां बहुत रेगिस्तान है, 3.5 से गुजारा नहीं होता इसलिए 4.5 करने का विचार है।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि वैस्टर्न जमुना कैनाल पर वाटर अलाउंस क्या है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: 2.40

श्री अमीर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जूई कैनाल कहां से निकलती है और उसकी टेल कहां है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, यह सवाल पिछले साल भी आया था। मैं जौगरिफिए के हिसाब से बता देता हूं कि यह नहर जमुना का कुछ हिस्सा, हांसी ब्रांच, सुन्दर ब्रांच, बुटाना और जुई फीडर में से होती हुई जुई कैनाल में जाती है। (व्यवधान)

चौ. मेहर चन्द: स्पीकर साहब, मैंने वाटर कैपेसिटी पूछी थी, वाटर अलाऊ नहीं पूछा था?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: जब इस कैनाल को एक्सटैन्शन करने का विचार नहीं था उस वक्त इसकी कैपेसिटी 250 क्युसिक की थी लेकिन अब एक्सटैन्शन के बाद 410 क्युसिक की है।

चौ. दल सिंह: यह जो कैपेसिटी बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस नहर में पानी किस रास्ते से लाया जाएगा जब कि आपके पास नहर का कोई जरिया ही नहीं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: चैनल्ज को एक्सटेंड करने का विचार है। जहां से अब पानी आ रहा है उसी जगह से पानी फिर आ जाएगा जब चैनल्ज एक्सटैंड होगी।

Branch of E.S.I. Hospital

***864. Sh. K.N. Gulati**: Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open E.S.I. hospital branch in Sector 7 at Faridabad; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative, the time by which this branch is likely to be opened?

Development Minister (Col. Maha Singh):

(a) Yes.

(b) Soon after the completion of the dispensary building which is under construction.

श्री के. एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदय फरीदाबाद के 'पंजाबी बाग' में डिस्पैसरी खोलने का प्रयत्न करेंगे?

कर्नल महा सिंह: फरीदाबाद में पहले ही 9 डिस्पैंसरियां है। इस वक्त 'पंजाबी बाग' जिसके बारे में मैम्बर साहिबान फरमा रहे हैं, सरकार की डिस्पेंसरी खोलने का कोई इरादा नहीं है। मुझे पता लगा है कि पहले वहां पर डिस्पेसरी थी लेकिन बाद में बन्द करवा दी गई थी।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): क्या गुलाटी साहब के साथ ज्यादती नहीं है कि कर्नल साहब उनकी हर बात में 'न' कह देते हैं .....(हंसी)

कर्नल महा सिंह: स्पीकर साहब, मैंने इनके सवाल के पार्ट (ए)` जवाब में 'हां' कहा था .....(व्यवधान)

Bus Service From Jhajjar to Bihror

***895. Ch. Phul Singh Kataria**: Will the Minister for Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide bus service from Jhajjar to Bihror via Matanhel and from Bihror to Rohtak

via Matanhel and Chhachhrauli and also from Jhanswa to Jhajjar via Mohanwari and Sundreti?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(1) झज्जर–मातनहेल–बिरोड़–दादरी मार्ग पर पहले से ही बस सेवा उपलब्ध है।

(2) इस समय बिरोड़–रोहतक वाया मातनहेल तथा छछरौली मार्ग पर बस सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) झांसुआ से झज्जर वाया मोहनबाड़ी तथा सुन्दरेती मार्ग पर बस सेवा चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

चौ. फूल सिंह कटारिया: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया कि रोहतक वाया मातनहेल मार्ग पर बस सेवा चलाने का विचार नहीं है। मैं सरकार से आपकी मारफत पूछना चाहता हूं कि वह विचार क्यों नहीं है जब कि इतना बड़ा गांव है, बस सेवा क्यों नहीं चलाई जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जनता की अभी मांग नहीं है। अगर जनता की मांग होती तो इस पर विचार किया जाएगा।

चौ. फूल सिंह कटारिया: मंत्री महोदय ने कहा कि जनता की मांग नहीं है। क्या उनको पता नहीं है कि मैं यहां पर एक लाख का जनता का नुमांयदा बैठा हुआ हूं, मैंने कितनी बार बात की है?

कर्नल महा सिंह: यह मांग अभी–अभी मिली है, इस पर विचार किया जाएगा।

Wara Bandi

***905. Sh. Dhaja Ram**: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state –

(a) whether it is in the knowledge of Government that Wara Bandi in villages Sangatpura and Jalalpura Kalan in District Jind has been lying pending since July, 1973;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which the same is likely to be finalised?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):-

(a) No Warabandi in villages Sangapura and Jalalpura Kalan in District Jind is lying pending.

(b) Question does not arise.

(c) Wara Bandi has already been sanctioned under section 68 of the Canal Act by the Deputy Collector Jind Division on 20-5-1974.

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन दो गांवों के अन्दर बाराबन्दी लागू हो चुकी है या नहीं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, 20 मई, 1974 को यह सैक्शन हुई है और अक्तूबर के बाद हम इसको चालू नहीं कर सकते या अप्रैल में कर सकते हैं या अक्तूबर में कर सकते हैं। अक्तूबर में चालू हो जाएगी क्योंकि अभी अपील की मयाद है और रवीजन करना है। बहरहाल इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाएगी।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जींद तहसील में कितने गांव ऐसे हैं जिन में बाराबन्दी मुकम्मल नहीं हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्या उनको मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: इसके लिए सैप्रेट नोटिस दिया जाए।

श्री धज्जा राम: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इनमें बाराबन्दी मुकम्मल करने के लिए कितना टाईम लेंगे? क्या मंत्री महोदय इसको मुकम्मल करने के लिए 6 महीने या एक साल का टाईम मुकर्रर करेंगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: कोशिश की जाती है कि बाराबन्दी को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, भाईचारा–बन्दी के लिए मई, 1974 में आर्डर किए। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस

आर्डर से पहले कितने दिनों तक भाई–चारा–बन्दी चलती रही? क्या इससे पहले भी चलती रही?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: पहले एक आउट–लैट था और एक बाराबन्दी थी। इसके बाद गांव वालों ने दो आउट–लैड करवा दिए। दो आउट–लैट होने के कारण कुदरती तौर पर दोबारा बाराबन्दी बननी थी।

Irrigated Area by Agra Canal

***916. Sh. Siri Kishan Dass**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the net irrigated area served by Agra Canal in Haryana and the water rate being charged for the same;

(b) the water rate being charged on the land irrigated by other canals in the state;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the portion of Agra Canal from Uttar Pradesh Government which irrigates areas of Haryana; and

(d) if so, the time by which it is likely to be implemented?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) Net irrigated area served by Agra Canal in Haryana is, 159186 acres (64419 hectraes). The information regarding water rates is laid on the Table of the House.

(b) The requisite information is laid on the Table of the House.

(c) Yes.

(d) Definite time by which the proposal is likely to be implemented cannot be indicated.

STATEMENT

The latest Water Rates being charged on the area irrigated by the channels of Agra Canal in Haryana State.

	Name of Crop	Flow (in Rupees)	Lift (in Rupees)
1	Sugar Cane.	60.00	30.00
2	Rice	21.00	10.50
3	Potato	45.00	22.50
4	Maize, Jawar, Bajra and other Kharif	10.93¾	5.46-7/8
5	Cotton	7.03-1/8	3.90-5/8

6	Chara	4.68¾	2.34-3/8
7	Hari Khad	3.12½	1.56¼
8	Tambaco	25.00	12.50
9	Sabzi garden etc.	21.87½	10.93¾
10	Wheat Barley and Mix	18.75	9.37½
11	Gram Pees etc.	14.06¼	7.03-1/8
12	Municipal area crops	37.50	18.75

SCHEDULE OF OCCUPIERS RATES

STATEMENT SHOWING OCCUPIERS RATES IN FORCE ON THE CANALS IN HARYANA (INDIA).

Class	Nature of crops	Rate per acre		per.
		Flow	Lift	
I	Sugarcane (except of Kharif channels).	16.50	8.25	Crop
II	Sugarcane of Kharif Channels.	13.50	6.75	-do-
III	Waternuts.	11.25	5.62	-do-
III-A	Rice.	9.75	4.87	-do-

IV	Indigo and other dyes tobacco poppy spices and drugs.	8.25	4.12	-do-
IV-A	Cotton.	6.75	3.37	-do-
V	Gardens and orchards and Vegetables except tyrbous.	8.25	4.12	Gardens & Orchards per half year, the rest per crop.
VI-A	Barley and oats (except on Kharif channels).	6.37	3.19	per crops
VI-B	Wheat (except on Kharif channels).	5.84	2.92	-do-
VII	Melons, Fibers (other than cotton and all crops not otherwise specified.	7.50	3.70	-do-
VII-A	Maize	6.37	3.19	-do-
VIII	Oilseeds (except rabi oilseeds on Kharif channels).	6.37	3.19	Per Crop
IX	All Rabi crops (except wheat and gram on Kharif channels) including gardens, orchards, vegetables and fodders.	3.00	1.50	Gardans Orchards per half year the rest per crops.
IX-A	Wheat and gram on Kharif channels.	2.75	1.37	per crops
X	Bajra, Masure and pulses.	4.8	2.44	-do-

X-A	Gram.			4.47	2.23	-do-
XI	Jawar, Cheena grass which has received two or more waterings and all fodder crop including turnips.			3.75	1.87	Grass per half year the rest per crop.
XII	(a)	Watering for ploughing not following by a crop in the same or succeeding harvest.		1.50	0.75	Acre
	(b)	Village and district Board Plantations.				
		(i)	Any number of waterings in Kharif.	1.50	0.75	Half year
		(ii)	One watering in Rabi.	1.50	0.75	-do-
		(iii)	Two or more waterings in Rabi.	3.00	1.50	-do-
	(c)	Grass A single water in Kharif or Rabi.		1.50	0.75	-do-

Notes:- Grass given two or more waterings falls under Class XI. Hemp. Indigo, Guara, Jantar and arhar plouged in as green manure before 15th September are not assessed to water rates.

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि हम डैफिनिट इन्फर्मेशन नहीं दे सकते। क्या मंत्री महोदय

बताने की कृपा करेंगे कि डैंफिनिट इन्फर्मेशन क्यों नहीं दे सकते कि यह कब तक मुकम्मल हो जाएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, यह दो स्टेटों की बात है। हमने कोशिश की कि आगरा कैनाल को जल्दी से जल्दी अपने अधिकार में ले लें, हम उसका मामला लें, लेकिन हमने यू.पी. गवर्नमैंट के साथ बता करनी है .....

श्री बनारसी दास गुप्त: इस बात को मैं स्पश्ट कर दूं। मुख्यमंत्री महोदय ने अनाऊंस किया था कि ओखला बैरेज जब तक नहीं बनेगा तब तक हम पूरा पानी आगरा नहर के अन्दर नहीं चला सकते और ओखला बैरेज बनाने के लिए यू.पी. और हरियाणा प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के मध्य एक एग्रीमैंट हुआ है जिसकी घोशणा मुख्यमंत्री जी ने की थी और उसके लिए हमारे जो केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री हैं उनको आर्बिट्रेटर बनाया गया है। आशा है कि जल्दी ही उनका फैसला आ जाएगा और शीघ्र हो बैरेज बनाने का काम शुरू हो जाएगा। उसके पश्चात् जब रावी–ब्यास का पानी अधिक मिलेगा तो पूरी कैपेसिटी के साथ आगरा कैनाल में पानी चल जाएगा।

चौ. अब्दुर रजाक खां: स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब ने यह जानना चाहता हूं कि अब तब इस कैनाल पर अपना अख्तियार नहीं होता तब तक इसे सिल्ट आउट कराने की कोशिश की जाएगी ताकि टेल तक पानी पहुंचता रहे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: पिछले साल यू.पी. गवर्नमैंट से इसको ठीक कराने की कोशिश की थी और कुछ काम हुआ था।

Trained Nurses and Midwives

***920. Sch. Ram Parshad**: Will the Minister for Industries be pleased to state –

(a) the total number of trained nurses and midwives in the employment of the State Government;

(b) the total number of trained nurses and midwives required in teh Government hospitals; and

(c) whether any applications for the above category of posts are pending?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी):

(ए)	(1)	ट्रैन्ड नर्सीज	563
	(2)	मिडवाईफ्स	956
(बी)	(1)	ट्रैन्ड नर्सीज	1147
	(2)	मिडवाईफ्स	1056
(सी)		हां।	

***927. Sh. Girish Chander Joshi**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state:-

(a) the-steps, if any, being taken to provide to the cultivators right types of fertilizers at proper time;

(b) the prices at which fertilizers will be supplied; and

(c) the total estimated consumption of fertilizers in the state?

कृशि मंत्री (चौ. भजन लाल):

(क) तथा (ख) सूचि विधान सभा पटल पर रखी जाती है।

(ग) साधारण खाद के रूप में, वर्श 1974–75 में 708000 टन। (प्राप्त हाने पर)।

सूचि (क)

(क) फसल–ऋतु चालू होने से पूर्व ही राज्य सरकार भारत सरकार के संग अपनी रसायनिक खाद की आवश्यकता के बारे में विचार–विमर्श करती है और तदनुसार खाद को अधिकतम अलाटमैंट के लिये प्रयत्न किये जाते हैं। यह अलाट किया हुआ खाद सरकारी समितियों और दूसरे निजि व्यापारियों के माध्यम से वितरित किया जाता है। राज्य के विभिन्न जिलों में खाद वितरण के बारे में समय–2 पर राज्य स्तर पर गठित ''खाद समिति'' की

बैठक में विचार–विमर्श किया जाता है। प्रत्येक उपायुक्त को यह हक है कि वह अपने जिले में खाद की मांग के अनुसार, खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकता है। रसायनिक खाद का विवरण या तो ब्लाक स्टाफ द्वारा जारी किए गए परमिटों के विरूद्ध दिया जाता है, या फिर सरकारी बैकों द्वारा जारी किए गए लोन पेयमैन्ट आर्डरों के आधार पर कृशकों को उचित समय पर उचित प्रकार का रसायनिक खाद देने हेतु भरसक प्रयत्न किये जाते हैं।

सूचि (ख)

(b) The old and Revised rates of Fertilizers w.e.f. 1.6.1974 in Rs. P.M. Tonne.

Sr. No.	Name of the Fertilizers		Old Rates			New Rates		
			Pool issue Pirce	Retail Price	Distribution Margin	Pool issue Pirce	Retail Price	Distribution Margin
1	2		3	4	5	6	7	8
1	**A Sulphate**							
	(i)	100 Kg.	535	590	55	870	925	55
	(ii)	50 Kg.	545	600	55	880	935	55
2	**Urea**							
	(i)	46%N	970	1050	80	1920	2000	80
	(ii)	45%N	950	1050	80	1880	1960	80

3	**C.A.N.**							
	(i)	25%N	560	615	55	1040	1095	55
	(ii)	25%N	585	645	60	1085	1145	60
4	**D.A.P.**		1240	1335	95	2910	3005	95
5	**A.N. Phos**							
	(20:14:0)		1200	1280	80	1740	1820	80
6	**M.O.P.**							
	(i)	100 Kg.	620	670	50	1170	1220	50
	(ii)	50 Kg.	630	680	50	1180	1230	50
7	**A.S.N.**		1125	1205	80	1085	1165	80
8	**S. Phosphate**							
	(i)	100 Kg.	506	563	57	905	962	57

	(ii)	50 Kg.	518	575	57	918	975	57
9	**NPK (Mixt)**							
	(i)	10:26:26	1160	1251	91	2145	2236	91
	(ii)	12:32:16	1174	1267	93	2315	2408	93
	(iii)	14:36:12	1262	1361	99	2505	2604	99
	(iv)	11:11:11 (New Mixt)				1190	1260	70
	(v)	17:8:9 (New Mixt)				1260	1330	70

श्री गिरीश चन्द जोशी: क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्श के लिए जो खाद की आवश्यकता है वह पूरी हो रही है या उमें कुछ कमी है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने खरीफ के लिए चार लाख टन खाद भारत सरकार से मांगी थी लेकिन अभी तक डेढ़ लाख टन मिली है। इसी तरह से हमने रबी के लिए 668000 खाद मांगी है लेकिन वह अभी तक हमें भारत सरकार ने दी नहीं है क्योंकि सोईग का टाईम अभी नहीं आय है। सोईन्ग के टाईम पर वे हमें देते हैं।

चौ. राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि खाद पूरी नहीं मिल रही है। क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्होंने खाद की जगह कौन–सी चीज प्रयोग करने का किसान को सुझाव दिया है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, खाद की इस वक्त कोई कमी महसूस नहीं की जा रही है। खाद जितनी हमें इस वक्त चाहिए उतनी हमारे पास है। अगर आनरेबल मैम्बर साहब किसी जगह पर खाद की कमी की बात सरकार के नोटिस में लाएंगे तो जहां कमी होगी वहां खाद भिजवाने की पूरी–पूरी कोशिश करेंगे।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, कनक की कीमत में और खाद की कीमत में बड़ा भारी अन्तर है। पिछडे थोड़े से अर्से में खाद की कीमत तो दुगुनी कर दी गई है मगर अनाज की कीमत

बहुत कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सबसेडाइल्ड रेट के ऊपर खाद किसान को देने के लिए तैयार है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं कई बार सदन में बता चुका हूं कि सरकार के विचाराधीन कोई सबसिडी देने की बात नहीं है। अलबत्ता, भारत सरकार को हमने यह कहा है कि जहां उन्होंने खाद का भाव बढ़ाया है उसी रेशो से अनाज के भाव बढ़ने चाहिये। इसके बारे में हमने बार–बार उनको चिटिठयां भी लिखी हैं। भारत सरकार ने विश्वास भी दिलाया है कि बहुत जल्दी ही वे इसके लिए फैसला करैंगे। हम समझते हैं कि जिस रेशो से खाद का भाव बढ़ा है उसी रेशो से अनाज का भाव भी भारत सरकार मुकर्रर करेगी।

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी–अभी कहा कि खाद का भाव जिस रेशो से बढ़ा है उसे रेशो से अनज के भाव बढ़वाने के लिए केन्द्रीय सरकार को उन्होंने लिखा है। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि इसके साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि कृशि मूल्य आयोग जो है उसकी सिफारिश न मानी जाए क्योंकि आज तक उसने सही सिफारिश की ही नहीं?

चौ. भजन लाल: यह तो कोई सवाल नहीं। कृशि मूल्य आयोग जो है वह बहुत अच्छा आयोग है और सारी बातों को ध्यान में रखकर भारत सरकार भाव तय करती है। कृशि आयोग

जो रिपोर्ट देता है उसको ध्यान में रख कर, प्रान्त की बात को ध्यान में रखकर और किसान की बात को भी ध्यान में रख करके भारतीय सरकार भाव तय करती है।

चौ. अब्दुर्र रजाक खां: क्या वजीर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारी सरकार ने मरकजी सरकार को गेहूं के भाव की कहां तक की सिफारिश की है?

चौ. भजन लाल: गेहूं की सोईग का टाईम अभी नहीं है। इसलिए गेहूं के भाव के बारे में हमने नहीं कहा है कि यह भाव मुकर्रर होना चाहिए। जब सोईग का टाईम आएगा उस वक्त हम लिखेंगे।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, खाद की कीमत 53 रूपये 85 पैसे से बढ़कर 104 रूप्ये 85 पैसे क्विंटल हो गई है। इस चीज को मददेनजर रखते हुए क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे किसान को यह सबसेडाइज्ड रेट पर खाद देने को तैयार है ताकि वह भी खाद का इस्तेमाल कर सके?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, अभी–अभी मैंने कहा है कि सरकार के विचाराधीन खाद के ऊपर कोई सबसिडी देने की बात नहीं है।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, पिछली दफा हाउस में यह कहा गया था कि काफी बड़ी रकम जो बोनस के रूप में भारत सरकार से मिली है उसको खाद पर सबसिडी के रूप में किसानों

को देंगे। क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि उनकी वह बात दुरूस्त है या आज वाली बात दुरूस्त है?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि खाद पर सबसिडी देंगे। बोनस जरूर आया है लेकिन अभी यह बात सरकार के विचारधीन है कि उस पैसे को किस तरह डिस्ट्रिब्यूट किया जाए। जैसा कि स्पीकर साहब, किसी किसान ने ज्यादा गेहूं दिया है और किसी ने कम दिया है। अगर हम बिना सोचे विचारे खाद पर सबसिडी दे दें और पैसा जिसको मिलना चाहिए उसकी बजाय किसी और को मिल जाए तो वह कोई मुनासिब बात नहीं होगी। ठीक बात जो होगी सरकार वह करेगी और किसान के हित में जो बात होगी सरकार वही करेगी।

Social Welfare and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, may I give a clarification in this behalf? As the hon. Member, Ch. Dal Singh has pointed out, all the farmers who sold wheat last year to the Government, have to be given bonus. This bonus will be given in the shape of coupons. They will go to the Co-operative Societies from where they will purchase fertilizers and this bonus will not be given in the shape of money. This will be available as a subsidy only to those farmers who sold their wheat to the Government last year.

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, पैडी का सोईग सीजन तो चल रहा है। क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि

हरियाणा गवर्नमैंट ने इसके बारे में कितनी कीमत मुकरर्र कराने की सिफारिश की है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में हमने भारत सरकार से कहा है कि पैडी की प्राईस बहुत जल्दी उनको अनांउस करनी चाहिए क्योंकि सोईंग का टाईम चल रहा है। ऐग्रीकल्चरल प्राईस कमिशन ने 6 तारीख को अपने औफिसर्ज की मीटिंग बुलाई है। आशा है कि बहुत जल्दी ही उसके फौरन बाद प्रान्तीय गवर्नमैंटों को बुलाकर भारतीय सरकार भाव तय कर देगी।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि कूपन देंगे। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि कूपन वे कब तक देंगे?

श्री श्याम चन्द कूपन तैयार करवा रहे हैं। (विघ्न)

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद के और दूसरी खेतीबाड़ी की चीजों के जो भाव बढ़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि धान और गन्दम का क्या भाव होना चाहिए?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, भारतीय सरकार जब भाव तय करती है तो वह प्रान्तीय सरकार से भी जानकारी लेती है। हम किसान की पूरी वकालत करते हैं। जिस भाव की जितनी खाद उसने डालनी होती है, महंगे भाव का जो बीज उसने डालना होता है, इन सारी बातों का हिसाब लगाकर भारतीय सरकार भाव

तक करती है। प्रान्तीय सरकार किसान के लिए पूरी कोशिश करती है और भारतीय सरकार किसान का पूरा ध्यान रख कर भाव तय करती है।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, आनरेबल मिनिस्टर साहब ने अभी–अभी अनाज का भाव बढ़ने की बाबत फरमाया। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि उनके जेरे–गौर यह प्रपोजल भी है कि जो लोग कम आमदनी वाले हैं, बैकवर्ड क्लासिज के हैं और हरिजन हैं उनको कम रेट पर डिपो से अनाज देंगे या नहीं?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमेशा यह होता रहा है। पिछले साल भारत सरकार ने 76 रूपये क्विंटल गेहूं हमारे से लिया और 78 रूपये क्विंटल के हिसाब से गरीब आदमियों को डिपुओं पर देने के लिए हमें वापिस दिया। इसी तरह से भारत सरकार हमेशा जो वह भाव तय करती है और जिस भाव में उसे अपने को गेहूं पड़ता है उस पर कुछ न कुछ सबसिडी देकर गेहूं देती है।

चौ. फूल सिंह कटारिया: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि पैडी और गन्दम की तरह ज्वार और बाजरा आदि का भी सरकार कुछ ध्यान रखेगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ज्वार, जौ, चना और बाजरा सारे हिन्दुस्तान में कहीं भी जा सकता है और इनके भाव गेहूं से भी अच्छे हैं।

चौ. मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने यह माना है कि खाद का भाव डबल हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गेहूं के सोईग सीजन के समय केन्द्रीय सरकार को उसका भाव बढ़ाने के लिए लिखा जाएगा। स्पीकर साहब, किसान लोग गेंहू की बिजाई के लिए अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं। खाद के दाम तो दुगुने हैं लेकिन गेहूं का भाव उसके सामने नहीं है। क्या सरकार के जेरे–तजवीज यह स्कीम है कि अभी से भाव तय करवाए जाएं?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ज्यों ही खरीफ का भाव तय कर देगी हम रबी के भाव के बारे में उनको कहेंगे और उम्मीद यह है कि रबी की सोईंग शुरू होने से पहले भारत सरकार भाव जरूर अनांउस करेगी।

Mr. Speaker: Next Question please. There have been sufficient number of supplementaries to this question.

Revenue Cases

***946. Ch. Surjit Singh Mann**: Will the Revenue Minister be pleased to state –

(a) the total number of revenue cases pending in the courts of Assistant Collections of all grades in the State; and

(b) the steps, if any, taken or proposed to be taken to ensure speedy decisions in such cases?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) 12217 revenue cases wre pending on 30-6-74 with the Assistant Collections of all grades in the State.

(b) Progress of disposal is reviewed from time to time and the Assistant Collectors are remained wherever necessary to pay special attnetion to court work. Work is also transferred from officers with heavier charge to those with lighter charge. Disposal of Revenue cases by Tehsildars and Naib Tehsildars is reviewed by the Commissioners, Collectors and Sub Divisional Officers and lapses pointed out from time to time.

चौ. दल सिंह: क्या यह सच है कि आपके रैवेन्यु आफिसर्ज बजाए कोर्ट का काम करने के स्माल सेविंग और नस–बंदी के काम में ज्यादा टाईम देते हैं जिसकी वजह से यह केसिज ज्यादा पैडिंग हैं?

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): आपके फायदे की बात है ... .(हंसी)

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, this is not a fact. This is, however, a fact that the Revenue Officers, Tahsildars and Naib Tahsildars have to work for family planning, small savings etc.

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इन केसिज में एक साल से कितने पैंडिंग हैं, दो साल से कितने पैंडिंग हैं और तीन साल से कितने पैंडिंग हैं?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Sir, the supplementary does not arise out of this question. If the hon. Member is particular about this, I will get the requisite information.

श्री अमर सिंह: जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने फरमाया है कि 30 जून, 1974 तक 12217 केसिज रैवेन्यू के पैंडिंग हैं तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं तहसीलवाइज ब्रेकअप क्या है और पैडिंग होने का क्या कारण है?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, the Tahsil-wise break-up is as follows –

S. No.	Officer	Number of cases pending
1	Sub-Divisional Officer, Ambala	161
2	Sub-Divisional Officer, Jagadhri	887
3	Sub-Divisional Officer, Naraingarh	52
4	Asstt. Collector, 1st Grade, Ambala	145
5	Tahsildar, Ambala	106
6	Tahsildar, Jagadhri	84

7	Tahsildar, Naraingarh	76
8	Tahsildar, Kalka	37
9	Naib Tahsildar, Ambala	42
10	Naib Tahsildar, Jagadhri	62
11	Naib Tahsildar, Naraingarh	29
12	Naib Tahsildar, Chhachhrauli	25
This is about Ambala District. Then		
13	Assistant Collector, Thanesar	282
14	Assistant Collector, 1st Grade, Kurukshetra	120
15	Sub-Divisional Officer, Kaithal	242
16	Tahsildar, Kaithal	51
17	Naib Tahsildar, Kaithal	14
18	Tahsildar/Naib Tahsildar, Guhla	112
19	Tahsildar, Thanesar	84
20	Naib Tahsildar, Thanesar	42
This is about Kurukshetra District.		
21	Sub-Divisional Officer, Karnal	286

22	G.A. to the D.C. Karnal	152
23	Tahsildar, Karnal	95
24	Naib Tahsildar, Karnal	69
25	Sub-Divisional Officer, Panipat	304
26	Tahsildar, Panipat	94
27	Naib Tahsildar, Panipat	27
28	Sub-Divisional Officer, Jind	112
29	Tahsildar, Jind	34
30	Tahsildar, Safidon	4
31	Naib Tahsildar, Jind	17
32	Naib Tahsildar, Safidon	6
33	Sub-Divisional Officer, Narwana	28
34	Tahsildar, Narwana	10
35	Naib Tahsildar, Narwana	3
This is District Jind. Then Sonepat District.		
36	Sub-Divisional Officer, Sonepat	402
37	Tahsildar, Sonepat	179

38	Naib Tahsildar, Sonepat	62
39	Sub-Divisional Officer, Gohana	143
40	Tahsildar, Gohana	34
41	Naib Tahsildar, Gohana	14
42	General Assistant and Asstt. General Asstt.	Nil
	Then Narnaul	
43	G.A. to D.C. Narnaul	24
44	Sub-Divisional Officer, Narnaul	139
45	Tahsildar, Narnaul	75
46	Naib Tahsildar, Narnaul	12
47	Sub-Divisional Officer, Mohindergarh	26
48	Tahsildar, Mohindergarh	12
49	Naib Tahsildar, Mohindergarh	7
50	Sub-Divisional Officer, Rewari	75
51	Tahsildar, Rewari	49
52	Naib Tahsildar, Rewari	8

53	Naib Tahsildar, Bawal	28
This is about Narnaul District. Then		
54	Sub-Divisional Officer, Bhiwani	374
55	G.A. to D.C. Bhiwani	Nil
56	Tahsildar, Loharu	20
57	Naib Tahsildar, Loharu	3
58	Tahsildar, Bhiwani	41
59	Naib Tahsildar, Bhiwani	14
60	Tahsildar, Bawani Kehra	59
61	Sub-Divisional Officer, Dadri	130
62	Tahsildar, Dadri	39
63	Naib Tahsildar, Dadri	16
64	Sub-Divisional Officer, Rohtak	158
65	Tahsildar, Rohtak	130
66	Naib Tahsildar, Rohtak	82
67	Naib Tahsildar, Maham	14
68	G.A. to D.C. Rohtak	11
69	Sub-Divisional Officer, Jhajjar	44

70	Tahsildar, Jhajjar	35
71	Naib Tahsildar, Jhajjar	30
72	Naib Tahsildar, Nahar	22
73	Tahsildar, Bhadurgarh	21
74	Sub-Divisional Officer, Hissar	363
75	Tahsildar, Hissar	139
76	Naib Tahsildar, Hissar	49
77	Tahsildar, Tohana	69
78	G.A. to D.C. Hissar	Nil

(Interruptions and the hon. Minister resumed his seat)

Voices: Why such a long Statement is being read?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: मैं इसलिए पढ़ रहा था कभी आनरेबल मैम्बर्ज यह कह लगे कि पूरा जवाब नहीं पढ़ा। I have got the requisite information with me.

(Interruptions ..... The hon. Minister resumed his seat.)

Ch. Phool Chand (Rohat): In view of the fact that the S.D. Ms., in the State, are very very heavily loaded with work-Revenue and Court work and miscellaneous work is also done by them; they are found absent ffrom the headquarters, sometimes being on tour, and sometimes writing judgement

etc., would the Government consider the desirability of having some alternative arrangements to cope with the pending court work?

Pandit Chiranji Lal Sharma: According to the decision in the conference of the Deputy Commissioners held on 16th and 17th January, 1974, a proposal for providing one more H.C.S. officer in each District for Court Work is being examined.

चौ. चांद राम: जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया कि रैवेन्यू आफिसर फैमिली प्लानिंग के लिए जात हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वे आपरेशन करने के लिए जाते हैं या अपना टारगैट पूरा करने के लिए जाते हैं?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: आनरेबल मैम्बर यह अच्छी तरह से जानते हैं कि तहसीलदार या नाइब तहसीलदार आपरेशन करने नहीं जाते हैं।

चौ. चांद राम: फिर वे क्य करते जाते हैं?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: वे देश के हित में काम करने जाते हैं। जनता की भलाई का काम करते हैं।

चौ. चांद राम: क्या वजी साहब बतायेंगे कि वे फैमिली प्लानिंग का क्या काम करते हैं?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाते हैं। लोगों को बताते हैं कि परिवार नियोजन

कितनी अच्छी चीज है। उससे देश का भी हित हैं, उनका अपना और उनके परिवार का भी हित है।

चौ. फूल चन्द (रोहट): डिप्टी कमिश्नर्ज की मीटिंग को हुए तो आज नौ महीने ही चुके हैं क्योंकि वह तो नवम्बर में हुई थी। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसका फैसला कब तक हो जाएगा?

चौ. बंसी लाल: नौ महीन के बाद तो It is normal delivery.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, Sir, the hon. Memberis misinformed. There are still two months to complete nin months. It is in January.

Fire Broke out in the store of Printing and Stationary Department, Haryana.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Will the Minister for Finance be pleased to state –

(a) whether any fire broke out in the store of the Printing and Stationery Department, Haryana, situated at Chandigarh, in the year 1973-74; if so, when and the estimated loss caused as a result thereof; and

(b) the cause of the said fire and whether any enquiry was held by the Government into the said incident?

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mital):-

(a) Yes. Fire broke out in the corridor between the Binding Section and the Store of Printing and Stationery Department on the night between 13th and 14th October, 1973. The loss is estimated at Rs. 40000.

(b) Preliminary enquiry made by the Department reveals that the fire was accidental. However, further enquiry is being conducted by the Vigilance department whose findings are still awaited.

चौ. चांद राम: क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि किसी ने ऐसी इत्तलाह भेजी है कि यह आग जान–बूझ कर लगायी गयी और कागज किसी प्रैस को बेच दिया गया?

श्री राम सरन चन्द मित्तल: मेरी याद में बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो में फाइन्ड आउट करके बताऊंगा। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है।

चौ. चांद राम: अगर उनके पास अब कोई शिकायत आयें तो क्या इस बात को पेशेनजर रखते हुए कि नुक्सान बहुत ज्यादा था और जो कागज किसी प्रेस को भेजा गया वह सेफ है तो क्या सरकार उस शिकायत पर गौर करेगी?

श्री राम सरन चन्द मित्तल: कोई माकल इत्तलाह आएगी तो जरूर इन्क्वायरी की जायेगी।

Industrial Development of Nilokheri

***939. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Industries be pleased to state whether any scheme has so far been formumated by the State Government for the further industrial development of Nilokheri; if so, the details thereof and the time by which it is expected to be implemented?

Minister for Industries (Sh. Harpal Singh) :-

Yes. There is a scheme for carving out 12 Industial plots at Nilokheri by demolishing the old sheds and utilising the open space. This scheme has been approved by the State Government and allotment of plots is likely to be made during this year.

चौ. शिव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार की ओर से नीलोखेड़ी में किसी प्रकार से कारखाने बढ़ाने की कोशिश की जाएगी जब कि वहां दीवारों पर मोटे अक्षरों में लिखा देखते हैं: "The birth pleace of community Development and dream of Pandit Jawahar Lal Nehru" यह स्वप्न कब तक पूरा करेंगे?

श्री हरपाल सिंह: इन्डस्ट्री की डिवैल्पमैंट के लिए शुरू में पहले वहां प्लाटस बनाए जाते हैं। प्लाटस बनने के बाद इन्डस्ट्री आती है। गवर्नमैंट की इनटेंशन यह है कि वहां इन्डस्ट्री आयें।

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Minors of Petwar Distributary

***818. Sh. Amar Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is fact that in the month of February and March, all the Minors of Petwar distributary from Rajthal to Ladwa remained closed for 10 days in the month of February, 1974 out of 14 days and 10 days in March, 1974; if so, the reasons thereof?

सिंचाई एंव बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): पेटवार डिस्ट्रीब्यूटरी के राजथल से लेकर लाडवा तक के माईनर फरवरी, 1974 के 28 दिनों में से 19 से 20 दिन तक बन्द रहे और मार्च 1974 के 31 दिनों में से 21 से 24 दिनों तक बन्द रहे। यह सभी माईनर नदी में पानी कम होने के कारण चैनल्ज की पारित रोटेशनल हिसाब के अनुसार बन्द रहे।

Water Supply Scheme of Village Amin

***811. Ch. Shiv Ram Verma**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state, whether the work on water supply scheme of village Amin has been started; if so, the time by which it is likely to be completed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): जी नहीं। इस कार्य के अनुदान तैयार किए जा रहे हैं। सफाई बोर्ड

द्वारा इस अनुदान को प्रशासकीय अनुमोदन तथा धनराशि मिलने पर कार्य चालू कर दिया जाएगा।

Burning of Three Phase Meters.

***814. Ch. Dal Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the total number of three phase meters burnt on site in Jind District during the years 1971-72 1972-73 and 1973-74, separately;

(b) the total number of meters out of those referred to in part (a) above repaired so far, togetherwith the expenditure incurred thereon;

(c) the total number of meters out of those referred to in part (a) above, which were burnt due to detects in consumer's installations;

(d) the total amount deposited by the consumers for the burnt meters referred to in part (a) above during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74, separately; and

(e) the total amount refunded to the consumers after testing and repairing for the meters referred to in part (a) above?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):

(अ), (ब), (स), (द), तथा (ह): विवरण जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

विवरण

(अ) जिला जीन्द में वर्शवार जले हुए तीन फेज मीटरों की कुल संख्या इस प्रकार है:–

क्र. स.	वर्श	जले हुए मीटरों की संख्या
1	1971–72	140
2	1972–73	454
3	1973–74	279
	कुल जोड़	873

(ब) ऊपर दिए हुए 873 मीटरों में से 733 की मुरम्मत हो चुकी है और उन पर 78363 रूपए 74 पैसे खर्च हुए हैं।

(स) 872

(द) भाग 'अ' में दिए गए वर्शवार जले हुए मीटरों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा जमा की हुई राशि इस प्रकर है:–

क्र. स.	वर्श	जमा की हुई राशि (रूपयों में)
1	1971–72	33712
2	1972–73	94675
3	1973–74	53050
	कुल जोड़	181437

(ह) 95501 रूपये 26 पैसे।

***827. Malik Sat Ram Dass Batra**: Will the Minsiter for Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to ply Deluxe buses from all District headquarters to Chandigarh?

विकास मन्त्री (कर्नल महा सिंह): पांच जिला मुख्यालय पहले ही डिलैक्स बस–सेवा द्वारा चण्डीगढ़ से जोड़े हुए हैं और कुछ अधिक को और जोड़ दिया जाएगा।

Milk Plant

***865. Sh. K.N. Gulati**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) the time by which the Milk plant of Faridabad is likely to be completed; and

(b) the time by which the sale of milk, butter and ghee of the said Plant is likely to be started?

कृशि मंत्री (चौ. भजन लाल):

(अ) दुग्ध प्लांट फरीदाबाद के सम्पूर्ण होने का समय ठीक से बताना कठिन है।

(ब) (अ) भाग में दिए हुए उत्तर अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Post of Superintendents, Chief Inspectors and Assistants in Haryana Roadways

311. Sh. Ganpat Rai: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) the total number of posts of Superintendents, Chief Inspectors, Assistants in the Haryana Roadways togetherwith the number of such posts held by the Scheduled Castes, Category-wise; and

(b) whether there is any deficiency in the requisite percentage fixed for the Scheduled Caste in respect of the said posts; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Department to make good the deficiency of percentage in each such category?

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह):

(क) तथा (ख) कथन विधान सभा के सम्मुख मेज पर रखा जाता है।

हरियाणा रोड़वेज में अधीक्षको, मुख्य निरीक्षकों तथा सहायकों की सूचि का कथन

क्र. स.	पद का नाम	पदों की संख्या	उन में से जितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं	सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित प्रतिशत	असली प्रतिशत	बाकी डैफिसैन्सी	डैफिसैन्सी को पूर्ण करने के लिए उठाए गये उपाय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अधीक्षक	10	1	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	इस समय एक पद पर अनुसूचित जाति का कर्मचारी लगा हुआ है तथा सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों

							के अनुसार कमी को पूरा करने के लिये पग उठाये जा रह हैं।
2	मुख्य निरीक्षक	20	1	20 प्रतिशत	5 प्रतिशत	15 प्रतिशत	इस समय एक पद पर अनुसूचित जाति का एक कर्मचारी लगा हुआ है। इस प्रकार तीन और पद बनते हैं जिनको भरने के लिये अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा को मांग पत्र भेज जा रहा है।
3	सहायक	32	1	20 प्रतिशत	3 प्रतिशत	17 प्रतिशत	इस समय एक पद पर अनुसूचित जाति का एक कर्मचारी लगा हुआ है। अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल को सहायकों के तीन पद भरने के

							लिये मांग पत्र भेजा हुआ है। इन पदों में से दो पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित किये हैं, फिर भी अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल को बाकी के पदों को भरने के लिये मांग पत्र भेजा जा रहा है।

Implementation of Rule/Instruction of Reservation in Promotion for Scheduled Castes Employees.

312. Sh. Ganpat Rai: Will the Minister for Industries be pleased to state –

(a) whether the Industries Department has implemented the Rule/Instructions of reservation in promotion for Scheduled Castes employees;

(b) if so, the number of employees promoted under the said Rule/Instructions; and

(c) if not, the steps being taken to implement the said Rule/Instructions; and

(d) if not, the steps being taken to implement the said Rule/Instructions by the department referred to in part (a) above?

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह): 'क' से 'ग' पदोन्नति के बारे में सम्बन्धित हिदायतें श्रेणी III तथा IV के कर्मचारियों पर लागू होती हैं जहां पदोन्नति के लिये तीन कर्मचारियों के सलैब में से चयन का सिद्धान्त अपनाया जाता है।

अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिये ऐसे केसों में कोई आरक्षण नहीं है जहां पर पदोन्नति वरिश्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है।

उद्योग विभाग में श्रेणी तीन तथा चार में पदोन्नति करने के लिये तीन कर्मचारियों के सलैब में चयन का सिद्धान्त

अर्थात वरिश्ठता से योग्यता पर अधिक बल देकर चयन द्वारा पदोन्नति के ढंग को नहीं अपनाया जा रहा है और पदोन्नति वरिश्ठता तथा योग्यता सिनियारटी एंड मैरिट के सिद्धात पर की जा रही हैं।

Drivers and Cooductors in Haryana Roadways

313. Sh. Ganpat Rai: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) the total number of posts of Drivers and Conductors in the Haryana Roadwasy together with the number of such posts held by the Scheduled Castes, category-wise; and

(b) whether there is any deficiency in the requisite percentage fixed for the Scheduled Castes in respect of the said posts if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Department to make good the deficiency of percentage in each such category?

Note:- Extention had been asked for answering this question which was granted. The communication received from Govt. in this connection is as under:-

“SUBJECT – Assembly Question No. 313-Drivers and Conductors in Haryana Roadways.

Will the Secretary, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh, kindly refer to question No. 313 by Sh. Ganpat Rai, M.L.A.?

2. The reply to unstarred Assembly Question appearing in the list of un-started Question on the 29th July, 1974 in the name of Ganpat Rai, M.L.A. is not ready, as the information is required to be collected from the General Managers, Haryana Roadways. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected from the General Managers, concerned.

Sd/- Maha Singh

Minister Inchage.

U.O. No. 5554-EA-6/E-II Dated Chandigarh, the 26th July, 1974.

To

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Harijan Welfare Department

310. Ch. Chand Ram: Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state –

(a) the amount, if any, lapsed in the budgeted schemes of the Harijan Welfare Department during the years 1969-70, 1971-72, 1972-73 and 1973-74, separately;

(b) the amount sanctioned/allocated for the construction of Dharamshalas/Chaupals during the years 1969-70, 1971-72, 1972-73 and 1973-74; and

(c) the names of the villages where grants for construction of these chaupals wer actually disbursed alongwith the amounts in each case during the years mentioned in part (b) above?

समाज कल्याण तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द):

(क)	क्र. स.	वर्श	राशि जो लैप्स हुई (राशि लाखों में)
	1	1969—70	0.04
	2	1971—72	41.19
	3	1972—73	0.14
	4	1973—74	0.38
		कुल जोड़	41.75

(ख)	क्र. स.	वर्श	निर्धारित राशि (रूपए लाखों में)	स्वीकृत राशि (रूपए लाखों में)

	1	1969–70		
	2	1970–71	2.00	2.00
	3	1971–72	10.00	9.97
	4	1972–73	5.08	5.08
	5	1973–74	9.30	9.30

(ग) जो सूचना मांगी गई है उसको एकत्र करने में जो समय और परिश्रम लगेगा वह सम्भवता लाभ से कहीं अधिक होगा। फिर भी यदि सूचना किसी विशेश केस (केसों) के लिए चाहिये तो वह उपलब्ध कराई जा सकती है।

शोक प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): स्पीकर साहब, मैं एक बीच में आप के जरिये सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि श्री एन. रामाचन्द्र रैड़ी, फाइनान्स मिनिस्टर, आन्ध्र प्रदेश का स्वर्गवास हो गया है।

This House, therefore, places on record its deep sorrow on the untimely demise of Sh. N. Ramachandra Reddy, Finance Minister of Andhra Pradesh on the 27th July, 1974.

Sh. N. Ramachandra Reddy was born on January 11, 1919 in an agricultural family of village Jammalapalli of

Warangal District in Andhra Pradesh. As a student of the Osmania University, he took part in the "Vande Mataram" movement and was expelled from the college on that account. He later graduated from the Nagpur University.

Sh. Reddy first became a Minister for Food and Agriculture in Sanjivayya Cabinet in1960. He was re-elected to the State Assembly in the 1962 General Elections and taken in Sanjeeva Reddy Cabinet as a Revenue Minister, in which office he continued in the Brahmanand Reddy Ministry also. During the agitation for a separate Telengana he led legislature wing of the Telengana Praja Samiti and became to leader of the opposition in the Assembly.

He was again returned to the state Assembly in the last General Elections on the Congress Ticket. In December, 1973, after the revocation of President's rule in the state, he was taken as a Minister for Finance in the Vengal Rao Ministry.

In the death of Sh. N. Ramachandra Reddy, the country has lost a great patriot and a valiant fighter. The House resolve to send its heart-felt sympathies to the people of Andhra Pradesh and the members of the bereaved family.

Mr. Speaker: In the passing away of Mr. N. Ramachandra Reddy, Finance Minister, Andhra Pradesh, the country has lost yet another great leader. He served his State and the country in various capacities both in the freedom struggle and later as a Member of the various Cabinets of Andhra Pradesh. I wholeheartedly associate myself with the deep feelings expressed by the leader of the House and I shall,

no doubt, convey the sympathies of this House to the bereaved family.

In the end, I request you to observe a minute's silence while standing as a mark of respect to the deceased.

(At the stage the House stood in silence for one minute as a mark of respect to the deceased.)

विशेशाधिकार प्रश्न

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरा बरवाला इंसीडैंट के बारे में एक प्रिविलेज मोशन था।

Mr. Speaker: You must have received the reply.

चौ. राम लाल वधवा: मेरी अर्ज है कि अभी मुझे यह कागज दिया गया है। सवाल .....

Mr. Speaker: Order please. You have received the reply. if you have to say anything, you can come to my chamber.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, एक सैकण्ड तो मैं अर्ज कर सकता हूं। उसमें यह कहा गया है कि बाहर ब्यान देने से कोई ब्रीच आफ प्रिवीलेज नहीं बनती में यह रिक्वैस्ट करने लगा हूं कि उन्होंने भी जो स्टेटमैंट पब्लिक रिलेशन आफिसर के थ्रू तीन सफे की दी .....

Mr. Speaker: Order please.

चौ. राम लाल वधवा: वही की वही स्टेटमैंट चन्द हरफ छोड़ कर के, इन्होंने यहां पढ़ करके सुना दी .....

Mr. Speaker: Order please.

चौ. राम लाल वधवा: मैं री–कन्सीड्रेशन के लिये रिक्वैस्ट करने लगा हूं कि वह इसलिये बेसिज बनता है। मेरी अर्ज यह है कि स्पीकर साहब कि बेसिज इसलिये बनता है कि यहां पर .....

Mr. Speaker: Order please. No Further discussion on the ruling. My ruling is based on "Practice and Procedure of Parliament" by Kaul and Shakdher, page 253, wherein it is laid down –

"No breach of Parliament is involved if statements on matters of Public interest are not first made in the House and are made outside."

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: No further discussion.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: No discussion on the ruling please. No further discussion.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: No further discussion on the ruling please.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: Order please. No discussion. Nothing to be recorded without my permission.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: Order please. Nothing to be said about the ruling.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: Order please. I have given my ruling and nothing to be said concerning it.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: Order please.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: Order please. I am not to listen to this argument. I have already said, 'No discussion.' I have given my ruling and that is based on a sound footing.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: Order please.

चौ. राम लाल वधवा: * * * * —(शोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: This will not form part of the record. Please take your seat.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: You can come to my Chamber.

चौ. राम लाल वधवा: डिस्कशन हो जाय तो अच्छा है जी .....

Mr. Speaker: No please.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: There can be no discussion on it.

चौ. राम लाल वधवा: * * * *

Mr. Speaker: There can be no discussion on it.

विशेशाधिकार भंग का प्रश्न

Mr. Speaker: I have received a notice of the question of breach of privilege by Sarvshri Amir Chand Kakar, Mansa Ram, Rulya Ram and Ram Kishan Azad, M.L.As., concerning the alleged Publication of the article entitled "Bansi Lal's throne rocked by three incidents" in the daily "MOTHERLAND" dated the 12th July, 1974.

I give my consent to the raising of this question and hold that the matter is in order and call upon Sh. Amir Chand Kakar to ask for leave of the House.

Ch. Amir Chand Kakar (Shahabad): We beg to give notice of this question of breach of privilege which the Editor, Printer and publisher of daily newspaper "the Motherland" has published as a news item in the above siad newspaper dated the 12th July, 1974, under the caption of "Bansi Lal's thronerocked by three incidents". The perusal of this news-item has revealed that derogatory remarks have lowered the dignity of the Members and House of the Haryana Vidhan Sabha in the eyes of public. The words which are considered objectionable by us are as under:-

"That the Assembly enjoying only academic existence and even the judiciary cowed down after the the supersession of Justice P.C. Pandit and the demotion of Session Judge, Yadar, Bansi Lal is the master of all he surveys."

Hence, it clearly constitutes a breach of privilege of the Members of the House. This specific matter is of recent occurrence and requires immediate intrevention by the Speaker. As a matter of proof, we are enclosing a cutting of the newspaper "The Motherland" dated 12th July 1974, for your perusal and necessary action.

We, therefore, request the Hon. Speaker that the Editor, Printer and Publisher of the daily newspaper "The Motherland" be punished under the rules as he has cast aspersions on the Members of the Assembly and House itself.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, इसमें जो .....

Mr. Speaker: Order please.

चौ. चांद राम: बोल तो सकता हूं जी .....

Mr. Speaker: You can take objection against the leave being granted. Whether you take objection to the leave being granted?

Ch. Chand Ram: Yes, Sir. यह जो प्रिवीजेल का मोशन आनरेबल मैम्बर ने मूव किया है .....

Mr. Speaker: Order please.

चौ. चांद राम: उसमें जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, उस आईटम में एज ए मैम्बर आफ दी हाउस का तो कोई जिक्र है नहीं .....

Mr. Speaker: Order please. After the leave is granted and the motion is moved, then you will have the right to speak.

चौ. चांद राम: ठीक है जी।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): यह तो प्रिवीलेज कमेटी देखेगी कि क्या मामला है .....

Mr. Speaker: Those in favour of the leave being granted may please rise in their please.

(At this stage several members rose in their places.)

Mr. Speaker: The leave is granted. Sh. Kakkar may please move this motion.

Ch. Amir Chand Kakkar: Sir, I ask for leave to raise the question of privilege .....

Mr. Speaker: Please Move your privilege motion.

Ch. Amir Chand Kakkar: I beg to move –

That this privilege motion be referred to the Committee of Privileges to make a report by the 29th January, 1975.

Mr. Speaker: motion moved –

That this privilege motion be referred to the Committee of Privileges to make a report by the 29th January, 1975.

Mr. Speaker: Question is –

That this matter be referred to the committee of Privileges to make .....

चौ. चांद राम (बबैन–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, यह जो हमारा चैपटर 21 है यह क्वैश्चन आफ प्रिविलेज को कवर करता है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि मैम्बर्ज के ऊपर या सदन का किसी तरह से जिक्र हो और उसके मुताल्लिक कोई डरोगेटरी रिमाकर्स हों तो वह प्रिविलेज का क्वैश्चन बनता है। अगर चीफ मिनिस्टर के मुताल्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी या उनकी फंक्शंज के बारे में अगर किसी अखबार में आता है तो गवर्नमैंट डिफेमेटरी मुकदमा या कोई और कार्यवाही अखबार के खिलाफ चला सकती है .....(व्यवधान)

Mr. Speaker: Order please. This will now be for the Privileges Committee to consider.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, हमारा आब्जैक्शन यह है कि वह लीगली प्रिविलेज मोशन बनता ही नहीं है। जो कुछ लिखा हे वह एज ए चीफ मिनिस्टर लिखा है नॉट एज ए मैम्बर आफ ही हाउस .....

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, इसमें मैम्बर आफ दी हाउस के खिलाफ कोई बात ही नहीं है। यह प्रिविलेज मोशन बनता ही नहीं है .....(व्यवधान)

Mr. Speaker: Order please. You could take objection that leave should not be granted. But leave has now been granted.

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): इसमें झगड़े की क्या बात है? फिर गिनती करा लो .....(हंसी)

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, जो मोशन मूव हुई है और पढ़ी गई है उसमें हाउस या किसी मैम्बर के खिलाफ कोई बात ही नहीं है इसलिए यह प्रिविलेज मोशन बनती ही नहीं है .....

...

Mr. Speaker: The question whether it is a question of privilege or not has been decided on prima-facie basis by me and if the motion is carried it will be examined by the Privileges Committee.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, आपकी आब्जरेवशन यह थी कि मोशन मव हो जाए तो आप बोल सकते हैं। उस वक्त हम बैठ गए थे लेकिन अब आप कहते हैं .....

Mr. Speaker: You can say that it should not be referred to the Privileges Committee. But you cannot question that it is not a question of privilege.

चौ. चांद राम: यही तो हम कह रहे हैं कि it could not be referred to the privileges Committee आप हमारी बात सुनिए तो सहीं। मैजोरिटी का जो फैसला होगा वह तो हम मानेंगे ही। बिलों में रोज देखते हैं कि वह मैजोरिटी के बल पर पास हो जाते हैं। हम जो कहते हैं वह पब्लिक के बैनिफिट के लिए कहते हैं। जहां तक मत का सवाल है, मत आप उस वक्त ले लें लेकिन मैम्बर्ज को बोलने का हक तो पहुंचता है। हम स्पीकर साहब को प्रोटैक्शन चाहते हैं। आप दोनों साइडज सुनकर हाउस की कन्सैन्ट ले लें (व्यवधान) .....

Mr. Speaker: Not on the point that this is not a question of privilege. You can oppose the motion.

चौ. शिव राम वर्मा: जब सदन या उसके किसी मैम्बर के खिलाफ इसमैं कुछ कहां ही नहीं है तो यह क्वैश्चन आफ प्रिविलेज मोशन बनता कहां है। यह तो प्रशासन के बारे में समाचार पत्रों में आया है। (शोर)

चौ. चांद राम: स्पीकर तो यह फैसला नहीं करता कि यह क्वैश्चन आफ प्रिविलेज है या नहीं। It is worth consideration by the Privileges Committee.

Mr. Speaker: The hon. Member should just read the Rules. How can he say that the Speaker cannot decide?

चौ. राम लाल बधवा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, स्पीकर साहब, यह जो मोशन यहां पढ़ी गई है इसके द्वारा न तो हाउस की और न हाउस के किसी मैम्बर के खिलाफ किसी किस्म की बात अखबार ने लिखी है। यह एज ए चीफ मिनिस्टर जो ऐग्जैक्टिव हैड है उनके खिलाफ अखबार में लिखा है तो इस रूल की जुरिस्डिक्शन के अन्दर यह प्रिविलेज मोशन नहीं बनती। प्रिविलेज मोशन तभी बनती है जब एज ए मैम्बर आफ दि हाउस कोई बात कही गई हो या हाउस की डिगनिटी के खिलाफ कुछ कहा गया हो। एज ए चीफ मिनिस्टर अगर बाहर किसी अखबार ने आर्टिकल लिखा है तो एग्जैक्टिव उसके खिलाफ कोई केस कर सकती है इस रूल के अन्डर यह प्रिविलेज मोशन नहीं बनती।

Mr. Speaker: First read the notice which is –

"that the Assembly enjoying only academic existence and even the juidiciary cowed down after the supersession of Justice P.C. Pandit and the demotion of Session Judge, Yadav, Bansi Lal is the master of all he surveys."

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, उस आर्टिकल को पढ़ा जाए और इन्होंने मोशन के अन्दर जो वर्डिग लिखी है (व्यवधान).....

Mr. Speaker: No discussion please. I have given my ruling and no futher discussion now. On this point, I have given my consent and after my consent the matter has come to the House.

Ch. Ram Lal Wadhwa: On a point of order.

Mr. Speaker: I have decided your point of order.

Ch. Ram Lal Wadhwa: Second point of order, Sir..

Mr. Speaker: No please take your sent.

श्री बनारसी दास गुप्त: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, प्राइमा फैसाई स्पीकर फैसला करता है कि यह केस प्रिविलेज कमेटी को रैफर किया जाए या न किया जाए। वह हो चुका है, लीव ग्रान्ट हो चुकी है। अब तो मामला सिर्फ रैफर करना है और वह 'यस' या 'नो' से होना है। क्या इस स्टेज पर कोई रूल का हवाला दिया जा सकता है?

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, अभी इन्होंने प्रिविलेज मोशन मूव किया है। वह आर्टिकल पढ़ा जाए कि वह प्रिविलेज मोशन बनता भी है या नहीं बनता .....

Mr. Speaker: Order please, your point of order has been decided.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, आनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि अब तो सिर्फ रैफरैंस होना है। यही तो हमारा आबजैक्शन है कि रैफरैंस नहीं होना चाहिए क्योंकि जो आर्टिकल हैं वह हाउस के किसी मैम्बर या हाउस के गेंअसट नहीं है .....

श्री बनारसी दास गुप्त: मोशन मूव हो चुकी है अब तो सिर्फ 'यस' या 'नो' होना है .....

श्री गिरीश चन्द जोशी: स्पीकर साहब, यह तो मैजोरिटी आफ दि हाउस ने फैसला करना है कि प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं बनता.....

Mr. Speaker: I do not allow your point of order.

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, यह तो एक मजाक की बात होगी। अगर कायदे कानून के अनुसार चला जाए तो अच्छी बात होगी .....

Mr. Speaker: Question is –

That the matter be referred .....

चौ. शिव राम वर्मा: आपकी मैजोरिटी है। यह तो जबरदस्ती करने की बात है। स्पीकर साहब, हम आपके राइट को चैलेन्ज नहीं करते लेकिन ऐसे ही होना है तो हम बाहर जाते हैं।

Mr. Speaker: Order please.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान रूल की तरफ दिलाना चाहात हूं .....

Mr. Speaker: Order please.

Ch. Chand Ram: Rule 268 lays down –

"A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof."

Mr. Speaker: Rule 268 relates to the Chairman of Committee of Privileges. It is about the Chairman of the Privilege Committee.

चौ. चांद राम: मेरे पाास तो यह किताब है। इसमें तो यह है .....

श्री अध्यक्ष: यह आपने कोई पुरानी किताब ले रखी है।

श्री बनारसी दास गुप्त: इन्होंने कोई और किताब उठा रखी है.....

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, जोशी जी ने फरमाय कि मैजोरिटी जो चाहे वह कर सकती है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मैजोरिटी जो चाहे वह करे लेकिन पहले ही एक प्रिविलेज मोशन है वह आज तक डिसाइड नहीं हुआ हैं प्रिविलेज कमेटी को रैफर करने का फायदा क्या है? जैन साहब चार दफा तो एक्टेंशन मांग चुके हैं। (व्यवधान)

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, यह पढ़े लिखे मैम्बर से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, यह अपने लिक्वीडेटर से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। (हंसी)।

Mr. Speaker: Question is –

That this matter be referred to the Committee of Privileges to make a report by the 29th January, 1975.

The motion was carried.

बहिर्गमन

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, हम इस पर वाक आउट करते हैं। We walk out as a protest.

(At this stage Sarvshri Ram Lal Wadhwa, Shiv Ram Verma, Dal Singh, Chand Ram, Shreo Nath, Peer Chand and Ganpat Rai staged a walk-out)

Mr. Speaker: The matter is referred to the Committee of Privileges to make a report by the 29th January, 1975.

सचिव द्वारा घोशणा

Mr. Speaker: Now the Secretary will make an announcement.

Secretary: I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its current Session (July, 1974) and have since been assented to by the Governor.

Statement

1. The Punjab Electricity (Duty) Haryana Amendment Bill, 1974.

2. The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill, 1974.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, मेरी एक काल अटैन्शन मोशन थी वह कब आएगी?

श्री अध्यक्ष: वह पहले हो चुकी है। You have received the reply and the list of business has been entered upon.

चौ. चांद राम: मेरी काल अटैन्शन मोशन सोशल बाइकाट के बारे में है उसका डिसिजन मेरे पास कब आएगा .....

Mr. Speaker: Not now. I have decided all call attention motions and privilege motions etc. Nothing is pending with me.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, जो डिसीजन आप चाहे लें लेकिन एक पैन्डिग है।

Mr. Speaker: The reply has been sent.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, काल अटैन्शन मोशन जो आपके पास पहुंच गई है, उसका डिसीजन तो आएगा (विघ्न–शोर) मैं ईमान से कहता हूं कि मैंने सोशल बाइकाट के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन आपके दफतर में भेजा है लेकिन आप कह रहे हैं। (विघ्न)

कार्य–मन्त्रणा समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I have to report the time table fixed by the Buisness Advisory Committee in regard to various business.

"The Committee, after some discussion, recommended that the business on the 29th July, 1974, be transacted as follows:-

29th July 1974

1. Question Hour.

2. Fourth Report of the Business Advisory Committee.

3. Motion under rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die.

4. Papers to be laid on the Table

Education and Languages Department Notification No. 1040-Edi/Ig.74/4641, dated the 12th February, 1974, issued under section 3 of the Haryana Official Language Act, 1969, as required under Section 7 of the Haryana Official Language Act, 1969.

5. Legislative Business

The Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1974.

6. Discussion on the Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973, which was laid on the Table of the House on the 8th July, 1974."

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move –

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved –

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, अभी तो हमारे पास कागज नहीं आए हैं। हम बगैर देखे उसके बारे में कैसे राय दैंगे?

श्री अध्यक्ष: मैंने तो पढ़के सुना दिये, एक ही बात है।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, मेरी एक गुजारिश है कि हम कई बार यहां हाउस में कह चुके हैं कि एजेण्डा टाईम पर सर्कुलेट नहीं होता है। That is a fact.

Mr. Speaker: I will check up the matter.

चौ. बंसी लाल: आपके सामने फैसला हुआ था शुक्रवार को।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, शुक्रवार का फैसला हुआ था, बीच में शनिवार और इतवार आ गए, तो हम क्या पढ़ सकते थे?

श्री गिरीश चन्द जोशी: स्पीकर साहब, एक क्लैरीफिकेशन करना चाहता हूं कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हरेक मैम्बर के पास पहुंच चुकी थी।

चौ. चांद राम: क्या पहुंच चुकी थी? आप यह कैसे कहते हैं? हमारे पास तो नहीं पहुंची थी।

Mr. Speaker: Question is –

That this House agrees with the recommendations contained in the Fourth Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

पटल पर रखे जाने वाले कागज–पत्र

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): I beg to lay on the table a copy of the Education and Languages Department notification No. 1040-Edi/Lg. 74/4641, dated the 12th February, 1974, issued under section 3 of the Haryana Official Language Act, 1969, as required under section 7 of the Haryana Official Language Act, 1969

दी पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974

Transport Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1974.

I also beg to move –

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौ. दल सिंह (जींद): स्पीकर साहब, सरकार ने ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन), विधेयक, 1974 में तरमीम करने के लिये यह बिल यहां हाउस में पेश किया है और इसमें खासतौर पर दो ही मुख्य बातें रखी गई हैं। पहली यह कि जो सरपंच हैं उनके खिलाफ पहले एक्ट के तहत 6 महीने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता था और अब यह कहते हैं कि इस अवधि को बढ़ाकर एक साल तक किया जाए। इस सिलसिलें में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो कानून बनाए और फिर खुद उस कानून पर अमल न करे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह कोइ शोभायमान नहीं है। स्पीकर साहब, हमने देखा है कि तीन साल पहले पंचायतों के चुनाव हुए और चुनाव के बाद मुश्किल से 6 महीने ही गुजरे होंगे, फिर अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया और आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि बहुत से केसिज का आज तक फैसला नहीं हो सका। अढ़ाई साल से सरपंचों के खिलाफ

अविश्वास का प्रस्ताव पास हो चुका है पर उनका फैसाल आज तक नहीं हो सका है। यह मामला सिटिजन कौंसिल में भी उठाया गया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को माना कि जल्दी ही इसका फैसला होना चाहिये। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई कार्यवाही नही की गई। स्पीकर साहब, मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार जो कुछ कहती है अगर वह ही उस पर खुद अमल न करे तो ऐसे कानूनों को बनाने का क्या फायदा? और आजकल क्या होता है कि ऐसे ऐसे सरपंच बेचारे जो रिश्वत नहीं लेते हैं, और अपना काम भी ठीक करते हैं उनको ससपैंड किया जाता है और जो सरपंच 50–50 हजार रूपये का गबन करते हैं, रिश्वतें लेते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज इन सारी चीजों को छिपाने के लिए यह बिल तरमीम करने के लिए यहां पर लाया गया है। हम इस हक में तो हैं कि सरकार कानून बनाए लेकिन उस कानून का फायदा क्या है जिसको सरकार पहले बनाये और फिर बाद में उसको अपना न सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज दफतरों में क्या हालत है? आप किसी भी दफतार में चले जाइए वहां पर कुछ दिये लिये बगैर कोई कागज नहीं निकलता। बी.डी.ओ. के दफतर से दो–दो महीने तक कागज ही नहीं निकलते हैं अगर कोई उनको घी की पीपी दे दे तो काम जल्दी जो जाता है। आपके डायरैक्टोरेटस और सैक्रेटरिएट के अन्दर भी तीन–तीन महीने तक कागज अड़े रहते हैं

और बगैर रिश्वत के उन कागजों को निकालने का नाम ही नहीं लिया जाता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन हालात के अन्दर बिलों में बार–बार तरमीम करने से सरकार का जो पैसा खर्च होता है, पोस्टेज पर खर्चा होता है और कागजों के ऊपर खर्चा होता है कोई यह उचित बात नहीं है। यह कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर इसी तरह से गवर्नमैंट का पैसा खर्च होता रहा तो फिर इनसे खर्चा बढ़ेगा और इससे लोगों पर और टैक्स लगाए जाएंगे। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चाहूंगा कि यह जो लोगों के नुमांयदें हैं, इनके खिलाफ ईमानदारी के साथ कार्यवाही की जाए। जो कुरप्ट हैं उनके खिलाफ लाजमी तौर पर इन्कवायरी की जाए और जो अफसर ऐसे कामों में रूकावटें डालते हैं उन्हें भी सजा दी जाए। जो इस काम को कामयाब नहीं होने देते अगर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तब तो ऐसे कानून बनाने का फायदा भी है, नहीं तो फिर इन कानूनों का क्या फायदा?

दूसरा मुददा इस बिल का पंचायतों को सुपरसीड करना है। मैं यह कहता हूं कि प्रजातंत्र की कोई बात सरकार के दिमांग में नहीं है। इनका काम क्या है कि कमेटियों को मार्किट कमेटियों को सुपरसीड करके अपने आदमी उनके ऊपर ठोंस दो। हैरानी की बात यह है कि सराकर फिर भी कुछ नहीं करना चाहती। किसी भी सरपंच को एक पैसा खर्च करने का हक नहीं हे, और बी.डी.ओज. और सैक्रेटरी वगैरह को शामलात देह नीलाम करने की बड़ी–बड़ी पावर्ज दे रखी हैं। इसलिये जो यह बार–बार तरमीम करने के

लिये बिल पेश करते हैं, मैं इसकी मुखालफित करता हूं। ऐसा करने से गवर्नमैंट का खर्चा बढ़ेगा और गरीब जनता, गरीब लोगों के ऊपर टैक्स का भार पड़ेगा जो कि प्रजातन्त्र के लिये बिल पेश करते हैं, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। ऐसा करने से गवर्नमैंट का खर्चा बढ़ेगा और गरीब जनता, गरीब लोगों के ऊपर टैक्स का भार पड़ेगा जोकि प्रजातन्त्र के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि प्रजा का रूपया सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं इसकी मुखालफित करता हूं और यह चाहता हूं कि सरकार जो कानून बनाये उस पर पूरी तरह से अमल करे। सरकार की नीति बड़ी मोटीवेटिड है। इस सरकार का तरो यह काम है कि जो पंचायत आज सरकार की बात न माने उस पंचायत को सुपरसीड करक अपने पिट्ठू वहां पर छोड़ कर अपने मनमानियां करो। इन चीजों को देखते हुए मैं इसकी मुखालफित करता हूं और जो 6 महीने से 1 साल तक की जो अवधि बढ़ाई जा रही है इस बारे में मुझे कोई एतराज नहीं है। इन शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

चौ. राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर जो ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1974 प्रस्तुत हुआ है उसमें जो कुछ तरमीमें की गई हैं और जो 6 महीने से बढ़ा कर 1 साल की अवधि की जा रही है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि पहले ही पंचायतों के

अन्दर बहुत गड़बड़ी है। वहां की वरकिंग पहले ही बहुत बिगड़ी हुई है। अगर 6 मास की अवधि को बढ़ा कर एक साल कर दिया तो उसका मतलब यह है कि अब सरपंचों को एक साल तक और अपनी मनमानी करने के इखत्यारात मिल जाएंगे और उसका नतीजा यह होगा कि काम–काज में कोई बेहतरी नहीं आ सकेगी। अभी–अभी अमैंडमैंट मेरे हाथ में आई है हमारे मिनिस्टर साहब की ओर से। मैंने यह नोट किया हुआ था कि पहले तो सुपरसैशन लफज था किन्तु अब निकाल यिदा गय है यानी अब इनको गल्ती का एहसास हो गया है कि सुपरसैशन और सस्पैशन रह जाए। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो क्लाज तीन है उसमें यह लिखा है कि –

"3. For section 103 of the principal Act, the following section shall the substituted namely:-

103. Supersession of Gram Panchayat and consequences thereof – (1) If in the opinion of the Government a Gram Panchayat is incompetent to perform or persistently makes default in the performance of the duties imposed on it by or under this or any other Act or exceeds or abuses its powers or fails to maintain proper sanitation, collect taxes, or property manage shamilat deh vested in it or there is any other sufficient reason which necessitates the supersession of a Gram Panchayat the Govenrment may, be an Order published in the Official Gazette supersede it."

अब हो गया है सस्पैंशन और सुप्रसीड। तो डिप्टी स्पीकर साहब साहिबा, जो क्लाज 2 और 3 हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकेबल नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है कि एक तरफ तो सरकार ने कहा है कि –

"In the third proviso to sub-section (2) of section 9 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (hereinafter called the principal Act), for the words "six months", the words "ore year" shall be subsituted."

एक तरफ तो सरकार यह कर रही है कि 6 महीने की बजाए एक साल कर दो ताकि उनकी नजर के मुताबिक काम में मुदाखलत न हो और दूसरी तरफ सैक्शन 103 में लिखा कि उसको चाहे सुप्रसीड कर दे चाहे सस्पैंड कर दे। इसके अन्दर इतनी ज्यादा पावर्ज ले ली गई हैं जिससे यह क्लाज तो बिल्कुल अन–डैमोक्रेटिक क्लाज बन चुकी है। यह जो सरकार हर चीज को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है यह कोई अच्छी मिसाल नहीं है। इसलिये डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इसका विरोध एक तो जो पहले 6 महीने थे, वह ठीक है अगर ग्राम पंचायत के अन्दर वाकई गड़बड़ी होती है या सरपंच खराबी करता है तो ठीक है, मैंबरों को राइट है कि वे नौ–कन्फीडैंस मोशन ले आएं। लेकिन खराबी होने के बावजूद भी उसे एक साल बिठा देना यह दूसरी खराबी है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस अवधि को 6 महीने ही रहने दिया जाए। आज सरकार का बहुमत है और हमें हर चीज का भी पता है कि सरकार जो चीज चाहेगी वह करवा भी लेगी।

सरकार ऐसा करके सारी पावर्ज अपने हाथ में ले रही है। मैं मिसाल दे रहा हूं कि –

"If in the opinion of the Government a Gram Panchayat ..... fails to maintain proper sanitation, collect taxes, or properly manage shamilat deh vested in it- "

उसके साथ और कर दिया है –

".....or these is any other sufficient reason which necessitates the supersession of a Gram Panchayat....."

अब बताइये यह जो वर्डिंग लिखी गई है इसके नीचे क्या है? इसके नीचे यह है कि कोई पंचायत अपोजीशन के हाथ में आ जाए या कोई पंचायत सरकार की इच्छा के मुताबिक काम न करे तो सरकार उसे सुप्रसीड कर देगी और इसके साथ एक और बड़ा भारी अन्याय किया है कि अगर किसी को सुप्रसीड करना है तो उसको कम से कम सुनवाई का मौका तो दिया जाना चाहिये ताकि वह भी अपनी सफाई पेश कर सकें after giving an opportunity of explaining the charges within one month.

आप सरकारी नौकरियों की तरफ देख लें। जब किसी को नौकरी से निकालना होता है तो उसको पहले चार्जशीट दी जाती है, शो काज नोटिस दिया जाता है फिर वह अपनी सफाई पेश करता है अगर फिर भी उसका जवाब तसल्ली बख्श न हो तब उसे नौकरी से निकाला जाता है। सरकार ने इस बारे में रूल बनाए हुए हैं, किसी को वैसे ही नहीं निकाला जा सकता। जो

इसी तरह से सरकार को इन पंचायतों के संबंध में भी ऐसे ही रूल लागू करने चाहियें। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसको पास करने की स्वीकृति न दी जाए।

श्री निहाल सिंह (महेन्द्रगढ़): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल के जो आब्जैक्टस हैं वे तो ठीक हैं कि जो पंचायत अपनी डयूटी ठीक नहीं करती, उसको सुप्रसीड किया जाए। लेकिन इससे एक और फर्क पड़ने वला है, वह यह है कि अगर पंचायत को कोई मैम्बर अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन लूज कर देता है और एज ए पंच या सरपंच अगर उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन खत्म होगी तो उसका नतीजा यह होगा कि पंचायत समिति के मैम्बरों और चेयरमैन को भी छेड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिये कि एक पंचायत के सात मैम्बर हैं और सात में से दो मैम्बर इस किस्म क हैं जो सही काम करते हैं लेकिन पांच मैम्बर ऐसे हैं जो इस बिल के मुताबिक अपनी डयूटी पूरी नहीं करते तो नतीजा यह होता है कि वह सारी पंचायत सुपरसीड होती है। इसके साथ–साथ वे दो मैम्बर भी उस पंचायत से मौजूद हैं जो काम करते हैं लेकिन वे भी इस एक्ट के मुताबिक सुपरसीड हो जाएंगे, वे भी मैम्बरशिप से सीज हो जाएंगे। अगर कोई पंचायत किसी सरपंच को हटाना चाहेगी, तो वह जानबूझ कर ऐसा करेगी और उसका नतीजा यह होगा कि सारी पंचातय सुपरसीड होगी। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से यह चाहूंगा कि इस किस्म की सिचुएशन अगर अराइज

होती है कि जिनका कोई कसूर नहीं है वे नुकसान उठाएं तो सरकार को दोबारा सोचना चाहिए। जो बेकसूर हैं उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल आया है इसमें मांग तो यही है कि जो नो–कानुफीडैंस मोशन 6 महीने पहले आ सकता है वह एक साल के बाद आएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक तो यह बहुत अच्छी चीज है क्योंकि यह जो 6 महीने बाद हटाने वाली बात थी यह एक तमाशा बनाया गया था। मैं तो यह चाहूंगा कि उसमें नो–कान्फीडैंस सिम्पल मैजोरिटी से नहीं बल्कि 2/3 मैजोरिटी से होना चाहिए वरना यह होता है कि जो पंचायत अच्छा काम करती है वह काम नहीं कर सकेगी। इसलिए यह जो 6 महीने की बजाए एक साल किया जा रहार है यह अच्छी चीज है। जहां तक सुपरसैशन का सवाल है कि पंचायत सुपरसीड की जा सकती है, यह पावर तो सरकार के पास पहले ही है दफा 103 के तहत। अगर मेरै भाई इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो पता लग जाएगा कि गवर्नमैंट को इस बारे में पहले ही पावर है। अब तो उसकी वर्डिंग को ही ठीक किया गया है। अलबत्ता राव निहाल सिंह जी ने जो प्वायंट आउट किया है वह वाकई ऐसी चीज है जिसके बारे में मिनिस्टर साहब क्लैरिफाई कर दें। सारी पंचायत में से जो मैंबर अच्छा काम कर रहा है उसको सेफ कर दिया जाए। हां जो एक साल वाली बात है उसकी बजाए तो चाहे डेढ़ साल कर दिया जाए

लेकिन काम करने वाले और ईमानदार मैम्बर को सेफ रखा जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): डिप्टी स्पीकर साहिबा, सदन में पंजाब ग्रांम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1947 अंडर डिस्कशन है। मैं समझती हूं जैसा कि राव निहाल सिंह जी ने भी कहा कि इस बिल के एम्ज एंड आब्जैक्टस ठीक होते हुए भी इसका मिसयूज होगा और अगर खराबी एक पंच या दो पंच करते हैं तो सजा सबको ही भुगतनी पड़ेगी क्योंकि पंचायत सुप्रसीड होने से सभी हटेंगे और जो काम करने वाले अच्छे पंच हैं वे भी ब्लॉक समिति की मैम्बरशिप से आटोमैटिकली सीज कर जायेंगे। इस लिहाज से मैं समझती हूं कि यह बिल डिफैक्टिव है और इस बारे में हमें सोचना चाहिये। मैं मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगी कि इस बिल को दोबारा पार्टी मीटिंग में डिस्कस करें और हमें इसे पास करने से पहले इसके सारे प्रौस एंड कौन्ज में जाना चाहिये। मैं तो वैसे असूली तौर पर इस बात के खिलाफ हूं कि किसी इलैक्टिड बाडी का सुप्रसीड किया जाए। अगर किसी इलैक्टिड बाडी को जो जनता ने चुना है उसे इस तरह से खत्म कर दें तो फिर उसके इलैक्टिड बाडी होने का कोई फायदा नहीं होता है। फिर आप देखें कि कौन इसी बात का हिसाब किताब लगायेगा कि कौन सी पंचायत ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है? जैसा मन आयेगा वैसा ही होगा और जिसे चाहेंगे उसे

सुप्रसीड कर देंगे। यह तो इन इन्सीटीच्यूशंज को वाइंड अप करने वाली बात होगी। सरपंच का डायरैक्ट इलैक्शन करवा कर आप देखें कितने झगड़े गांव में शुरू हो गये हैं। रोजाना सरपंच के खिलाफ नो कन्फीडैंस मोशन पेश हो जाते हैं। इतनी पार्टीबाजी और लिटीगेशन गांव के अन्दर पैदा हो गई है कि हैरानी होती है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि देखने को तो यह अमैंडमैंटस बहुत अच्छी लगती हैं, एम्ज एंड आब्जैक्टस बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टीकली रिजल्टस ठीक नहीं निकलेंगे और इसे इस तरह पास करने से गांव में और भी ज्यादा खराबियां पैदा हो जाने की उम्मीद है।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस वक्त हाउस के सामने पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 19074 जेरे–बहस है और इसके जरिए पुराने ऐक्ट के तीन सैक्शन्ज 9103 और 109 को अमैंड किया जा रहा है। सैक्शन 9 में जो अमैंडमैंट करने जा रहे हैं उसका मकसद यह है कि नो कन्फीडैंस मोशन लाने की म्याद को 6 महीने की बजाये एक साल किया जा रहा है। पुरानी सैक्शन 103 के अनुसार यह था कि सुप्रसैशन होने के बाद जो पंचायत की प्रापर्टी होती थी वह ऐज इट इज पड़ी रहती थी लेकिन अब इसे अमैंड करके यह किया जा रहा है कि सारी प्रापर्टी गवर्नमैंट में वैस्ट करेगी यानी गवर्नमैंट जब भी चाहे किसी पंचायत को सुप्रसीड कर सकती है और इस सुप्रसैशन के बाद उस पंचायत की प्रापर्टी गवर्नमैंट की

तहवील में चली जायेगी। फिर आगे सैक्शन 109 आती है जिसे अमैंड करने जा रहे हैं। इसमें डिप्टी स्पीकर साहिबा यह है –

"(i) removes displaces or makes any alteration in, or interferes with any pavement, gutter, public street, fence, wall or post thereof, lamp post or bracket thereof, direction post, stand post, hydrant or other property of the Gram Panchayat."

सैक्शन 109 के तहत पहले यह था कि जो आदमी पंचायत की जायदाद पर एन्क्रोचमैंट करता था उसे 25 रूपये पैनल्टी देनी होती थी और उस एन्क्रोचमैंट के होने से पंचायत को जो नुक्सान होता था उस लौस को अदा करना पड़ता था। अब जो इसमें अमैंडमैंट करने जा रहे हैं उससे यह होगा कि पैनल्टी 25 रूपये की बजाये 100 रूपये की जा रही है और एन्क्रोचमैंट करने वाले को वह लौस भी अदा करना पड़ेगा जो कि पंचायत को उस एन्क्रोचमैंट की वजह से होगा। जब इन बातों को देखते हैं और इसके एम्ज एंड आब्जैक्टस को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ये बहुत ही बेहतरीन अमैंडमैंट हैं लेकिन अगर हम इस चीज को प्रैक्टीकल तौर पर देखें तो पता लगता है कि जिस स्पिरिट से यह बिल लाया गया है कि गरीबों की, हरिजनों की और कम आमदनी वाले लोगों की मदद करनी है और जो अच्छा काम करने वाली पंचायत है उनको एक साल तक सुविधा देनी है कि वह बगैर नो–कोन्फीडैंस मोशन के डर से काम करे लेकिन प्रैक्टीकल तौर पर यह बात होती नजर नहीं आती। इस बिल की स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजंज में लिखा है:

"At present there is no provision in the Act for the administration of the property of a Panchayat after its supersession and for assessment of the loss caused to Panchayat's property by any person other than Panch/Sarpanch.

Provision is, therefore, being made to administer property of the superseded Panchayat through an Administrator appointed by Government and to assess the loss caused to the Panchayats property by the Block Development and Panchayat Officer. Provision is also being made to extend the period for moving motion of no-confidence against a Sarpanch from six months to one year."

इस स्टेटमैंट के लिहाज से तो यह अमैंडमैंटस बहुत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं और इसकी ताईद करता हूं लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस एन्क्रोचमैंट के बारे में जो ऐक्शन पहले ही लिया जा रहा है पुराने ऐक्ट के अनुसार भी उस बारे में हमारा एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं, बड़ा बिटर है। आज हालत यह है कि पंचायतें लिटीगेशन की जड़ बनी हुई हैं। यह थ्री टायर सिस्टम है, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिशद। जिला परिशद तो पिछले दिनों समाप्त कर दिये लेकिन पंचायत समितियां और पंचायतें झगड़े की बुनियाद बन रही हैं। दो मैंबर एक तरफ हो जाते हैं और चार दूसरी तरफ चले जाते हैं और इस तरह पार्टी बाजी होती है और सारे झगड़े चलते हैं कि लोग खासतौर पर गरीब और हरिजन लोग बहुत तंग हैं। अब सैकशन 109 के तहत पहले ही क्या हो रहा है उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने

रखना चाहता हूं कि किस तरह से लोगौं को तंग किया जाता है। हमारे तहसील हांसी में बड़ छप्पर गांव है। वहां पर गरीब हरिजनों ने, कम आमदनी वाले लोगों ने आज से 15/20 साल पहले अपने मकान बना लिये थे। आप जानते हैं कि हरिजनों को गांव के बीच में तो रहने नहीं देते और ये लोग या शमशान भूमि के पास बसते हैं या जौहड़ के किनारे बसते हैं। मुरब्बाबंदी जो होती है उसमें भी इन लोगों को श्मशान भूमि के पास या जौहड़ के किनारे बसने के लिये, मकान बनाने के लिये जमीन देते हैं। तो बड़छप्पर गांव में भी ऐसा ही हुआ कि मुरब्बाबंदी में जो आबादी के लिये चार–चार पांच–पांच मरले जगह मिली वहां मकान हरिजनों ने बना लिये। गांव के बीच में से मकान छोड़कर जौहड़ के किनारे जमीन लेकर आज से कोई बीस साल पहले वहां मकान बना लिये। तो अब पंचायत ने वहां फैसला किया कि या तो 20/22 रूपए गज के हिसाब से उस जमीन के पैसे अदा करो नहीं तो मकान गिरा देंगे। वहां पर एक हरिजन सोल्जर है उसने भी वहां पर मकान बनाया। मिनिस्टर साहब खुद एक बड़े मिलिटरी अफसर रहे हैं, वह जानते हैं कि सोल्जर की क्या लाईफ होती है। तो वह फौजी छुट्टी लेकर आया और उसने वहां पर मकान बनाया 6/7 महीने पहले पंचायत ने फैसला किया कि जिस जमीन पर उसने बीस साल पहले, गांव के बीच की जगह छोड़ कर, मकान छोड़कर, जोहड़ के किसारे जमीन लेकर मकान बनाया उस जमीन के 20/22 रूपये गज के हिसाब से पैसे अदा करे। पंचायत ने उस जगह को चार हजार रूपया बनाया। उस फौजी के बूढ़े बाप ने कहा कि हम

गरीब आदमी हैं, मेरा लड़का फौज में है, बड़ी मुश्किल से हमने मकान बनाया है उसके पास इतने पैसे नहीं कि वह अदा कर सके। पंचायत ने फैसला किया कि हम सात दिन की मोहलत देते हैं। अगर 7 दिनों में पैसे दे दिए फिर तो ठीक है कि अगर नहीं दिए तो कहते हैं कि हम तुम्हारा मकान गिरा देंगे। वे पैसे दे नहीं सकते क्योंकि पैसे देने की पोजीशन में नहीं थे ओर पंचायत उनके मकान गिरा देती है। वैसे पंचायत लीगली लगा भी नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब यह है कि 4 हजार रूपये का डर दिखाकर उसका मकान गिरा दिया और इसी तरह से दूसरे हरिजन जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उनका भी गिरा दिया। इस तरह से पंचायतों ने 90 हजार रूपया इकट्ठा किया है। 90 हजार में से कितना बचने वाला है, कितना उनके पास है और कितना बैंक में जमा कर रखा है, इस बात का कोई पता नहीं। सरकार गरीबी हटाओ का नारा लगाती है, समाजवाद का दौर चल रहा है जिसमें हम गरीबों को रोटी देना चाहते हैं लेकिन अगर कोई हरिजन गांव में मकान बना लेता है तो कहते हैं कि नक्शा ठीक नहीं और बना बनाया मकान गिरा देते हैं। सरपंच एनक्रोचमैंट करके गली में बना लेता है और अगर कोई दूसरा आदमी बना लेता है तो उसको गिरा दिया जाता है डिस्मैंटल कर दिया जाता है। तो स्पीकर साहब, यह जो 100 रूपये की पैनल्टी चल रही है इसका गलत इस्तेमाल होता है, सही तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे गांवों की बाकायदा इन्क्वायरी करवाएं कि आया इस तरह की कोई घटना घटी है, अगर घटी है

तो उसके खिलाफ क्यों न इन्क्वायरी करवाई जाए और ऐक्शन लिया जाए। बडाला गांव है जिस में लोगों ने दो–दो, तीन–तीन, किल्ले जमीन ले रखी है, उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता और अगर कोई हरिजन हो तो उसके खिलाफ नोटिस दिया जा रहा है। इस तरह से एन्क्रोचमैंट का नाम लेकर इस एक्ट की सैंस, स्पिरिट को बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस स्पिरिट में हम एक्ट पास करते हैं अगर इसी स्पिरिट में इसकी इम्पलीमैंटेशन हो जाए फिर तो ठीक है वरना जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। मैं यह नहीं कहता कि सारे सरपंच नापाक हैं, इनमें बहुत से सरपंच ऐसे भी हैं जो नेकनीयती से काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि बडाले की बाबत इन्क्वायरी करवाएं कि क्या वहां पर इस तरह की एन्क्रोचमैंट हुई है जिसकी बिना पर हरिजन को अन–नसैसरी हैरस किया गया हो?

इस बिल में नो–कान्फिडैंस की बात है, मैं इसकी ताईद करता हूं क्योंकि 6 महीने के अन्दर तो सरपंच पुराना खाता लेता है और फिर अपना काम देखता है। पंचायत चुल्हा टैक्स वसूल करती है और दूसरे किसम के टैक्स भी वसूल करती है। इस चुल्हा टैक्स के नाम पर गरीब हरिजनों के साथ ज्यादती होती है। उनके पास भले ही राशन कार्ड हो, कोई भी आदमी उनको चीनी नहीं देता। जो चुल्हा टैक्स दे वह चीनी ले जाए और जो हरिजन न दे सके उसको चीनी नहीं मिलती। इस तरह से इसका गलत

इस्तेमाल हो रहा है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो ऐक्ट हम अमैंड कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि स्पिरिट आफ दी मूवर इज गुड, अगर इसकी इम्पलीमैंटेशन सही तौर पर करें लेकिन अफसोस कि इम्पलीमैंटेशन सही ढंग से नहीं होती। मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि जहां एन्क्रोचमैंट का सवाल हो वहां सामूहिक तौर पर पंचायत का प्रस्ताव एस.डी.ओ. के पास चला जाए और एस.डी.ओ. एग्जामिन करे कि आया पंचायत ने जो कुछ किया है ठीक किया है, क्या एक्चुअली एन्क्रोचमैंट हैं। अगर एक्चुअली एन्क्रोचमैंट है और सारे गांव ने एन्क्रोचमैंट किया किया है तो सारे गांव के खिलाफ यानी सारी पंचायत के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बात यह है कि फील्ड में जो पंचायत पावर में होती है वह एन्क्रोचमैंट कर जाती है। जहां पर दो आदमी एक तरफ हुए और दो दूसरी तरफ हुए तो इनमें जो पावरफुल होते हैं वे एन्क्रोचमैंट कर जाते हैं और जिन लोगों ने एन्क्रोचमैंट न भी कर रखा हो उनके खिलाफ नोटिस देकर हैरस किया जाता है। जो पावर में है वहा जहां चाहे दीवार बना सकता है, गिरा सकता है, जोहड़ में गली में कोठा बना सकता है, कहीं पर भी दरवाजा निकाल सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि जहां एन्क्रोचमैंट का सवाल है, जहां से पंचायत का प्रस्ताव आए वहां पर एस.डी.ओ. सिविल मौके पर जाकर सारे गांव की तहकीकात करे लाल डोरे के अन्दर, लाल डोरे के बाहर, आबादी देह के अन्दर, आबादी देह के बाहर देखे कि कहीं एन्क्रोचमैंट तो नहीं है? डिप्टी स्पीकर साहिबा,

मैं एन्क्रोचमैंट के हक में बिल्कुल नहीं हूं क्योंकि इससे गलियों से गाड़ियां नहीं निकलती, पशु खड़े नहीं हो सकते। गलियों में जहां देखो कोठड़े नजर आते हैं। ऐसा मालूम होता है गांव के अन्दर कहीं पर जमीन नहीं रहेगी, कोठे ही रहेंगे। चार दीवारी खड़ी कर रखी है, कहीं गरीब आदमियों के पशु खड़े होने के लिए जगह नही छोड़ रखी। पिछले दिनों इस एक्ट में अमैंडमैंट आई है जिसके अनुसार आबादी–देह पंचायत की प्रापर्टी हे लेकिन आज कितने गांव ऐसे हैं जिन में लोगों ने गलियों को घेर रखा है, कितने गांव ऐसे हैं जहां पशुओं को खड़े होने के लिए जगह नहीं है। तो इस मामले में जब तक सख्ती से नहीं निपटा जाता तब तक इस एक्ट की इम्पलीमैंटेशन नहीं हो सकती। जब तक इस भावना को कम नहीं किया जाता कि गरीब आदमी को अन–नसैसरी हैरस किया जाए, अगर किसी आदमी की बात कोई सुनने वाला न हो, वह बी.डी.ओ. तक पहुंचने वाला न हो, एस.डी. ओ. सिविल के पास उसकी पहुंच न हो तो उसका मकान गिरा दिया जाए और जिसने चारों तरफ से रास्ते रोक रखे हों और बी. डी.ओं., एस.डी.ओ. सिविल तक पहुंच हो उसको कोई छेड़ता ही नहीं। यह भावना देखने में आ रही है कि गरीब को मारो और शक्तिशाली का पक्ष लो। इसकी तरफ सरकार को खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा, वे इस मामले में ऐक्टिव हैं क्योंकि पंचायतौं का महकमा उनके पास अभी–अभी आया है, उनसे निवेदन है कि वे सारे गांवों की एक समरी मंगवाएं ताकि पता चले कि पंचायतों में किस तरह की

एन्क्रोचमैंट है, किस तरह से एन्क्रोचमैंट करती है? मैं आपको कहूंगा कि कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर एन्क्रोचमैंट न हो। यह जो अमैंडमैंट की जा रही है यह कम है, इससे भी ज्यादा सख्ती हो क्योंकि जो एन्क्रोचमैंट करे उसको सजा हो, उनके लिए यह सजा ज्यादा नहीं है लेकिन अगर किसी को कोई कसूर न हो और बिना कसूर से सजा मिल जाए तो बड़ी बेइन्साफी वाली बात है .....

उपाध्यक्षा: आपका टाईम हो चुाक है, खत्म करें।

श्री अमर सिंह: अभी खत्म कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि एन्क्रोचमैंट की मद में उन्ही लोगों को नुक्सान पहुंचाया जा रहा है जो लावारिस हैं जो वास्तविक गुनाहगार हैं उनको कोई छेड़ता ही नहीं। तो जो इसकी भावना है, एम्ज एंड औब्जैक्टस हैं उनकी तारीफ करता हूं और अपना स्हिाान लेता हूं।

श्री के.एन. गुलाटी (फरीदाबाद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो अमैंडमैंट हमारे सामने है इस के सम्बन्ध में मैंने अपने इलाके के बड़े बड़े गावों में देखा, जहां ग्राम पंचायतें हैं वहां देखा कि फन्डज होने के बावजूद भी गलियों मैं कीचड़ भरा पड़ा है, ईटें भी नहीं लगवाते सड़क बनानी तो एक तरफ रही। ईटें तो मिलती हैं, लगवा सकते हैं लेकिन कीचड़ भरा पड़ा है। जहां सरकार ने बड़ी मेहनत से अप्रोच रोड़ज दी हैं वहां पंचायतें इनकी देखभाल नहीं करती। सड़कों में कट पड़ गए हैं, कम से कम पंचायत कट

ही भर दे। मैं कहता हूं कि यह अमैंडमैंट बहुत अच्छी है क्योंकि जो पंचायतें काम नहीं करती, गावों की तकलीफ नहीं देखती सरकार पब्लिक के हित में उनको सस्पैंड करे, सरकार का यह फर्ज है, हक है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो 6 महीनपे की बजाए एक साल की बात आई, मैं इसको पसन्द करता हूं क्यांकि जो सरपंच 6 महीने तक काम करता है दूसरे व्यक्ति जो उसको चलने नहीं देते उनके विरूद्ध उस सरपंच को यह संशोधन प्रोटैक्ट करेगा। मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं, यह बहुत अच्छा है, हाउस इसको पास कर दें।

चौ. चांद राम (बबैन–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब इतनी जल्दी जरूरत पड़ गई कि किसी सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए 6 महीने की बजाये एक साल का असग्र होगा। यह जो है यह इस बिल के जरिए इन्होंने कहा है लेकिन बात यह है कि जब यह बिल बना था उस वक्त हमने यह बात इन्हें कहीं थी कि अगर आपने सरपंच का चुनाव बालिग वोटर्ज के द्वारा सीधा चुनने की बजाय अपनी पंचायत में से चुना जाये तो यही हालत होगी, अविश्वास प्रस्ताव आएंगे और आपके लिए काम करना, सरपंच के लिए काम करना निहायत नामुमकिन हो जाएगा आज यह बात इस अमैंडमैंट के जरिए गर्वनमैंअ नै माल ली मैं फिर कहता हूं कि पंजाब में इस बात का प्रोविजन है कि सरपंच जो है गांव का वह गांव की आबादी से अडल्ट वोटर्ज के सीधा चुना जाता है दिल्ली में भी

सीधा चुना जाता है और दूसरी अन्य स्टेटस में भी सीधा चुना जाता है लेकिन हमारी स्टेट में पता नहीं क्यों यह बात इन्हें पसन्द नहीं आती? हमारी स्टेट में भी, सन् 1956 से पहले जबकि ज्वायंट पंजाब था, यह बात आई थी कि पंचों में से सरपंच चुना जाएगा। हमने इस बात को बहुत ऐग्जामिन किया क्योंकि सरदार प्रताप सिंह कैरों देहात के रहने वाले थे, इन बातों को अच्छी तरह से जानते थे, बहुत से दूसरे आदमी भी जानते थे और मैं भी उस वक्त सन् 56 में डिप्टी मिनिस्टर पंचायत था। उस वक्त यह फैसला यिका गया था कि सरपंच का चुनाव इनडायरैक्ट करने से गांव में पार्टीबाजी हो जाएगी क्योंकि पंच कभी इधर हो जाते हैं और कभी उधर हो जाते हैं, इसलिए गांव की जिम्मेदार आबादी सरपंच को चुने। मेरा ख्याल है कि कोई भी मैम्बर साहब इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि गांव में सरपंच ही असल में काम करता है। अगर उसकी मर्जी हो तो काम हो जाता है और उसकी मर्जी न हो तो काम नहीं होता। कई पंच अच्छे हैं और काम करना चाहते हैं लेकिन कई पंच मुखालफित में हो जाते हैं। सरपंच के पास मैजोरिटी होती है, फंडज होते हैं और कु अधिकार भी होते हैं। तो कुदरती बात है कि इसके लिए कुछ लोग दौड़ धूप भी करते हैं। आज तो हालत यह है कि कचहरी में ही इनके सरपंच खड़े रहते हैं। इतने दावे होते हैं, इतने दावे वे करते हैं कि गांव को उन्होंने नर्क बना दिया है। डिप्टी सपीकर साहिबा, आज लो मिल्टरी से आते हैं। सोचते हैं कि गावं में बसेंगे लेकिन गांव में घुसते ही वातावरण ठीक नहीं पाते। गांधी जी ने कहा था

कि पंचायतों को अख्तियार देने हैं। उन्होंने कहा था कि डीसैन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर्ज की जाएगी, शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेसियों को कहा था कि तुम पावर्ज के केन्द्रीयकरण की तरफ न देखो बल्कि विकेन्द्रीयकरण की सोचो और गांव वालों को अपने पैरों पर खड़ा करो। अभी जैसे यहां जिक्र किया गया मैं भी यह कहता हूं कि आज अगर गांव और शहर का मुकाबला करें तो गांव को आप क्या पाओंगे? नालियां वहां ठीक नहीं, गलियां वहां ठीक नहीं, ऐरी–गेरी चीज इधर–उधर पड़ी होगी, टेढ़ी–मेढ़ी इस तरह से होगी कि गांड़ी वहां से निकल नहीं सकती, पशुओं का निकलना भी बड़ा मुश्किल है और गलियों में ही चूल्हे लगे होंगे। बड़े–बड़े जमींदारों के चूल्हे भी आपको गलियों में मिलेंगे। कभी अगर कोई डाक्टर चला गया ओर उसने कह दिया कि सफाई करके रसोई ऐसी जगह डालो जहां साफ खाना मिल जाए तो उसका भी वहां कोई असर नहीं होता। अच्छे से अच्छे लोग, ग्रेजुएट और एम.ए. पास हैं वे भी गली में चूल्हा डाले हुए हैं क्योंकि वहां कोई जगह नहीं। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, आजादी के 27 साल के बाद भी इस सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। इनको चाहिए कि ये गांव को ऐसा गांव बनाएं जिससे शहर की तरफ लोग न जांए बल्कि शहर से उल्टे गांव में लोग वापिस आएं। अगर बसा नहीं सकते तो इतना तो कर दें कि कम गांव में रहने वाले लोग वहां बसें। गांव में बसे हुए लोग वहां तभी बसेंगे जब वहां का वातावरण अच्छा होगा। रूलिंग पार्टी से बोलने वाले कई माननीय सदस्य भी इस तरह की बातें कह रहे

थे। आज जरूरत इस बात की है कि गांव से कटुता, वैर, विरोध ओर वैमनस्य जो है वह कैसे दूर किया जाए और गांव को स्वर्ग कैसे बनया जाए? हमारा देश नगरों का देश नहीं है, गांवों का देश है। इसलिए निहायत लाजमी है कि यदि हम गांव को वर्थ लिविंग बना सकते हों तो हमें बनाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, श्री अमर सिंह जी ने कहा कि बटाला गांव में नोटिस हुआ। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एक गांव की क्या बात है, इस तरह के तो बहुत से केसिज होते हैं। अगर किसी सरपंच की किसी हरिजन से लगती है तो वह नोटिस दे देगा क्योंकि उस बेचारे के पास कोई सबूत नहीं है कि घर उसका है, मकान उसका है। गांव के अन्दर कौन सा बाड़ा किसका है, मकान किसका है इस बात का कोई सबूत नहीं होता। इसका एरिया इतना है, मशरक में है, मगरब में है, इतनी इधर जगह है इतनी उधर गली है, इन चीजों को बताने वाले, आज 27 साल के बाद भी यह हमारी बदकिस्मती है कि कोई नक्शे वहां नहीं बनाए गए हैं। पटवारी वहां मौजूद हैं और ग्रामसेवक वहां मौजूद है। ये झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर गांव के नक्शे बनवा दिए जाएं। नक्शे बनवा कर ये लोगों को कहें कि यह तुम्हारा कब्जा है, अगर किसी ने इतनी मन्याद के भीतर कोई एतराज करना हो तो कर ले वरना ये नक्शे पर्मानैन्ट रिकार्ड के रूप में बनवा दए जाएंगे। इनके बगैर दूसरों की निस्बत हरिजनों को आज बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हरिजन गैर–बिस्वेदार हैं। उसको अपना कब्जा

साबित करना पड़ताहै। सिविल कोर्ट में भी यदि वह जाता है तो वह कहते हैं कि बता तेरे पास क्या सबूत है? जबानी गवाह यदि वह देता है तो प्रोप्राइटरी और नौन–प्रोप्राइटरी राईटस के छो धड़ों में वह पिछ जाता है। पंचायत भी गवाही देती नहीं। किसी हरिजन गवाह को यदि वह पेश करता है तो कहा जाता है कि यह हरिजन इंट्रेस्टिड गवाह है, इसने प्रपोज किया है इसलिए यह भी गवाही नहीं देगा। कोई ऐसा फैसला है जिसमें कहा गया है कि हरिजन की गवाही काबिलें–गवाही नहीं। अब आप ही बताएं हरिजन बेचारा कहां जाए? अगर गैर–बिस्वेदार के पास नक्शा होगा तो जो ताल्लुकात बिगड़ते आ रहे हैं वे सुधरेंगे। आज जरूरत है मुकदमें कम करने की। क्या ही अच्छा हो यदि इसके अन्दर लोग जाये ही नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अगर यह सोच सकें कि सरपंच का चुनाव .....

Deputy Speaker: Please speak on the bill under discussion.

चौ. चांद राम: इसी पर बोल रहा हूं। मैं यह कहने जा रहा था कि सरपंच का चुनाव अगर डायरैक्ट करेंगे इनडायरैक्ट की बजा तो यह जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए 6 महीने का अर्सा रखा गया है या जिसे अब 6 महीने की बजाय एक साल किया जा रहा है इसके प्रोविजन की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह सरकार गांव में नक्शे जरूर बनवाए।

इसके लिए इसे चाहे कुछ भी खर्च करना पड़े इसे करना चाहिये। वैसे ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इनके पास ऐजैन्सी है। कर्नल साहब गांव के रहने वाले हैं, फौज में रहे हैं, काफी तजुरूबा है, वैसे भी ऊमर–रसीदा है, मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर ये मुकदमों को मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं तो किसी प्रकार से गांव में नक्शे जरूर बनवाएं। यह नहीं कि नक्शे बनवाने के लिए ड्राफ्टसमैन बुला लें। ड्राफ्टसमैन की इनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां पटवारी मौजूद हैं, ग्रामसेवक मौजूद है और मौजूदा जो कब्जाजात है उनके ये इन्हीं से ही नक्शे बनवा सकते हैं। उसके बाद ये प्द्धलान आउट करके गांव को माडल विलेज बनाएं। माडल विलेज का यह मतलब नहीं कि उसमें फ्लश सिस्टम हो, सैनिटेशन का इन्तजाम हो और वाटर वर्कस आदि का इन्तजाम हो। यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि वहां गलियां और सड़कें पक्की हों और प्लैन्ड ढंग से वह बना हो। डिप्टी स्पीकर साहिबा, चकबन्दी की ये बड़ी बड़ी बातें यहां करते हैं। ये कहते हैं कि लोगों को बड़े बड़े प्लाट चकबन्दी में मिले हैं। मेरा तो ख्याल है कि शायद वन थर्ड गांव नहीं तो दस बीस फीसदी गांव ऐसे होंगे जहां अभी भी चकबन्दी नहीं हुई है। अभी भी ये गांव को प्लान आउट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये तुम्हारे नक्शे हैं। मैं तो समझता हूं कि अगर ये ऐसा कर देंगे तो अच्छा होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें एक बात और है। इसमें यह किया जा रहा है कि गवर्नमैंट की मर्जी में, यदि वजह काफी है तो यह पंचायत को सुपरसीड कर सकती है। ऐसी हालत में सरपंच के सामने कोई चारा नहीं। वह ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट में जाएगा। वहां ही वे जाते हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है और आज भी बहुत से मुकदमें चले हुए हैं। एक गांव हमारे हरियाणा में ऐसा है जहां काफी अर्से से पंचायत नहीं है। शायद वह चीफ मिनिस्टर साहब का गांव गोलागढ़ है। इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चला है। ऐसी जो हालत है इसका भी इलाज हो जाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात और कहता हूं। हमारी शामलात देह का कानून ऐसा है कि किसी शामलात देह की प्रौपर्टी अगर मिस–यूज होगी तो वह गवर्नमैंट में वैस्ट करेगी और बी.डी.ओं उसे ऐडमिनिस्टर करेगा। ये जरा इस बात की रिपोर्ट तो मांगे कि कितनी ऐडमिनिस्टर की या नहीं की। श्री अमर सिंह जी कह रहे थे कि गांव में जो शामलात जमीन है वह पंचायत के एिल एक बड़ा सोर्स आफ इन्कम है क्योंकि हाउस टैक्स लोग देते नहीं। तीन–तीन चार–चार साल तक वह पड़ा रहता है। अब आपने एक मोहिम चलायी है कि लोगों से हाउस टैक्स लें लेकिन जो गांव में शामलात देह की जमीन है उससे भी पंचायत को काफी आमदनी हो सकती है। उस आमदनी से गांव का काफी भला हो सकता है। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन आ गया कि जो बचत लैन्ड है, जो पाना शामलात जमीन

है, ठोका शामलात जमीन है, उनको वैस्ट नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह की कोई हाईकोर्ट की जजमैन्ट आती है, उसके विशय में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह गवर्नमैंट की जानकारी में है या नहीं है, मुझे पता नहीं है, जानकारी होते हुए भी क्यों नहीं सरकार इन्तजाम करती है। जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त दौलता साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गैर–बिसबेदार को प्लाट, बिसबेदारों को बगैर मुआवजा दिये, नहीं दे सकते। इसलिए हमें कोई प्रोविजन करना पड़ेगा और खासतौर से इस मामले में पंडित चिरंजी लाल को देखना पड़ेगा। उनको नौमीनल कम्पैनसेशन दे करके या कुछ और रास्ता निकाल कर उसका इन्तजाम करना पड़ेगा वरना जो गैर–बिसवेदार हैं वे बेचारे लटके रहेंगे। उनकी जो मलकियत है वह कानूनी मलकियत नहीं होगी।

Deputy Speaker: Please wind up your speech. You have taken too much time.

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मैं तो हकीकत ब्या न कर रहा हूं।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: अभी चीज मिनिस्टर साहब, के गांव का जिक्र कर रहे थे। यह कटाक्ष नहीं था तो और क्या था?

चौ. चांद राम: मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायत की शामलात जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया जाता है या

प्रोपराइटी बाडी, सरपंच, पंच से मिल कर सिविल अदालत के कोलिसिव डिग्री ले लेते हैं और वह डिग्री लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट हो जाती है और जब कोलिसिव डिग्री एग्जीक्यूट होगी तो कुदरती तौर पर शामलात जमीन बटेगी। इस तरह से पहले जो शामलात जमीन होती थी उसमें हरिजन यहा गैर–बिसवेदार अपने पशु वगैरह चरा लेते थे परन्तु अब वे नहीं चरा सकते। आज तक इस गवर्नमैंट को यह ख्याल नहीं आया कि हरिजन या गैर–बिसवेदार उस जमीन की सुरक्षित रखने के लिए क्यों इसके लि मुकदमें करें, इसके लिए तो सरकार को मुकदमा करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण मुहाना गांव, जो सोनीपत तहसील में है, का देना चाहता हूं। उस केस में पंडित चिरजी लाल शर्मा वकील थी। उस केस के अन्दर सुप्रीम कोर्ट से भी जीत लिए लेकिन 16 साल हो गये, वह मुकदमा अब भी चल रहा है। अब वह लोअर कोर्ट में है। उस मुकदमें के लिए बेचारे गरीब हरिजन दूर–दूर से चन्दा इकट्ठा करके लाये हैं तब उन्होंने कहीं वकील की फीस अदा की है। आप ही बताइये कि हरिजनों को क्या मिलेगा? वह तो गांव की शामलात पंचायत की जमीन है। आपको पता है कि शामलात जमीन पर गांवों के पशु वगैरह खड़े हो जाते थे लेकिन अब खड़े होने को जगह ही नहीं रही। डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं इस मुहाना गांव के मुकदमें से हैरान हूं कि हरिजन क्यों मुकदमा करें? मुकदमा तो सरकार को करना चाहिए। यह लाजमी बात है कि इस मुकदमें से जो बिसवेदार हैं और दूसरी तरफ जो हरिजन तथा गैर–बिसबेदार हैं उनमें आपस में

दुश्मनी होती हैं उनके ताल्लुकात बिगड़ते हैं। सरकार को उनके ताल्लुकात सुधारने की कोशिश करनी चाहिए न कि उन्हें बिगाड़ने की कोशिश करनी चाहिए।

Deputy Speaker: Please speek on the bill and not general. It is not discussion on the Budget speech.

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं इस बिल पर ही बोल रहा हूं। पंचायत की प्रोपर्टी को काबू में रखने की सरकार की डियूटी हैं। इसके लिए गवर्नमैंट के अफसर जैसे पंचायत अफसर या बी.डी.ओं. वगैरह मुकदमा लड़ें, न कि हरिजन या गैर–बिसवेदार लड़ें। अगर वे मुकदमा लड़ेंगे तो हरिजन और जमींदार के ताल्लुकात खराब होंगे, उनको सुधारना हमारा फर्ज है। गावों में ताल्लुकात खराब होने का कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ इसी कारण से आजकल गांवों में ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। दोनों ही मेहनतकश तबके के आदमी हैं। अगर गवर्नमैंट इस मुश्तरका जमीन का कोई फैसला नहीं करती है तो ये झगड़ते रहेंगे। मैं कर्नल साहब से निवेदन करूंगा, वे फौजी आदमी हैं उनको इस तरह की हिदायत करनी चाहिए कि कोई कौलेसिव सूट न हो। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 1 नवम्बर, 1966 से लेकर आज तक पांच छः साल के अर्से में किस गांवों में कितने कौलसिव सूट हुए हैं, कितनी डिग्रीज हुई हैं, कितने केसिज पैंडिंग हैं, कितनी जमीन गांवों के अन्दर सुरक्षित है, कितनी रिकार्ड में जमीन थी, उसकी एक लिस्ट आप मांगे। मैं आपसे यह सब इसलिए कह

रहा हूं कि जो गांव की सुन्दरता थी उस शामलात जमीन से वह अब खत्म हो गई है। उस शामलात जमीन में रेवड़ वगैरह घूमते थे, हरिजनों के और गैर–विसबेदार के पशु वगैरह चर लेते थे लेकिन अब वे नहीं घूम सकते हैं। अब बिल्कुल गांव से मिलते हुए लोगों के खेत हैं। गावों में औरतों के टट्टी जाने के लिए भी स्थान नहीं है। अगर यह सरकार गांधी जी का नाम लेने वाली सरकार है तो इसके लिए जरूरी है कि वह गांधी जी के स्वप्न को पूरा करे। औरतों की लैटरीन का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। जब तक यह प्रबन्ध नहीं होगा तब तक गांवों में जो सैनीटेशन की समस्या है वह यों ही बनी रहेगी। आजकल गांवों में रफाहाजत फिरते की कोई जगह नहीं है। आप किसी भी गांवों में चले जाइये, आपको बदबू आयेगी, आपको गांवों में कूड़ी ही कूड़ी मिलेगी। आज यह सरकार हरिजनों को मिन्योरपिट नहीं दे सकती। जब उनको मिन्योरपिट नहीं मिलेंगे तो वह खेतों में कूड़ा डालेंगे। अब वे किस के खेत में डालें। इसलिए हरिजनों को जगह मिलनी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि बिक्रिंग का जो कारण है, झगड़े का जो कारण है, वह यह है। हरिजनों को यह सुविधा देनी चाहिए। सरकार को उनके लिए प्रबन्ध अवश्य करना चाहिए। गांवों से हमारे एम.एल.ए. आये हैं, वजीर आये हैं। इनका यह फर्ज है कि वे उनके लिए प्रबन्ध करें। गांवों की पंचायत प्रबन्ध करे। अगर हम यह अंकुश लगायेंगे तो पंचायत पनप नहीं सकती। पंचों और सरपंचों को सांस लेने दें, जीने दें। डैमोक्रेसी के अन्दर उनको पूरी आजादी मिलनी चाहिए।

आज उन्हें फ्रीडम दे दें ताकि वे पनप सकें। यदि बच्चे को चलने–फिरने नहीं देंगे तो वह कैसे पनपेगा। बच्चे को घूमने फिरने देंगे तभी वह कुछ सीखेगा। पंचायत आफिसर से या किसी अफसर को वे सौ–दो सौ रूपये देकर अपने कुछ कागजों को दबवा दें, जांच न होने दें लेकिन अगर किसी सरपंच ने हिसाब किताब में गड़बड़ की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सरपंचों को सारी बातों के बारे में सिखाना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। जिस तरह से आप फैमिली प्लानिंग पर इतना ज्यादा जोर देते हैं अगर आप इस बात पर ज्यादा जोर दें कि हमारे सरपंच वगैरह भी कुछ सीखें तो वह ज्यादा लाभदायक होगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया। मैं यही बातें आपके द्वारा सरकार से अर्ज करना चाहता था। आशा है सरकार इन पर विचार करेगी।

चौ. शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य चौ. चान्द राम जी ने शामलात जमीन के विशय में कहा और उस शामलात जमीन को छोड़ने का सुझाव दिया है। मुझे भी मालूम है कि शामलात जमीन के काफी झगड़े हैं। ये समाप्त होने चाहियें।

Deputy Speaker: I would request the hon. Member that he should speak only on the bill under discussion.

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा ख्याल है कि

जो बिल का स्कोप है उसके अन्दर मैम्बर साहिबान बोल सकते हैं। रूल्ज के मुताबिक तो ऐसा है। इस बिल में जो अमैंडमैंट आयी है उसमें सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने में छः महीने के पीरियड की बजाए 12 महीने कर दिये हैं। यहां पर शामलात देह की जमीन का कैस जिक्र आ गया? यदि मैम्बर साहिबान को वैसे ही बोलने का शौक है तो दूसरी बात है।

चौ. शिव राम वर्मा: डिप्टी स्पीकर साहब मैं तो सुझाव दे रहा हूं।

चौ. राम लाल वधवा: मूल अधिनियम की धारा 103 के अन्दर ये सारी बातें लिखी हुई हैं।

Deputy Speaker: You cannot give 'sujhav'. You can speak on the bill before the House and I would request you to confine yourself to the bill before the House.

चौ. शिव राम वर्मा: अब जो सरकार की ओर से संशोधन आया है, उसमें छः महीने की बजाए एक साल है यानी सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव छः महीने की बजाए साल भर में हो। मैं समझता हूं इस बात पर झगड़ने या कहने की कोई बात नहीं है। अगर किसी सरंपच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास भी कर दिया गया हो तो उस पर कार्यवाही करने में साल भर लग जाता है। जहां सरकार ने छः महीने का टाईम अविश्वास प्रस्ताव के लिए रखा हुआ था उसको अमल में लाने के लिए एक साल और लगता है तो इसमें एक साल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता

है। यह कोई झगड़े की बात नहीं है। मैं सरकार के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई मियाद नहीं है तो सरपंच के लिए मियाद क्यो हो? अब इसी सैशन में उसके विरूद्ध अविश्वास–प्रस्ताव आ सकता है, चाहे एक महीने के बाद जब सैशन आये तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। जब मुख्यमंत्री के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई मियाद नहीं है तो सरपंच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने में क्या आपत्ति है? अगर कोई सरपंच अच्छा काम नहीं करता है, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव की मियाद छः महीने की बजाए एक साल बढ़ाना मनमानी करने देने की छूट देने वाली बात है। जहां कुछ सदस्यों ने यह कहा कि छः महीने की मियाद ही ठीक थी एक साल की नहीं होनी चाहिए साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि इन–डायरैक्ट चुनाव की बजाए सरपंचों का चुनाव सीधा होना चाहिए। इसकी एक भी मिसाल आपको नहीं मिलेगी जिसमें सीधे चुनाव होने के बाद किसी सरपंच के खिलाफ एक ही अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ हो। इसकी एक भी मिसाल नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। सरपंच को छूट होती है, इसलिये वह पंचों की परवाह नहीं करता। डायरैक्ट चुनाव से तो सरपंच पर पंचों का कोई दबाव ही नहीं है। वह किसी भी पंच की परवाह करे या न करे और जो मर्जी आये करता रहे। डायरैक्ट चुनाव की प्रथा क्यों हटाई गई? पहले इनडायरैक्ट चुनाव होता था। सरदार प्रताप सिंह कैरों के वक्त में डायरैक्ट चुनाव कियाग या था लेकिन

बाद में उसमें संशोधन करके उसाके फिर उसी तरह से इन–डायरैक्ट कर दिया गया। यह सब तजुर्बे की बिना पर हुआ क्योंकि सरपंच के डायरैक्ट चुनाव से गांव में पार्टीबाजी पैदा हुई और वह पार्टीबाजी को थोड़ी–बहुत नहीं, बहुत बढ़ी, इससे लोगों में दुश्कनियां बढ़ीं और पंचायत ठीक तरह से काम नहीं कर सकी। इसलिये फिर से यह इन–डायरैक्ट चुनाव की प्रथा लायी गयी कि पंचों में से सरपंच का चुनाव हो ताकि पंचों का सरपंच पर कुछ न कुछ दबाव रहे और यह ठीक तरह से काम करता रहे .....(घंटी)

Deputy Speaker: Please wind up your speech.

चौ. शिव राम वर्मा: मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि कोई मियाद ही नहीं होनी चाहिये। जब चाहें पंच सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकें, ऐसा होना चाहिये। एक दूसरी बात सुपरसैशन या सस्पैंशन की आई है। मैं यह कहूंगा कि इसमें भी केन्द्रीकरण करने की कोशिश करना, डैमोक्रेसी के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें पंचायतों के ऊपर यह डर बना रहेगा कि सरकार पता नही कब नाजायज हो जाये, जब नाराज होगी, उसी वक्त हमें सुपरसीड कर देगी। अगर वह गलत ढंग से भी सुपरसीड कर दे तो फिर हाई–कोर्ट में जायेंगे तो 6 महीने या साल तो अवश्य लगेगा, हजारों रूपये खर्च होंगे। फिर कहीं उसका नतीजा निकलेगा। इसलिये उनके ऊपर किसी भी काम को करते वक्त एक भय का वातावरण बना रहेगा। मेरा कहना यह है कि इस तरह से कोई बात नहीं होनी चाहिये

कि इस चीज का ज्यादा नाजायज इस्तेमाल हो अच्छा जनतंत्र नीचे से पनपता है। पंचायत हमारी प्राइमरी इकाई है। उसको काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। गलतियां वे भी कर सकती हैं जैसे सरकार भी करती है। वे गलतियों भी कर सकती हैं लेकिन वे सुधारी जा सकती हैं बजाये इसके कि उनको ..... (व्यवधान) देखियें, इन संशोधनों क खिलाफ कहते–कहते मैं यह सुझाव भी साथ–साथ देना चाहता हूं कि सरकार इसके बजाए क्या करें? जो यहां पर यह बात अभी आई है सुपरसैशन और सस्पैंशन की, सरकार इसकी तरफ से ध्यान हटाकर गांव के नक्शे बनसा दे। इससे बहुत से झगड़े हल हो सकते हैं। (Interruptions)

Deputy Speaker: No interruptions please.

चौ. शिव राम वर्मा: गांव के नक्शे बनने से बहुत से झगड़े हल हो जायेंगे यह सुझाव पहले भी कई बार आ चुका है ... .(व्यवधान)

Deputy Speaker: No repetition please.

चौ. शिव राम वर्मा: रैपीटीशन तो आपकी सरकार भी कई बार करती है। हम तो सही बात करते हैं कि गांव के नक्शे बनाने से बहुत से झगड़े हल हो जायेंगे।

Deputy Speaker: This is again a repetition of the things already said.

चौ. शिव राम वर्मा: मैं यह चीज इसलिये दोबारा ध्यान में लाना चाहात हूं क्योंकि सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है। गांव के नक्शे न बनने की वजह से झगड़े बहुत बढ़े हैं और इसकी वजह से भी पंचायतों में पार्टीबाजी हुई है। लोग दुश्मनी निकालने के लिये प्राईवेट जगह को भी पंचायत की जगह बनाने के लिये अर्जी दे देते हैं। यदि नक्शे बन जायें तो इस तरह के सारे झगड़े निपट जायेंगे और लोग उसके मुताबिक ही अपने मकान बनायेंगे।

Deputy Speaker: I will request the Hon. Member to speak on the Bill. No repetition. आप चीज को दोहरा रहे हैं। ... . (व्यवधान एवं शोर)

चौ. शिव राम वर्मा: इसके साथ मैं कहूंगा कि पंचायतों तथा पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए अलग हलके बनाए जाएं ताकि चुनाव आसान हों। आप कहती हैं तो मैं स्पीकर बन्दर कर देता हूं। मैंने इस संशोधन का, जो यहां आया हे, विरोध इसलिये किया है क्योंकि इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। इसके बजाये जो सुझाव यहां दिये गये हैं, उनको संशोधरन के रूप में लाया जाये तो उससे ज्यादा लाभ हो सकता है। इसलिये मैं आशा करूंगा कि अगर मंत्री महेादय इसको वापिस लेकर इसकी बजाये दोबारा अच्छे संशोधनों के साथ आयेंगे तब हम भी उनका स्वागत करेंगे और उनको सहयोग देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma): Madam Deputy Speaker, it is for my distinguished colleague, Col. Maha Singh to the speak on the Bill. Since a reference was made to a particular village by the Hon. Member from the Opposition. Chaudhri Chand Ram, I thought it better to throw some light on the amendments. If I am not wrong, the Hon. Member from the Opposition has not cared to read the amending Bill in between the lines. The Hon. Minister will speak on it with detail. A reference was made with regard to Village Mohrana. I do not deny theat there is a long standing litigation between the non-proprietors, specially Harijans, and proprietors of the village. I had been a standing counsel for 12/13 years for the non-proprietors and the case has gone to the Supreme Court. It is with a view to facing such cases, it is with a view to finding solution to such complicated matters that this amendment is being made in the Bill. Previously the Government had no such power.

Chauhri Chand Ram: How?

Pandit Chiranji Lal: Please read the Statement of Objects and Reasons.

Chaudhri Chand Ram: When the case is pending in the court of law, how can the Govrnment protect the property?

Pandit Chiranji Lal: The case had gone to the Supreme Court and decided and my Hon. friend from the Opposition has stated that the Panchayat does not do anything. The Government thought of finding solution to such problems by appointing the Administrators. If the Hon. Member cared to read proposed Section 103, he will find that

there is a big change (**At this stage Mr. Speaker occupied the Chair**.)

Section 103 (2) (b) reads_

"the funds and other property vested in the Gram Panchayat shall vest in the Government".

(INTERRUPTIONS & NOISE)

Mr. Speaker: No direct talks please.

Chaudhri Chand Ram: What about plots to non-proprietors....(Noise)

Pandit Chiranji Lal Sharma: A reference was made to the Supreme Court decision. The decision of the Supreme Court needs no comment. But our Government has taken a decision, and is implementing it to give plots, to all such non-proprietors who do not own or have a residential house in the villages. That policy is being implemented. (Noise...) Those who do not own house, atleast a plot measuring about 100 yds. or so is to be given. (Nois...)

Mr. Speaker: No interruptions like this please.

Chaudhri Chand Ram: There are standing instructions from the Government of India.... (Noise & Interruptions)

Pandit Chiranji Lal Sharma: A reference was made to the collusive decrees in collusion iwht the Panchayats. This is a fact that collusive decrees are passed. Now what is the remedy? The Government had to amend the Act. The Members

of the Opposition are blowing hot and cold in the same breath. They smell a rat inthe bones of the Government. This is the last working day of this session and they have the last opportunity to give vent to their views, otherwise this amending Bill did not need so much discussion. The Hon. Members of the Opposition were speaking as if they were speaking on the Budget or the Governor's Address. This amending Bill required no such debate. They should have no reason to doubt the Bonafides of the Government if we do something in the interest of the public, inthe interest of the villages, in the interest of the panchayats. They should co-operate with us ratherthan throw heaps of abuses or do unnecessary criticism of the Government. They are our part and parcel and we would certainly welcome suggestions if they are useful. But suggestions are not there. There is criticism only for the sake of criticism. They know that fully. They do realise that the amending Bill is a good one but since they are sitting on the Opposition Benches they have their duties to discharge..... (Interruptsions & Noise) I think they are fed up with it. (Interruptions)

Mr. Speaker: No interruptions please.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, I would submit that the Bill be passed.

सिचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): कुछ तो भले आदमी भी हैं (हंसी) .....

चौ. चांद राम: कभी तो ये भी यहां बैठते थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह यहां बैठने का और वहां बैठने का झगड़ा हरियाणा में काफी हो चुका है।

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह): अध्यक्ष महोदय, माननीय मैम्बरान ने इस बिल के मुताल्लिक बहुत सारी बातें कहीं। यह एक छोटा सा बिल था और जैसा कि मेरे साथी पंडित चिरंजी लाल ने बताया कि इसमें और पहले बिल में कोई बड़ा अन्तर नहीं है, सिर्फ तीन छोटी–छोटी बातें है? पहली तो यह है कि छह महीने की बजाए अब एक साल तक सरपंच के खिलाफ नो–कौंफिडैंस नहीं लाया जा सकता। यह नयी तजवीज है। पहले दो तिहाई मैजोरिटी ने नो–कौफिडैंस लाया जाता था लेकिन बाद में तजुर्बे से देखा गया कि दो तिहाई की बजाए आधी जैसे कि हाउस में हम नो–कौंफिडैंस ला सकते हैं इसी तरह से पंचायत में उसी मैजोरिटी से नो–कौंफिडैंस लाया जाए। यह अमैंडमैंट 1971 में इसी हाउस में पास की गई लकिन उसके बाद देखा गया कि छह महीने कर देने से बहुत ज्यादा नो–कौंफिडैंस आने लगे और करीब–करीब आठ सौ नो–कौंफिडैंस आए। जो सरपंच नेक–नीयती से गांव का विकास करना चाहता था उसी के खिलाफ दूसरे पंच नो–कौंफिडैंस ले आते थे। इसलिए यह सोचा गया कि छह महीने के अर्से को एक साल बढ़ा दिया जाए जिससे कि गांव का विकास करने का उसे अच्छा मौका मिल सके। माननीय सदस्य देखेंगे कि इसका नतीजा अच्छा होगा। गांव में पंचायतों में जो झगड़े चल रहे हैं वे झगड़े इससे कम हो जाएंगे।

दूसरी बात जो सैक्शन 103 में छोटी सी अमैन्डमैंट रखी है उसे बहुत बढ़ा–चढ़ाकर कहा है। सस्पैन्शन और सुपरसैशन, यह प्रोविजन तो पहले ही है। इसकी बाबत अब कुछ कहना भूल थी और खामखाह टाईम वेस्ट किया गया। अगर पहले के और अब के इस ऐक्ट को पढ़ा जाए तो मालूम होगा कि सिर्फ 2 (सी) में अन्तर है। इसमें लिखा है –

"all powers and duties of the Gram Panchayat shall, except judicial functions, be exercised and performed by such person as the State Government may apoint in this behalf."

तो यह एक छोटा सा अन्तर इसमें है कोई और अन्तर नहीं है और इसकी भी जरूरत यों पड़ी जैसा कि माननीय सदस्यों ने खासतौर पर बताया कि गांव की पंचायतों पर कौलेसिव डिग्री आ रही है, नाजायज कब्जे हो रहे हैं। स्पीकर साहब, अगर हम पंचायत को सुपरसीड कर देते हैं तो उन कौलेसिव डिग्रीज को बचाने के लिए, डिफैन्ड करने के लिए कोई नहीं होता था। सरकार अब एडमिनिस्ट्रेटर मुकरर्र कर सकेगी। बी.डी.पी.ओ. को एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए मुकरर्र किया जाएगा ताकि अदालतों के जरिए जो कौलेसिव डिग्रीज होती हैं उनसे पंचायतों को बचाया जा सके। यह गांव की भलाई के लिए की गई है, गांव के उत्थान के लिए यह चीज की गई है।

तीसरी जो बात है वह पंचायत की प्रापर्टी को नुक्सान पहुंचाने पर जुर्माना के मुताल्लिक है। इसमें सब कुछ लिखा है। मैं

ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। पहले यह जुर्माना 25 रूपए था लेकिन वह जुर्माना बढ़ाकर 25 रूपए से 100 रूपए कर दिया है जिससे कि पंचायत की प्रापर्टी को कोई नुक्सान न पहुंचाए। साथ ही साथ यह बताया गया है कि उस जुर्माने या नुक्सान को किस तरह रिकवर किया जाएगा और उस नुक्सान को कौन असैस करेगा? यह चीज पहले सोची नहीं थी और अब इसमें यह अमैंडमैंट लायी गयी है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

मेरे एक साथी ने, खासतौर पर चौ. चांद राम ने गोलागढ़ के बारे में कहा कि वहां पंचायत नहीं है। स्पीकर साहब, वहां तो .....

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): गोलागढ़ में हमेशा से पंचायत रही है। वहां का सरपंच हरिजन है, वहां का सरपंच चमार है, अगर चौ. चांद राम उसको हटवाना चाहे तो और बात है (व्यवधान) स्पीकर साहब, गोलागढ़ गांव बगैर पंचायत के एक दिन भी नहीं रहा। गोलागढ़ का सरपंच तो पूरे हरियाणा का सरपंच है (हंसी)।

कर्नल महा सिंह: चौ. अमर सिंह ने एक गांव का जिक्र किया, उन्होंने एक बात बताई। मैं इसके बारे में बताया चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाएगी और माननीय मैम्बर को बताया जाएगा और सरकार उसमें पूरा इन्साफ करेंगी। सरकार की नीति पंचायतों को अच्छा करने की है, सुधार करने की है और इसके

लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री जी खुद हर जिले के अन्दर गए हैं। वहां पंचों और सरपंचों को बुलाय गया। उस जिले के सब एम.एल.एज. और एम.पीज. को भी बुलाया गया। वहां पर उन पंचों और सरपंचों को समझाया गया कि गांव में पार्टीबाजी छोड़कर गांव का विकास करें। गांवों में पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। गांवों को इस तरह का बनाएं जैसा कि गांधी जी का गांवों के बारे में स्वप्न था ताकि गांवों के लाग शहरों की तरफ न जाएं जबकि हम गांवों को हर तरह की अमैनीटीज दे रहे हैं। मुख्यमंत्री केवल हिसार नहीं गए हैं, हिसार भी जाने वाले हैं। उनको समय नहीं मिला है। तो बगैर पार्टी के, कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि सब पार्टीज की तरफ से इस किस्म के जलसे किए गए हैं और पंचों तथा सरपंचों को बुलाया गया है और समझाया गया है कि गांव में एकता रखें, पार्टीबाजीसे दूर रहकर गांव का विकास करें और गांव के कल्याण की भावना रखें। स्पीकर साहब, साथ ही सदन को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार एक बिल बना रही है कि गांवों में शामलात लैंड है जिस पर नाजायज कब्जा है, कौलेसिव डिग्रीज हैं उनको किस तरह से हम दुरूस्त करें और फिर उस जमीन को किस तरह से शामलात जमीन बनाएं, इस पर सरकार गौर कर रही है। जल्दी ही वह बिल सदन के सामने आएगा। इन शब्दों के साथ मैं सदन से दरख्वास्ता करूंगा कि यह जो बिल है, गांव की भलाई के लिए, पंचायत के फायदे के लिए, यह पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Gram Panchayat (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clasue 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Development Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to move–

That in the proposed section 103 (1), for the word "supression" occur ring twice, subsitute the words "suspension or suspersession" and for the word "Suspersede" subsitute the words "suspend or supersede."

Mr. Speaker: Motion moved –

That in the proposed section 103 (1), for the word "supression" occur ring twice, subsitute the words

“suspension or suspersession” and for the word “Suspersede” subsitute the words “suspend or supersede.”

Mr. Speaker: Question is –

That in the proposed section 103 (1), for the word “supression” occur ring twice, subsitute the words “suspension or suspersession” and for the word “Suspersede” subsitute the words “suspend or supersede.”

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is –

That Clasue 3, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is –

That Clasue 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clasue 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That the enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That the title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Development Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to move–

That the Punjab Garm Panchayat (Haryana Amendment) Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Punjab Garm Panchayat (Haryana Amendment) Bill, as amended be passed.

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन माल मंत्री जी ने कहा था कि पहले इस बात का प्रोवीजन नहीं था। पहले सैक्शन 103 को हम देखते हैं कि उसमें यह सारा लिखा हुआ था –

"(b) The funds and other property, if any, vested in the body shall be disposed of in such manner, as Government may direct."

और फिर सैक्शन 109 में भी लिखा है उसमें मैं जाना नहीं चाहता। मैंने इतना कहा था और अब भी कहता हूं कि कई बार पंचायतों की जमीन खुर्दबुर्द हो जाती है और फिर गांव के लोग बी.डी.ओं. और डी.सी. को दरखास्तें देते हैं। अगर पहले ही दरख्वास्त पर गौर कर लिया जाए तो उससे शामलात जमीन खुर्दबुर्द न होगी। स्पीकर साहब, बिल में जो कुछ कहा गया है अगर उसे कार्यान्वित करने के लिए पहले ही सही कदम उठाएं जाएं तो हमारे गांवों की हालत खराब न होगी।

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Garm Panchayat (Haryana Amendment) Bill, as amended be passed.

The motion was carried.

हरियाणा लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के कार्यकरण के वार्शिक प्रतिवेदन पर चर्चा

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): Sir, I beg to move –

That the annula Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973, which was laid on the table of the House on 8th July, 1974, be disucssed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the annula Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973, which was laid on the table of the House on 8th July, 1974, be disucssed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the annula Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1972 to 31st March, 1973, which was laid on the table of the House on 8th July, 1974, be disucssed.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, यह जो पब्लिक सर्विस कमिशन की ऐनुअल रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई है, वैसे तो इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा जाए? पिछली रिपोर्ट 84 सफे की थी और यह 12 सफे की है और पिछली रिपोर्ट में सरकार की सारी कारगुजारी लिखी हुई थी। अब अन्त में इसमें सरकार की एप्रीशीएशन कर दी गई है। सरकार और पब्लिक सर्विस कमिशन का लिंक अब ठीक पड़ गया है लेकिन स्पीकर साहब, इतना होते हुए भी कुछ बोलना चाहूंगा कि रिपोर्ट के पहले

पेज पर लिखा है – "that Government have not accepted the advice of the Public Service Commission." अब कांस्टीच्युशन की आर्टीकल 320 (3) जो है, उसक अन्दर यह क्लीयर लिखा हुआ है कि जो भी अप्वांयटमैंट, रिक्रूटमैंट होंगी, उसके बारे में पब्लिक सर्विस–कमिशन को कंसल्ट किया जाएगा। मैं यह विधान की इस धारा को पढ़ देता हूं –

"320 (3) The Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, as the case may be, shall be consulted –

(a) on all matters relating to methods of recruitment to civil services and for civil posts;

(b) on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions and transfers from one service to another and on the suitablility of candidates for such appointments, promotions or transfers."

तो स्पीकर साहब, पब्लिक सर्विस कमिशन ने लिखा था कि रूल 6.2 को अमैंड किया जाए। अब उसमें तीन चीजें आई थीं। पहली थी –

"If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, if such person is recruited by direct appointment, dispense with his service."

6.3 बी (i) में है –

"On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, if his work or conduct has not been, in its opinion, satisfactory dispense with his services, if appointed by direct appointment or if appointed otherwise, revert him to his former post, or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit."

नम्बर 12 रूल में है –

"Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons."

तो अब इस पर पब्लिक सर्विस कमिशन ने जो सुजैशन भेजी थी उसमें उन्होंने कहा था कि – "in consultation with the Commission" उसमें कहा गया कि चाहे वह परमानैन्ट हो, टैम्परेरी हो, प्रोबेशनल हो, वे सभी पब्लिक सर्विस कमिशन के परव्यू में होगी। स्पीकर साहब, अब जब कि गवर्नमैंट का लिंक पब्लिक सर्विस कमिशन से ठीक पड़ गया है तो अभी एक सजैशन जो कमिशन ने भेजी है उसकी भी सरकार नहीं मान रही है .....

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): आप खुद ही कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमैंट दे रहे हो। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अब गवर्नमैंट का और कमिशन का कोई झगड़ा नहीं रहा और दूसरी तरफ कह रहे हो कि गवर्नमैंट ने उसकी सजैशन को नहीं माना।

चौ. राम लाल वधवा: मैं तो यह कहता हूं कि रूल 32 में यह लिखा है –

"32 The Commission are grateful to the State Government and all heads of departments for extending full co-operation and giving due consideration to the advice of the Commission."

अब मैं इस पर भी हैरान हूं कि एक तरफ कमिशन सजैशन दे रहा है लेकिन गवर्नमैंट मान नहीं रही और उसके साथ ही रिपोर्ट के पैरा 32 में वह गवर्नमैंट की एप्रिसिएशन कर रहा है कि गवर्नमैंट ने हमारी बात को माना है। (विघ्न) मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमिशन ने जो सजैशन दी थी, सरकार को वह माननी चाहिये थी (विघ्न) इसके बाद रिपोर्ट के पेज 4 के पैरा 12 में लिखा है –

"12. In April, 1972, the State Government sent a proposal to the Commission for exclusion of the posts of Deputy Director, Tourism, Assistant Director, Tourism and Cost Accountant, from the purview of the Commission on the ground that the department was engaged in a large number of schemes aimed at promotion of tourism in the State and that it was feared that the implementation of the schemes would be delayed if the requisite staff was not recruited expeditiously and that the recruitment of the staff through the Commission was likely to take longer than was considered desireable. The Commissiion was not inclined to accept the reasons advanced by the department and suggested a meeting to work out an expeditious method of recruiment....."

तो स्पीकर साहब, मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछले साल की जो रिपोर्ट है .....

चौ. बंसी लाल: इसको पूरा तो पढ़ दो।

चौ. राम लाल वधवा: इसको पूरा तो पढ़ दो।

"..... Accordingly, a meeting was held between the Commission and the representatives of the Government. Ultimately these posts were not taken out of the purview of the Commission."

मैं जो बात कहने लगा हूं वह यह है कि सरकार को वहां से पोस्टें निकालने का शौक क्यों है? पब्लिक सर्विस कमिशन के कांस्टीच्यूशन के अन्दर .....

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि कया आनरेबल मैम्बर उस बात को रैफर कर सकते हैं जो अन्डर डिस्प्यूट नहीं है। कमिशन की भी यही राय है और गवर्नमैंट ने भी यही मान लिया है। तो यह कहने का क्या मतलब है कि इसका उल्लेख ही नहीं है। Does the hon. Member wish that the Report should not be there at all?

चौ. राम लाल वधवा: मैं यह कह रहा हूं कि सरकार को इस किस्म का लिखने का फायदा ही नहीं है क्योंकि कमिशन मानेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष: क्या इसमें पोस्टों के विदड्रा करने का जिक्र है?

चौ. राम लाल वधवा: जी हां, इसमें डिप्टी डायरैक्टर और असिस्टैंट डायरैक्टर वगैरह का जिक्र है .....

Ch. Bansi Lal: What is there to mention ?

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं तो यह कह रहा था कि सरकार को वे पोस्टें एक्सक्लूड नहीं करनी चाहिए थीं ....

Mr. Speaker: When the posts are not excluded actually .....

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इसके अन्दर यह लिखा है कि मीटिंगें होती हैं और टाईम लगता है तो मैं कहता हूं कि अगर वही टाईम रिक्रूटमैंट के अन्दर लगाएं तो बेहतर होगा। यह बात रिपोर्ट के पेज 5 पर पैरा 18 में लिखी है कि –

"II-B Recruitment to Posts Under the Local Authorities in Haryana

18. The Commission received 7 cases of recruitment under Local Authorities as detailed in Part II of Appendix 'B' during the year unde report. The Commssion could recommend suitable candidates only in three cases. In four cases, inability to recommend any candidates on the basis of advertised conditions was expressed."

इसी तरीके से पैरा 13 में लिखा है –

"II-Recruitment by Selection

13. The Commission dealt with 63 cases (as against 56 in the year 1971-72) of recruitment by selection for filling up 184 posts involving 1667 applicants, mentioned in Appendix 'B' Part I. On subsequent requests made by the Appointing Authorities, some additional names from the waiting lists were also recommended by the Commission. 46 posts were reserved for members of Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes of Haryana State as shown in Appendix 'B' Part I. The Commission were aboe to recommend only 3 candidates belonging to Scheduled Castes of Haryana a shown in Appendix 'B' Part I. This was due to general paucity of qualified candidates belonging to these categories."

तो मेरे कहने का जो भाव है वह यह है कि क्वालिफिकेशन फिक्स करते वक्त यह देखता चाहिये। कई केसिज में देखने में आया है कि अगर किसी को एडहोक बेसिज पर था सिक्स मंथ बेसिज पर लगाता है तो उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी फिक्स कर दी जाती है कि उस क्वालिफिकेशन का कोई दूसरा कैंडीडेट न आ सके और वही आदमी कंटिन्यू करता रहे। सरकार जो क्वालिफिकेशन फिक्स करे वह ऐसी होनी चाहिये कि उसके लिये कैंडिडेट मिल सकें और पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा वे आ सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार ऐसे आदमी लगाती रहेगी जो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। इसलिये

क्वालिफिकेशन ऐसी फिक्स की जाए जिससे बगैर दिक्कत के कैंडिडेट मिल सकें। पहले इन्होंने रीजन दिया था कि अगर हम पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा लेते हैं तो वहां देर लगती है इसलिये हम इन पोस्टों को कमिशन के परव्यू से निकालना चाहते हैं। उसके बाद अगर कोई पोस्ट कमिशन के परव्यू से नहीं निकली तो उसके लिये क्वालिफिकेशन ऐसी रख देते हैं कि उस क्वालिफिकेशन का कैंडीडेट नहीं मिलता .....

Mr. Speaker: No repetition please.

चौ. राम लाल वधवा: अच्छा जी, तो इसके बाद में पेज 6 पर आता हूं उसमें लिखा है –

"Very few candidated showed good grasp of the subject. The answers revealed lack of understanding of the subject and absence of application. The subject matter was confused and the expression was weak. Many avoidable errors were committed. All this calls for special coaching and practice in writing answers to questions. More practical experience was also necessary.

तो यह एक ऐसी चीज है कि जो भी कैंडीडेटस आते हैं वे उतने स्टैंडर्ड के नहीं आते जितने स्टैडर्ड के होने चाहियें इसलिये मैं कहूंगा कि जो लोग एच.सी.एस. वगैरह के लिये पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा सलैक्ट होते हैं उनके लिये सरकार की तरफ से कोचिंग सैन्टर्ज खोलने चाहियें ताकि उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिल सके। दूसरे यहां यह कहा जाता है कि

डिले होती है तो वहां यह भी होता है कि पब्लिक सर्विस कमिशन ने जो पोस्टें सलैक्ट की हैं या एस.एस.एस. बोर्ड ने जो जे.बी.टी. पोस्टों के लिये सलैक्शन की है .....

Mr. Speaker: Order please. There is no mentioned of J.B.Ts. and Suborbinate Service Selection Board in the Report of the Public Service Commission.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरा इसमें कोई और मतलब नहीं था मैं तो रैफरैंस दे रहा था .....

Mr. Speaker: Order please. You are discussing the Report of the Public Service Commission.

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरे कहने का भाव यह था कि कैडीडेटस के सलैक्ट होने के बाद भी पोस्टें सरकार के बक्सों में बन्द पड़ी रहती हैं और काफी अर्से तक नहीं भरी जाती। उधर सलैक्शन होने के बाद लोग यह सोचत हैं कि हमारी अप्वायटमैंट होगी और हमारी बेकारी दूर होगी। इसके बाद अन्त में मैं इस रिपोर्ट के पेज 9 पर आता हू जो टैम्पोरेरी अप्वायटमैंटस के बारे में है। मैं इसके बारे में पहले भी कह चुका हूं इसलिये सारा नहीं पढूंगा। इसमें लिखा है कि रिपोर्टाधीन साल के दौरान कमिशन को 714 टैम्पोरेरी पोस्टों के बारे में कंसल्ट किया गया जबकि उससे पिछले साल 399 पोस्टों के बारे में सलाह मश्विरा लिया गया था। बाकी पोस्टस में नहीं लिया गया। यह कोई अच्छी बात नहीं। सरकार अगर किसी पोस्ट को कन्टिन्यू

करती है तो लाजमी तौर पर उसे कमिशन से कन्सल्ट करने के बाद ही उस पोस्ट को कन्टिन्यू करना चाहिये। इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि यह जो टैम्पोरेरी पोस्टिग का तरीका है इसको मिनीमाइज करना चाहिये। टैम्परेरी एप्वांयटमैंट उसी हालत में ही की जाये जब किसी भी हालत में अच्छी क्वालीफिकेशन का आदमी न मिलता हो। टैम्पोरेटी एप्वायंटमैंटस करने से स्टेट को नुक्सान होता है क्योंकि ऐसे मुलाजिम टैम्पोरेरी होने के नाते स्टेट के काम में स्टेट के विकास के काम में इन्ट्रैस्ट नहीं लेते। इसकी वजह यह है कि उनका पता होता है कि 6 महीने के बाद तो उन्होंने चले जाना है इसलिये 6 महीने की तनख्वाह अपनी जेब में डालो उसके बाद पता नहीं पोस्ट कन्टिन्यू होगी या नहीं। इसलिये मेरी अर्ज है कि इस बात को कम से कम करना चाहिये। इस रिपोर्ट के पेज 10 पर पैरा 25 के अन्दर कहा गया है:

"As stated in para 35 of the previous report, the Commission have been emphasizing upon the importance of framing Service Rules for posts for which either this has not been done at all or where the Service Rules have with the passage of tieme become obsolete. Absence of Service Rules creates difficulties in decidiing promotion, recruitment and seniority cases. It is, therefore, very necessary that Service Rules are framed without delay for the convenience of the appointing authority and for the information of the prospective candidates."

तो स्पीकर साहब, आप देखें कि 1973 की अपनी रिपोर्ट के अन्दर कमिशन प्वांयट आउट कर रहा है कि सरकार सर्विस रूल्ज नहीं बनाती है। डिटेल्ज को मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि सब इसमें दी हुई हैं लेकिन आप देखें कि हरियाणा बने आठ साल हो गये लेकिन आठ साल गुजर जाने के बाद भी सरकार रूल्ज नहीं बनाती। इस तरह से कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं होती है। तो अब अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में जो जो सजैशन दी हैं और जो–जो बातें कही हैं उनको सरकार को मानना चाहिये और उन पर अमल करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

चौ. चांद राम (बबैन–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे साथी चौ. राम लाल जी ने कह दी हैं। यह जो रिपोर्ट हमारे सामने है यह पहली अप्रैल 1972 से 31 मार्च 1973 तक की है और अब जुलाई 1974 में हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये और कमिशन को भी कोशिश करनी चाहिये कि वह अपनी रिपोर्ट समय पर दे। आखिर छोटी–सी तो यह रिपोर्ट होती है और इसे आने में डेढ़ दो साल लग जायें तो ठीक बात नहीं है। कमिशन को यह रिपोर्ट जल्दी देनी चाहिये और सरकार को भी यह जल्दी उन से लेनी चाहिये ताकि पता लग जाये कि हमारा सिलैक्शन का ढंग कैसे चल रहा है। इस रिपोर्ट

के आने से और समय पर आने से गवर्नमैंट को भी फायदा होता है और वह यह कि उसे पता लगता है कि आया जैसे–जैसे आदमी हमको चाहिए और जिस–जिस एक्सपीरियेंस का चाहिये वे मिल रहे हैं या नहीं। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा है और गवर्नमैंअ के ध्यान के लिए बहुत कुछ कहा है। खासतौर पर उन्होंने अंग्रेजी क बारे में कहा है कि अंग्रेजी का स्टैंडर्ड बहुत पूअर था जनरल नालज बहुत पूअर थी इनएडीक्वेट था और भी कई बातें उन्होंने कही हैं सिलैक्शन के बारे में और दूसरी ऐसी बातों के बारे में, और मैं उनके बारे में ज्याद नहीं कहना चाहता क्योंकि यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि गवर्नमैंट इन बातों पर गौर करे और देखे कि जब हिन्दी हमारी राश्ट्रभाशा हो गई है हमारी मातृभाशा है और हमारे प्रान्त की भाशा है तो मुकाबले के इम्तिहान हिन्दी में क्यो न हों और अंग्रेजी को कब तक हम प्रामीनैंस देते रहेंगे। इससे ज्यादा मैं कोई दलील नहीं देता जो कमिशन ने लिखा है वही काफी है कि अंग्रेजी का नालज बहुत पूअर है। तो अगर ऐसा है तो गवर्नमैंट को इस बात पर सीरियसली गौर करना पड़ेगा कि हमारी जो राश्ट्रीय भाशा है मातृभाशा है हिन्दी उसमें मुकाबले के इम्तिहान कराए जायें। यह बात हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूलों कालेजों में जहां यह सारी बुनियाद बनती है वहां हमारा स्टैंडर्ड आफ टीचिंग बहुत पूअर है। पिछले दिनों टीचर्ज में बहुत बेचैनी रही उन्होंने पूरी तवज्जुह नहीं दी और इसका असर आयंदा साल में होगा। उन्होंने जहां जनरल नालज और दूसरे सब्जैक्टस के बारे

में कहा वहां यह भी कहा कि मैथैमैटिक्स में भी बहुतों का नालज ठीक नहीं था। मैं अर्ज करता हूं कि श्री डी.सी. वर्मा के समय में कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्ज की तैयारी के लिए एक सैंटर खोला था लेकिन वह ज्यादा देर नहीं चल पाया शायद गवर्नमैंट की स्पोर्ट उसे उस वक्त नहीं मिल पाई। तो गवर्नमैंट इस बात को देखें और वह ऐसे सैंटर्ज खोले जहां न सिर्फ स्टेट सर्विसिज के लिए बल्कि आज इन्डिया सर्विसज के लिये कम्पीटीटिव एग्जामिनेशंज के लिए अलाइड सर्विसज के लिये कैंडीडेटस की तैयारी हो सके और हमारे कैंडीडेटस का स्टैंडर्ड सुधरे और वे मुकाबले पर आयें। शिडयूल्ड कास्टस के बारे में भी इस रिपोर्ट में लिखा है कि नहीं मिले। पटियाला में शिडयूल्ड कास्टस के लिये पंजाब का एक सैंटर है जहां मुकाबले के इम्तिहानों की तैयारी कराई जाती है और उस सैंटर को गवर्नमैंट आफ इन्डिया न सिर्फ सबसिडइज करती है बल्कि उसका सारा खर्च बरदाश्त करती है। ज्वांयट पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने यह शुरू करवाया था। कागज हमारे वक्त में चले थे और हमने खुलवाया था। अब पंजाब वाले उसे पटियाला में ले गये। हमारे वैल्फयर मिनिस्टर साहब को कोशिश करनी चाहिये कि जैसे उन्होंने हरिजनों के लिये खासतौर पर एक सैंटर खोला है और भी शायद एक दो सैंटर खोलने की उनकी तजवीज है, हरियाणा में सुबार्डीनेट सर्विसिज के लिये भी और गजेटिड सर्विसिज के लिये भी हरिजनों के लिये सैंटर खोले जायें वरना ये लोग सर्विसिज में नहीं आ सकते। आपकी रिपोर्टस, कमिशन की

सक्सैसिव ईयर्ज की रिपोटर्स इस बात को मानती हैं कि हरिजन मिले नहीं इसलिए नहीं रखे। आप कमिशन की 1970–71 की रिपोर्ट को देख लें। इसमें लिखा है कि कुल 544 पोस्टस थीं जो उस साल पुर की गई और उन में 141 रिजर्व की गई थीं लेकिन कमिशन केवल 14 हरिजन रिकमैंड कर पाया। दूसरी बात यह है कि हमारे फौजी और एमरजैंसी कमीशंड अफसर हैं .....

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, इस वक्त जो रिपोर्ट अंडर डिस्कशन है वह 1972–73 की है 1970 की नहीं है। इसलिये मैम्बर साहब रैलेवैंट नहीं बाले रहे हैं।

चौ. चांद राम: यह तो चौ. साहब मैंने रैफरैंस के तौर पर बताया और सही हालात बता रहा हूं कि क्या पोजीशन है। चलो मैं इसी रिपोर्ट पर आ जाता हूं। तो यह जो रिपोर्ट है इसके पेज चार पर यह लिखा है कि 184 पोस्टस फिल–अप की गई और इन में 46 पोस्टस रिजर्व थीं लेकिन कमिशन सिर्फ तीन कैंडीडेट ही रिकमैंड कर सका। मेरे पास पिछले सालों के भी फिगर्ज हैं लेकिन मैं उनको कोट नहीं करता क्योंकि एतराज हुआ है। लेकिन आप मौजूदा रिपोर्ट को ही देखें की क्या हालत है कि कमिशन 46 पोस्टस के अगेंस्ट केवल तीन हरिजन कैंडीडेट रिकमैंड कर पाया। अखबारों को देखों तो उनमें आता है कि साहब हरिजन सब कुछ खा गये, ले गये लेकिन आप देखें कि कागज में तो रिजर्वेशन है मगर एक्चुअल उनको मिलता क्या है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता आपकी रिपोटर्स को ही कोट कर रहा हूं। इस रिपोर्ट के

अपैंडिक्स को आप देखें। इसमें लिखा है कि हिन्दी और अंग्रेजी के लैक्चरर्ज की पोस्टस रिजर्व थीं लेकिन क्वालीफाइड आदमी नहीं मिमल पाये। यह क्या जाहिर करता है? यह जाहिर करता है कि इन 27 सालों में हरिजनों की इतनी तरक्की हुई है कि हिन्दी के लैक्चरार की पोस्ट के लिए हम हरिजन लड़की तैयार नहीं कर सके और अंग्रेजी के लैक्चरर की पोस्ट के लिये किसी हरिजन को तैयार नहीं कर पाए इन 27 सालों में। इसी तरह से और भी कई पोस्टस हैं इकनामिक्स के बारे में स्टेटिक्स की, हार्टीकल्चर और इन्जिनियरिंग बगैरा की, जिनके लिये हरिजन क्वालीफाइड कैंडीडेट नहीं मिल पाये। यह दलील मैं अपने पास से नहीं दे रहा आपकी रिपोटर्स और आपके आंकड़े खुद बोलते हैं कि ये हालात हैं। इन हालात में गवर्नमैंट का फर्ज बनता है कि वह देखे कि आया क्वालीफिकेशंज और एक्सपीरियेंस कहीं पहले से ज्यादा तो नहीं प्रैस्क्राइब कर दिया? यह जो मशीनरी काम करती है, जो यह ब्योरोक्रेसी है जिसे अकसर कहा जाता है कि यह एंटी हरिजन है, इसके बारे में देखना चाहिये कि क्या कहीं वह तो बीच में नहीं आती जिससे यह दिक्कत पैदा हो रही है? गवर्नमैंट को यह देखना चाहिए कि क्या वजह है कि रिजवर्ड पोस्टस भरी नहीं जा रही हैं और यह देखना चाहियें कि आया उन पोस्टस के लिए क्वालीफिकेशंज तो ज्यादा नहीं रख दीं, कहीं एक्सपीरियेंस तो ज्यादा नहीं रख दिया, उससे ज्यादा जो 10/15 सल पहले था। एक्सपीरियेंस की बात आप खुद समझ सकते हैं, एक्सपीरिएंस तक ही हो सकता है अगर स्टार्ट पहले का हुआ हो लेकिन हरिजन तो

अब नये–नये निकल रहे हैं, इनका न्यूस्टार्ट है इसलिए इन एक्सपीरियेंस वाली बात पर गौर करना होगा और गवर्नमैंट को देखना होगा कि इस डैफिशैंसी को किस तरह से मेक–अप कर सकते हैं। फिर आप देंखे, जैसे कि प्रोमोशंज की बात है। प्रोमोशंज के बारे में यह कहा गया कि रिजर्वेशसन को रिस्टोर कर रहे हैं। जैसे प्रोमोशन का केस है। प्रोमोशनज केसिज में कहा गया है कि हम रिजर्वेशन रिस्टोर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 1961 में कहा गया था कि रिजर्वेशन आफ प्रमोशन हम रिस्टोर कर रहे हैं लेकिन नहीं किया। इस स्थिति में पब्लिक सर्विस कमिशन क्या करेगा? ब्लाक–सिस्टम में कहा गया था कि हमने नहीं बदला। यह मेरे पास सन् 71 का लैटर है जो लेटैस्ट है रिजर्वेशन के बारे में। पब्लिक सर्विस कमिशन ने तो इस लैटर के हिसाब से काम करना है, यह लैटर 10 दिसम्बर, 1971 का है .....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। जो रिपोर्ट अंडर डिस्कशन है वह रैलेवैंट है?

चौ. चांद राम: पब्लिक सर्विस कमिशन तभी करेगा जब गवर्नमैअ के आर्डर होंगे। इसमें शिडयल्ड कास्टस का एक चैप्टर है .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह चैप्टर 30 साल पुराना भी हो सकता है .....(व्यवधान)

चौ. चांद राम: नहीं, मैं 30 साल की बात नहीं कर रहा .....

Mr. Speaker: Only the relevant report under discussion is of 1972-73.

चौ. चांद राम: पब्लिक सर्विस कमिशन भेजेंगे वह वैसा ही करेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमैंअ रिक्विजीशन इस ढंग से करे ताकि उसका पूरी तरह से फायदा हो। अब यह कहते हैं कि ब्लाक सिस्टम किया है। इसके अनुसार हर पांच पोस्टों के अगेन्स्ट 1 वकैंसी शडयूल्ड कास्ट की होती थी। यह मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट है हरियाणा गवर्नमैंट वर्सिज क्लर्क। आउट आफ फाईव एक वकेंसी शडयूल्ड कास्टस को दी जा सकती है। मैं इसके लफ्ज कोट नहीं करना चाहता सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यूनानिमसली कहा है कि यह कांस्टीच्युशन के मुताबिक है लेकिन यहां कास्टीच्युशन के मुताबिक नहीं। स्पीकर साहब यह एक हैल्दी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए श्रेयस्कर है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कारण समझता हूं कि 46 के अगेन्सट 3 पोस्टें हरिजनों को क्यों मिलीं? इसका कारण यह हो सकता है कि बोर्ड के 3 मैम्बरों में से कोई भी शडयूल्ड कास्ट का नुमायंदा नहीं है। अगर होता तो ऐसा कभी नहीं होता। तों मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि 3 में से 1 मैम्बर यानी एक वकैंसी शडयूल्ड कास्टस की हो। शडयूल्ड कास्ट का नम्बर कभी तो आना चाहिए?

ज्वांयट पंजाब में शडयूल्ड कास्टस का एक मैम्बर था लेकिन जब से हरियाणा बना तक से कोई मैम्बर हरिजन नहीं है। इनका यह क्लेम है और जब भी आगे के लिए कोई वकेंसी खाली हो तो एक वकैंसी हरिजनों को दी जाए, इनका नुमायंदा होना चाहिए, यह कांस्टीच्युशनल है। इसके इलावा ब्लाक सिस्टम है 3–8 को। 3–8 की बाबत मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फस्ट वकेंसी थी वह शडयूल्ड कास्टस को जाती थी और हरियाणा गवर्नमैंट की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया और हरियाणा गवर्नमैंट के लिए यह लाजमी था कि इसको रिस्टोर करती, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को लागू करती लेकिन नहीं किया। पंजाब गवर्नमैंट ने, जिसने अपील नहीं की थी, उसने लागू कर दिया लेकिन हमारी हरियाणा गवर्नमैंट ने लागू नहीं किया। यह गवर्नमैंट के सोचने की बात है, कब लागू करती है।

मैं मानता हूं कि हरिजन संघर्श समिति के एजीटेशन के बाद एक 12 मैम्बर कमेटी बनी थी और उसने कुछ रिकमैंडेशन्ज की थीं, सर्विस मैटर में रिकमैंडशन की थी। इस रिकमैंडेशन्ज का कब सरकार इम्पलीमैंट करती है, यह चीफ मिनिस्अर के बस की बात है कि कब वे दयालू होते हैं, कब वे क्या करते हैं, यह देखने की बात है। स्पीकर साहब मै एक और अर्ज करता हूं। कभी–कभी हरिजन लोग मुझे सवाल पूछने के लिए कहते हैं कि फलां डिपार्टमैंट में रिजर्वेशन आफ प्रमोशन है या नहीं है, अगर है तो उसको पूरा क्यों नहीं किया जाता है, फलां महकमें में प्रमोशन

क्यों नहीं दी। जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो ये महकमें वालो को डराते हैं और कहते हैं कि तुमने महकमे की बात लीक–आउट क्यों की, इस पर ऐक्शन लिया जाए .....

Mr. Speaker: Order please. This is nto relevant. How do you connect this thing with the report? The questions, the answers and the conduct of the Officers, how are they relevant with the report under discussion.

चौ. चांद राम: मैंने कंडक्ट नहीं कहा, मैं गवर्नमैंट का एक मैथड बता रहा हूं।

Mr. Speaker: No. It is not relevant.

चौ. चांद राम: अच्छा जी, मैं छोड़ देता हूं। मैं अर्ज कर रहा ाि कि कई बार ऐसा होता है कि –

न तड़पने की इजाजत है न फरियाद करने की

घुट घुट के मर जाएं यह मर्जी मेरे सैयाद की है।

स्पीकर साहब, गवर्नमैंट का एक रवैया है टैम्पोरेरी पोस्टस के बारें में।

Mr. Speaker: Order please.

चौ. चांद राम: टैम्पोरेरी पोस्टस के बारे में गवर्नमैंट ने जो बात वहां कही थी वह यहां भी कही है। 1970–71 की रिपोर्ट है उसमें लिखा है:–

"The Commission was consulted in regard to continued appointment of 63 persons...."

यह पुरानी रिपोर्ट है।

Mr. Speaker: The Article under which this report is laid before the House runs as –

"..... on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid....."

मेनली डिस्कशन के लिए जो ठीक है वह यह है, जो आर्टिकल क्लीयरली कहता है।

चौ. चांद राम: अब इसके पेज 11 पर लिखा है –

"The advice of the Commission was sought by the Government in all cases except the following....."

और फौलविंग में वे केसिज दिए हैं। पहले कमिशन और गवर्नमैंट में काफी डिफ्रैंस होता था जो अब काफी कम हो गया है, यह अच्छी बात है। पहले यह डिफ्रैंस बहुत वाईड था 84 पेज की रिपोर्ट होती थी लेकिन अब डिफ्रैंस कम होकर दो आइटम्ज पर आ गए हैं। स्पीकर साहब मैं मौडल रूल्ज में जरूर सुझाव दूंगा। मौडल रूल्ज जो ये बना रहे हैं इनको बनाने में ये देर न करें। दूसरी बात हये है कि जो रूल्ज पब्लिक सर्विस कमिशन बनाये उनके अन्दर कांस्टीच्यूशन के मुताबिक शडयूल्ड कास्टस के लिए

प्रोवीजन होना चाहिए। मसलन जो रूल्ज बनते हैं और शडयूल्ड कास्टस के बारे में उन रूल्ज में कुछ नहीं डाला जाता कोई प्रोवीजन नहीं किया जाता तो कोई बात बनती नहीं। रूल्ज के अन्दर प्रोवीजन करना पड़ेगा। होता क्या है कि रूल्ज में जब प्रोवीजन नहीं होता तो कह देते है कि साहब प्रोवीजन नहीं है हम क्या करें? स्पीकर साहब मैं एक सुझाव दूंगा, जहां गवर्नमैंट ने डिफर किया है, एक दो बातों में डिफर किया है, वहां गवर्नमैंट को चाहिए, मैं जो कह रहा हूं शायद पता नहीं यह बात रैलेवैंट है या नहीं है। आपकी असैम्बली में भी सर्विस रूल्ज बने बगैर शायद काम नहीं चलता, शादय अप्वांयटमैंट करने का आपका प्रिविलिज है, राईट है लेकिन .....

Mr. Speaker: Order please. Why not refer directly? You are also treading the indirect path.

चौ. चांद राम: अच्छा जी, मैं खत्म करता हूं।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): स्पीकर साहब यह जो पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट अंडर डिस्कशन है इस पर हमारे विरोधी साथियों में से दो सदस्यों ने डिवेट में हिस्सा लिया। एक बात चौ. राम लाल जी ने कही कि पब्लिक सर्विस कमिशन का और सरकार का ठीक लिंक बैठ गया। मैं समझता हूं कि यह कमिशन पर असपर्शन कास्ट करना है ये शब्द एक्सपंज होने चाहिएं क्योंकि कमिशन एक इंडीपैंडेंट बौडी है। They are holding the posts under the Constitution and are nt the

rubber stamp of the Government. They have been working independently and are working independently and their working is fine and the Government is fully satiifed with the selection of the candidates made by the Public Service Commission.

In this Report, Sir, Sh. Ram Lal has pointed out one thing that there should be some coaching institute. On this point, I agree. We will open one or two coaching institutes in backward areas and special attention will be given to to scheduled castes and backward classes (cheers) and particularly belonging to backward areas. I would also like to make it quite clear on the floor of the House that in such coaching institutions people coming from advanced areas of the State will not be given admission. I am very clear about it. We will give admission to only scheduled caste people, to backward class people and people belonging to backward areas, not to others.

And, then they have pointed out about the temporary apointments. Mr. Speaker, Sir, you will agree with me that this matter of temporary appointments in a Government can never be dispensed with. Today, we require a particular post and tomorrow we may not require it. When one post is held for a period of three years, then we revise our previous posts and if it is necessary then we make them permanent; otherwise the temporary; otherwise the temporary appointments and adhoc appointments in the departments have to continue for certain purposes. I agree that we should not make it a principle that many of the people should be appointed on adhoc basis. The effect of the Government

should be that maximum possible posts should be filled up through the Public Service Commission, not by the Government itself and we will try our best and we are doing our best to see that all the appointments, or the maximum possible appointments are made through the Public Service Commission. But even then in certain cases adhoc appointments have to be made. No body can check it. And, then they have pointed out about the framing of the Rules as early as possible. I agree with them that we should frame the Rules as early as possible. But, Mr. Speaker, Sir, you will agree with me that framing of the Rules is not an ordinary business. It is a tidious job. Many things have to be taken into consideration. We will also take into consideration, while framing the Rules, the interests of the scheduled castes, backward classes and people of the backward areas. We will not ignore that thins.

And, then, Sir, Sh. Chand Ram has pointed out that the Public Service Commission has stated in its Report that the standard of the English was very poor and he has emphasised to taling the examinations in Hindi. It is not possible. We cannot take all the examinations in Hindi. English has to be retained for some time. For most of the technical departments, Medical Department and many other departments, there are no words in Hindi and it is very difficult to change those words so soon in Hindi. But, who is responsible for lowering the standard of English in the schools? They are my friends sitting on the Opposition Benches. It is not the Vishal Haryana Party or other Indepentdent Members; it is the Jan Sang, B.K.D. and Congress (O) people, who are responsible for that. Everyday,

they go to teachers and say 'You go on strick'. They go to the students and incite them to damage the institutions and to do so many things. So they are responsible for that. We wil not give dividents to those political parties who want to make capital by such sort of things. We are not going to allow such sort of things. Standard will have to be maintained.

So far as the recruitment of Harijans – scheduled castes and backward classes people – is concerned, I agree that the recruitment is not up to the percentage revserved for them. Then, there are reasons, Public Service Commission has said that the competent persons were not available. We have relaxed certain rules to recruit the scheduled cases' and backward classes' people. But if there is a condition that one Graduate person is required for recruitment, we cannot say, a Matric Harijan will be taken in. We can give some relaxation but not total relaxation. The Government has to run efficiently, effecitively and if we take people without any qualifications, with very poor background and all that, then the Government cannot run efficiently. What we are doing for Harijans at the moment is that if one Harijan is not availabe for one post, them we request the Public Service Commission again to keep the post vacant for Harijans only and we advertise the post for Harijans only. We keep the post vacant for two years, consecutively for two years for Harijans only. (Thumping from Treasury Benches).

Then, he has said that Mathematics is also weak. I cannot help it. If we accept a man, who is weak in Mathematics he can calculate our Budget anywhere, he can calculate our Projects anywhere and he can lead us to the

charge of light Brigade. The Government can't accept the people who are weak in Mathematics. Not in the least. The Government is not prepared to do it.

Then, he has pointed out that the people say that the Government is anti-Harijan. Government is not anti-Harijans. Mr. Speaker, Sir, I will humbly request through you to Sh. Chand Ram that he is more anti-Harijan than anybody else in Haryana. He is real enemy of the Harijans and today where he has gone to? He has gone to a party which is really an enemy of the Harijans..... (Interruptions)

Ch. Chand Ram: Mr. Speaker, Sir, if you permit him, give me time also .....(Noise)..... Let us have debate on this .....

Ch. Bansi Lal: I am replying to what he has said. I am replying to that. (Noise)

Mr. Speaker: Order please.

Ch. Bansi Lal: Then, Mr. Speaker, Sir, whatever the other things are in this Report, nobody has said anything about it. But, what can be discussed-as you very rightly read out the relevant article of the Constitution – those things can be discussed on the floor of the House where the Government and the Commission have differed, not others. Thank you, Sir.

चौ. अमीर चन्द कक्कड़: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है। गुजारिश यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी 19 मई, 1968 को मुख्यमंत्री बने थे। तकरीबन 6 साल का अर्सा हो गया और अपोजीशन के मैम्बरान इसी तरीके से इनके खिलाफ

कई–कई बातें करते रहे हैं तथा आज भी करते जा रहे हैं लेकिन पिछले इलैक्शन में वे इनको हरा नहीं सके। हमारे मुख्य मंत्री जी, ...(विघ्न एवं शोर)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, हमें कोई एतराज नहीं, ये जो मर्जी आए तारीफ में कहें। कहना इनका हक है लेकिन यह पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट पर नहीं कर सकते। .....(विघ्न एवं शोर)

चौ. अमीर चन्द कक्कड़: सुनिए तो। .....

चौ. चांद राम: गोल्ड मैडल दे देंगे फिक्र मत करो। (शोर)

Mr. Speaker: What is your point?

चौ. अमीर चन्द कक्कड़: स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट यह है कि अपोजीशन के मैम्बर्ज जो आजकल गलत बे–बुनियाद और झूठी बातें कर रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

चौ. राम लाल वधवा: वह हमें एतराज नहीं है लेकिन हमें एतराज यह है कि जब ये इर–रैलवैंट बोलते हैं तो आप इजाजत दे देते हैं....

चौ. अमीर चन्द कक्कड: स्पीकर साहब, मैं हाउस में इनको एक्सपोज करना चाहता हूं।

Mr. Speaker: No, this is not the point.

चौ. अमीर चन्द कक्कड: स्पीकर साहब, सबमिशन यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आज एक नई बात निकाली गई है। इन्होंने–अपोजीशन के मैम्बरों ने भी और पार्लियामैंट में भी अपोजीशन के मैम्बरों ने यह बात .....(विघ्न एवं शोर)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब यह किस बात पर बोल रहे हैं?

चौ. अमीर चन्द कक्कड: आप सुनने की कोशिश कीजिए। ....(विघ्न) तो स्पीकर साहब मैं कह रहा था कि इन्होंने भी और पार्लियामैंट में भी अपोजीशन के कुछ मैम्बरान ने चर्चा की है कि हमारे मुख्य मंत्री जी, ने जनरल सैक्रेटरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यह बात कही है कि जय प्रकाश नारायण जब हरियाणा में आएंगे तो उनको ठिकाने लगा दें। ऐसी–ऐसी गलत बातें इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ की हैं। मैं एक जनरल सैक्रेटरी होने के नाते यह अर्ज कर देता हूं कि न तो मेरे साथ, न चौ. खुरशीद अहमद के साथ मेरी बात हुई जोकि हाउस के मैम्बर नहीं हैं और न ही सरदार प्यारा सिंह जी के साथ जो हाउस में नहीं हैं, कोई ऐसी बात हुई।

Mr. Speaker: Order please. It is for the Leader of the House to clarify .....(Noise)

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, क्या यह रिकार्ड पर सारी चीजें आएंगी? फिर तो कल को हमें भी बोलने का हक

होगा, बेहतर यह होगा कि आप इसे एक्सपंज करा दें क्योंकि इसका पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पब्लिक सर्विस कमिशन की रिपोर्ट पर तो डिसकशन खत्म हो चुकी हैं।

चौ. अमीर चन्द कक्कड: अब ये यहां .....

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

Mr. Speaker: Please resume your seat. The leader of the House will now make a statement.

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): स्पीकर साहब, ऐसा है, यह एक इम्पौटैंट प्वायंट जो कि श्री अमीर चन्द कक्कड़ ने आन दी फलोर आफ दी हाउस उठाया और यह प्वायंट ताल्लुक रखता है मेरी जात से। इसलिए मुझे अपनी पोजीशन सदन के सामने जनता के सामने और देश के सामने साफ करनी होगी। अभी कल के अखबारों में चौ. चांद राम जी, चौ. हरिद्वारी लाल जी, चौ. देवी लाल जी, इनका एक स्टेटमैंट निकला है और उस स्टेटमैंट में इन्होंने कहा है –

"It was most disturbing that his name (i.e. my name) has figured among those who were alegedly plotting to physically liquidate Mr. Jaya Parkash Narayan, who was today

the most precious possession of the strife torn country, they said."

These persons have said it. This is an allegation against me.

और यह एलीगेशन इन्होने मेरे खिलाफ लगाया है कि जयप्रकाश बाबू को फिजिकली मैं लिक्वीडेट कराना चाहता हूं या कोई बात। स्पीकर साहब मेरा इसमें निवेदन यह है कि यह जो एलीगेशन मेरे खिलाफ लगाया जाता है चाहे इन तीन आदमियों ने लगाया, चाहे पार्लियामैंट के किसी मैम्बर ने लगाया, चाहे किसी और आदमी ने लगाया, जिस किसी ने भी लगाया यह ऐ वैस्टीड इन्ट्रैस्ट के आदमी हैं, और वे कौन है, वे कहने को तो जयप्रकाश बाबू के हमदर्द हैं। हकीकत में वे श्री जगदीश की हैसियत का उसकी शख्सीयत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। सारे हिन्दुस्तान में इस किस्म के वैस्टीड इन्ट्रैस्ट के लोगों ने कोशिश की तरह–तरह के एजीटेशन चलाने की, और क्या एजीटेशन, हिन्दुस्तान से जमहूरियत को खत्म किया जाए। तो उसी का यह भी एक हिस्सा है .....

चौ. चांद राम: क्या आप यह डिस्कशन किसी सब्जैक्ट पर अलाऊ कर रहे हैं, इसमें हम भी पार्ट–प्ले करेंगे या एक तरफ की ही बात रहेगी। जो स्टेटमैंट आएगी उसमें अपनी पोजीशन तो ये क्लीयर कर दें लेकिन किसी पर एलीगेशन नहीं लगा सकते। आप स्पीकिंग के रूल्ज देख लीजिए कि क्या है? अगर चीफ

मिनिस्टर साहब कोई बात कहना चाहते हैं तो वे बड़े अच्छे ढंस से भी कह सकते हैं लेकिन किसी पर एलीगेशन लगाकर नहीं। अगर एलीगेशन लगाते हैं तो फिर हमें भी मौका दे दीजिए।

Mr. Speaker: He is not levelling any allegation. जो एलीगेशन उनके खिलाफ लगाए गए हैं उनके मुताल्लिक तो वे कह सकते हैं। (विघ्न)

चौ. राम लाल वधवा: अखबारों में एलीगेशन तो कल भी हमारे खिलाफ आ सकते हैं। तो क्या हमें भी बोलने की इजाजत दी जाएगी। (विघ्न)

Mr. Speaker: He is making a statement.

चौ. शिव राम वर्मा: अखबारों में आया है तो अखबारों में ही ब्यान दे दें।

Mr. Speaker: Please do not interrupt.

चौ. बंसी लाल: अगर ज्यदा लड़ाई करते हो तो मैं अखबार वालों के पास गया नहीं अखबार वालों के पास तो यही लोग गए हैं। ..... (व्यवधान)

Mr. Speaker: Order please. Please don't stress this matter too much.

बहिर्गमन

कुछ माननीय सदस्य: अगर ऐसे ही कार्यवाही चलेगी तो हम वाक–आउट करते हैं।

(इस समय चौ. चांद राम, चौ. शिव राम वर्मा, चौ. राम लाल वधवा, चौ. पीर चन्द और चौ. गणपत राय सदन के वाक–आउट कर गए)

One voice from the Opposition: This is a wrong precedent.

मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य (पुनरारम्भ)

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, मेरी आप के जरिए इनसे यह निवेदन है कि ये मेरी बात सुनें क्योंकि इल्जाम लगाते हैं तो बात भी सुनकर जाएं क्योंकि इनकी सारी बातें, बेबुनियाद, गलत होती हैं और आगे मैं इनकी हिस्ट्री–शीट खोलने चला हूं इसीलिए ये भाग रहे हैं। अगर ये अपनी हिस्ट्री–शीट सुनना चाहें तो हाउस में बैठ कर सुनें मेरी आपके जरिए हाथ जोड़ करके इनसे प्रार्थना है कि ये हाउस में बैठें और मेरी बात सुनें। लेकिन क्योंकि गलत बात कहते हैं और बेबुनियाद बातें करते हैं और गये बीते आदमी हैं इसीलिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पीकर साहब, ये एक चर्चा किस चीज के ऊपर चली एक ''सडौनिमस लैटर'' के ऊपर। मुझे अफसोस है कि वे उठकर चले गए, मैंने दिन को भी इनसे कहा था कि बात सुनकर जाना, इन्होंने हां की थी कि

आपकी बात सुनकर जाएंगे क्योंकि मैं कोई बात नहीं चाहता था कि इनके पीछे से कहूं लेकिन क्योंकि ये तो इस चीज पर आमादा हैं कि हमने तो सुननी ही नहीं, मैं तो सुनाना चाहता था इनको और मैं यह भी चाहता था कि ये जवाब दें। अब स्पीकर साहब, वैस्टिड इन्ट्रैस्ट के वो लोग जो सारे हिन्दुस्तान से जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं उन लोगों ने यह कोशिश की कि अब उनका एजीटेशन जो इस किसम का था वो सारे हिन्दुस्तान में फेल होता जा रहा है। अब वो कहने को तो जय प्रकाश बाबू के साथ हैं और मेरा शक ऐसा है और लगता ऐसा है लोगों की बातों से, लोगों की असैसमैंट ऐसी है कि ये लोग जयप्रकाश बाबू को फिजिकली नुक्सान पहुंचा कर कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेसी–सरकारों को बदनाम करना चाहते हैं या वैस्टिड इन्ट्रैस्टड के जो लोग हैं। अब इस चिट्ठी के बारे में इन लोगों ने कहा, चौ. चांद राम जी ने, चौ. हरद्वारी लाल जी ने, जो दोनों इस सदन के मैम्बर हैं, मैं चाहता था कि दोनों हाजिर रहें। एक बात तो मैं यह चाहता हूं कि ये जो सोकाल्ड फौलोवर जय प्रकाश बाबू के हैं और जो अन्दरूनी ढंग से उनको फिजिकली नुक्सान पहुंचा कर सरकार के गले डालना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी के गले डालना चाहते हैं, इसकी सैन्ट्रल गवर्नमैंट पूरी तफतीश करे कि इनका क्या प्रोग्राम है, कया इनके इरादे हैं और ये जिस इन्स्टीच्यूशन की तरफ से लैटर लिखा गया है, यूनियन होम मिनिस्टर को और दूसरे कुछ साथियों को इसकी भी मैं केन्द्रीय सरकार ने प्रार्थना करूंगा कि वे इन्क्वायरी करवाएं कि क्या कोई

ईस इन्स्टीच्यूशन है या नहीं? और फिर एक चीज मैं भारत सरकार से यह भी चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण को परमानैंट सिक्योंरिटी दें, उसकी जान की हिफाजत के लिए ताकि ये अपोजीशन के लोग, यहां अपोजीशन की लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, वैस्टिड इन्ट्रैस्ट के लोग जो हैं, उनके शरीर को कोई नुक्सान न पहुंचा सकें। मैं इस प्रान्त का मुख्यमंत्री होने के नाते यह बात आपके जरिए सदन में साफा कर देना चाहता हूं कि जब जयप्रकाश बाबू हरियाणा प्रान्त में आएंगे उस समय पूरी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी होगी कि उनके शरीर को कोई आंच न आए, सही सलामत आएं और सही सलामत यहां से लौट कर जाएं। (तालियां) जो वैस्टिड इन्ट्रैस्ट के लोगों के नापाक इरादे हैं कि वे हरियाणा प्रान्त में आएं और उनके शरीर को नुक्सान पहुंचाएं, मैं उनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके बाद स्पीकर साहब, यह चौ. चान्द राम, चौ. हरद्वारी लाल जो इस सदन के मैम्बर हैं, चाहिए तो उनको यह था कि बैठ कर आराम से यहां जवाब देते, हल्लागुल्ला करके जान की बात उनकी समझ में आई, उन्होंने यह स्टेटमैंट दे दिया। कोई जिममेवारी नहीं। अगर इनके पास कोई सबूत था कि मेरी ऐसी कोई साजिश है जयप्रकाश बाबू के खिलाफ है या वैस्टिड इन्ट्रैस्ट के जो लोग मेरे खिलाफ यह प्रचार करते हैं, वो समझते हैं कि मेरी ऐसी कोई साजिश है, तो मैं कोई कानून से इम्यून्ड आदमी नहीं हूं, मेरे खिलाफ केस अदालत में ले जाया जा सकता है। ये ब्लैक–मेल क्यों करें, अगर इसके पास कोई सबूत है तो मेरे खिलाफ अदालत

में जाएं। फिर स्पीकर साहब, एक बात और इन लोगों ने कही, इन्होंने कहा –

"According to these three leaders, the Ruling Party in Haryana had been un-nerved by the growing popularity of the BKD in the State and it was obvious from its reluctance to face the electorate in the Rori Assembly Constituency which fell vacant as far back as November last."

अब यह बी.के.डी. पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रान्त में अन–नर्वड हो गई। बी.के.डी. की शक्ति भी देख ली, जनसंघ की शक्ति देख ली, कांग्रेस (ओ) की भी शक्ति देख ली। स्पीकर साहब, आज ही राज्य सभी की दो सीटों का चुनाव हुआ है, इस सदन में से हंडर्ड परसैंट वोटिंग हुआ है और आ वोट इनके कैंडीडेट को ज्वांयट पार्टी जो इनकी थी, उनको मिले। तो हम इनसे कितने अन–नर्वड हो सकते हैं, यह सोचने की बात है और कौन–सी बी.के.डी. पार्टी से? मैंने चौ. दल सिंह से आज लौबी में कहा था कि चौ. साहब आप बैठना, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा और कुछ कहूंगा। उन्होंने मुझसे वायदा भी किया था मैं बैठूंगा, लेकिन अब वो चले गए। बल्कि सवेरे मैं पांच मिनट उनकी इन्तजार करता रहा यह कहने के लिए कि उनको सदन में मेरी इस स्टेटमैंट के वक्त रोकूं लेकिन वो चले गये। अब पिछली बार 26 तारीख को, जबक हमने यहां मीट किया, उससे पहले जब हमने मीट किया तो इन्होंने कहा कि हम बी.के.डी. के मैम्बर हैं और फिर 26 तारीख को यहां आते ही सदन बैठते ही मैंने चौ.

दल सिंह से इसी सदन में पूछा कि चौ. दल सिंह जी, आज आप कौन–सी पार्टी के मैम्बर है? चौ. दल सिंह ने कहा कि मैं आज भारतीय लोक दल का मैम्बर हूं। अब आज चो. चरण सिंह जी का स्टेटमैंट आ गया कि अभी हम भारतीय लोक दल नहीं हैं अभी हम भारतीय क्रान्ति दल ही रखना चाहते है। तो भारतीय लोक दल तो भारतीय लुप्त दल बन गया, वो तो लुप्त हो गया, वो तो कही रहा नहीं। जो पार्टी अपने आप ही लिक्विडेशन में जा रही है, उस पार्टी से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी या हरियाणा की कांग्रेस या हरियाणा की सरकार अननर्वड हो गई और फिर इन हालात में कि इनके पास सबसे बड़ा लिक्विडेटर है हरद्वारी लाल। अगर इस पार्टी के थोड़े चांसिज फलने फूलने के होते भी तो एक ऐसा शरीफ आदमी इन्होंने ले लिया जिसके जहां पांव ठिक जाए, अगर हिमालय पर्वत के पत्थर पर पांव रख जाए तो वह भी साफ हो जाए। तो यह तो बी.के.डी. है, यहतो रहेगी ही कहां? इसका सवाल ही क्या हैं रहने का? वो अकेला हरद्वारी लाल ही लिक्विडेटर नहीं है। वहां, वो तो मास्अर–पीस लिक्विडेटर है, उसके नीचे तो ओर दो छोटे लिक्विडेटर है चौ. चांद राम और चो. देवी लाल। ये कितनी पार्टीयों में रह चुके, कितनी पार्टी बना चुके, जहां के तीनों आदमी हें फिर हमको खतरा क्या है? चो. दल सिंह, महन्त श्रयोनाथ ये चाहते हैं इनसे पीदा छुडवाना और मुझे कई बार रिक्वैस्ट भी करते हैं कि हमारा पीछा छुडवा दो लेकिन मैं लिक्विडेटरों को अपपने पास लेकर क्या करूं, ये कांग्रेस पार्टी का लिक्विडेट कर दें। और हरद्वारी लाल तो लिक्विडेटर

मास्टर–पीस लिक्विडेटर है। वो तो जहां गया वहीं साफ किया, जिस किसी के यहां पहुंचा वहीं साफ किया। अपने घर से चला था जिस किसी के घर मं पांव टिक गया वहीं तक पटड़ा साफ। ये कहते हैं कि उस बी.के.डी. पार्टी से हरियाणा कांग्रेस, हरियाणा सरकार या कांग्रेस पार्टी अननर्वड हो गई, इसकी बढ़ती हुई पापुलैरिटी से, और रोड़ी कांस्टीच्यूएंसी का जिक्र किया स्पीकर साहब, अब रोड़ी कांस्टीच्युएंसी की आपको बात बता दूं। चौ. देवी लाल जी को इन्होंने कैडीडेट बनाया। चो. देवी लाल तो पिछले इलैक्शनों में दो जगह से हारा और इसी रोड़ी कांस्टीच्युएंसी में चौ. देवी लाल का बड़ा भाठ साहब रा 10–11 हजार वोट से हारा। तो उस कांस्टीच्युऐंसी में यह कहते हैं कि हम अन–नर्व हो गये। अब स्पीकर साहब, एक बात हमारे यह अपोजीशन के भाई, बी.के.डी. वाले खासतौर से, जनसंघ वाले, हरियाणा में जुल्म की बात करते हैं कि पुलिए का जुल्म हैं तो यह तो बात करते हैं पुलिस के जुल्म की और मैं इनसे यह पूछु कि इन्होंने लखनऊ विधान सभा में हरिजन मैम्बर को पीट दिया खुल्लमखुल्ला, मारने की धमकी दे दी। उस जुल्म की चर्चा तो ये नहीं करते। उस जुल्म के बारे इनकी क्य राय है और यह बहुत कुछ हमारे बारे में कहते हैं? कभी कुछ कह देते है, कभी कुछ कह देते हैं कांग्रेस के बारे, कभी मेरे बारे। तो मैं तेा इन भाइयों को एक बााम याद दिलाना चाहूगा कि भुटटो साहब पिछले दिनों जब बहुत ज्याद भौंकते गये तो बली खां ने उनको एक जवाब दिया। बली खां ने भुट्टाो साहब ने यह कहाः

"If you stop telling lies about us we shall stop telling truth about you.

तो अगर यह हमारे खिलाफ झूठी बातें कहने से रह जायें तो हम तो इनकी सच्ची बातें बतानी बन्द कर दें, वही बहुत है। जब प्रकाश बाबू वाले मामले में मैं अपनी पोजीशन, अपनी सरकार की पोजीशन, अपनी पार्टी की पोजीशन साफ करता हूं कि वह चाहे कुछ ही अपना ऐजीटेशन करें, कुछ करें, उसको कानूनी ढंग से डील कर सकते हैं लेकिन जहां तक उनके शरीर का ताल्लुक है, जहां तक उनकी जात का ताल्लुक है, मैं वैस्टिड इंट्रैस्ट के लोगों की जितने दिन तक जय प्रकाश नारायण हरियाणा प्रान्त में रहैंगे, इनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। यह मैं आपके जरिये आश्वासन दिलाता हूं हर आदमी को जो इस बात से ताल्लुक रखता है। स्पीकर साहब, यह लोग जात–पात का आजकल बड़ा नारा लगाते हैं। कभी किसी राजपूतों के ख्यालात उभार लो, कभी किसी दूसरी जाति के ख्यालात उभार लो, अब चौ. चांद राम जी को मुश्किल हो रही है कांस्टीच्यूएंसी में जाने की। आज से 4–5 दिन पहले रात को, हां–शायद तीसरा–चौथा दिन है, सोनीपत में 15–20 हरिजन चौ. चांद राम के पास आये कि इन जाटों से ही तो हमको डर लगता था, इनकी ही शरण में आप क्यों चले गये, आप तो हमको पिटवायेंगे। इसने दो चार छः गालियां मुझको दी और यह कहा मैं क्या करूं, यह बैठा है, मुझे घुसने भी देता हो? लेकिन हमारा तो किसी लिक्विडेटर को लेने का इरादा ही कोई नहीं। स्पीकर साहब, मैंने

एक रोज एक सप्लीमैंट्री क्वैश्चन के जवाब में कहा थ। बैटरमैंट–लेवी की बात चौ. दल सिंह जी ने या किसी साथी ने कही थी। मैं इस बारे में एक बात आपके जरिये सदन को कहना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में तरक्की के काम बहुत तेजी के साथ हुए हैं और तरक्की करने में हमने किसी के साथ कोई डिस्क्रिमीनेशन नहीं की। बिजली लगायी तो हर गांव में, सड़क बनायी तो हर कास्टीच्यूऐंसी में, दूसरे तरक्की के काम किये तो हर कास्टीच्यूऐंसी में। हमने किसी की कास्टीच्यूऐंसी को इग्नोर करने की कोशिश नहीं की। अब यह तो कहते हैं कि बैटरमैंट–लैवी हटाओ। बैटरमैंट–लैवी का तो हम हिसाब कर रहे हैं कि कितने अर्से तक रहनी चाहिये, कितने अर्से के बाद हट जानी चाहिये। लेकिन पहले, पिछले कुछ सालों के केन्द्रीय सरकार हमें कुछ आर्डिनरी सहायता से ज्यादा सहायता देकर हमसे डिवैल्पमैंअ का काम उन्होंने करवाया, हमने किया हमको उनसे पैसा मिला। लेकिन अब उनके सामने भी कुछ फाइनैशियल डिफिकल्टीज हैं और हिन्दुस्तान की हर स्टेट सरकार के सामने भी हैं। अब स्पीकर साहब इसमें हमारे सामने दो चीजें तो ये हैं कि एक तो हम बिजली का टैरिफ बढ़ा दैं और दूसरी चीज यह है कि हम वाटर रेट बढ़ा दें। अब वाटर रेट के बारे में यह भी जानता हूं कि मैंने ये दो बातें कहीं हैं। जो मेरे भाई अभी सदन से उठ कर चले गये वे बावेला मचायेंगे कि देहातियों पर टैक्स लगाया जा रहा है। मैं अपोजीशन के भी, कांग्रेस के भी जो सदस्य, जो सुझाव देना चाहें अरबन आदमी, अरबनाईटस पर क्या टैक्स लग

सकता है देहातियों पर क्या लग सकता है, वही रास्ता सुझायें लेनिक बगैर कोई भी नये रिसोर्सिज के मोबलाईज के तरक्की का काम तो हम पूरे तौर से चालू नहीं रख सकेंगें। आज हमारे लिये थर्मल प्लान्ट लगाने भी जरूरी है हाइड्रल–पावर–प्रोजैक्ट लगाने भी जरूरी हैं। ब्यास–रावी का पानी लाने के किये कैरियर बनाना भी जरूरी है और पंडित जवाहर लाल नेहरू कैनाल बनानी भी जरूरी है। इन चीजों में से हम किसी चीज को बाकी नहीं छोड़ सकते। यह सब काम हमको करने पड़ेंगे। पीछे हमने जो टैक्सिज लगाये वे टैक्सिज हमारे ज्यों के त्यों इन्टैरिम रिलीफ एडहोक रिलीफ वह सब सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह के तौर पर चले गये। पंडित जवाहर लाल नेहरू कैनाल जिसका काम हमको आज से बहुत दिन पहले चालू कर देना चाहिये था, हम अभी तक उसको शुरू नहीं कर पाये। अब वाटर–रेटस के बारे में मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि हरियाणा प्रान्त में यह एक रिपोर्ट है। इस में लिखा है:–

"Water Rates for principal crops under irrigation Canal System in various States in India-Water rates in rupees per Hectare" हरियाणा प्रान्त में चावल के ऊपर 24 रूपये हैक्टेयर, काटन के ऊपर 16 रूपये 80 पैसे, व्हीट के ऊपर 6 रूनये 75 पैसे से 14 रूपये 40 पैसे तक, ज्वार बाजरा मकइ पर 9 रूपये 20 पैसे से 15 रूपये 60 पैसे तक है। शुगरकेन के ऊपर 35 रूपये 20 पैसे से 40 रूपये 50 पैसे तक ओर बाग–बगीचों पर 7 रूपये 35 पेसे से 20 रूपये 40 पैसे तक। स्पीकर साहब, इसके मुकाबले बिहार में

चावल के ऊपर 19 रूपये 95 पेसे से 39 रूपये 90 पैसे तक है, गेहूं के ऊपर 17 रूपये 30 पैसे से 29 रूपये 60 पैसे तक है, ज्वार बाजरा और मकई के ऊपर 12 रूपये 30 पैसे से 22 रूपये 20 पैसे तक है और शुगरकेन के ऊपर 43 रूपये 20 पेसे से लजेकर 69 रूपए तक है। और इसी तरह गुजरात में हैं 59 रूपये 30 पैसे से 81 रूपये 60 पैसे राईस पर, काटन पर 91 रूपए 40 पैसे जबकि हमारे यहां 16 रूपए 80 पैसे और वहीट के ऊपर 59 रूपये 30 पैसे से 81 रूपये 60 पैसे, ज्वार बाजरा और मकई के ऊपर 9 रूपये 90 पैसे से 22 रूपए 20 पैसे और शुगरकेन के ऊपर 470 रूपये जबकि हमारे यहं है 35 रूपए 20 पैसे से 40 रूपये 50 पैसे ओर बाग–बगीचों का वहां पर है 59 रूपये 30 पैसे जबकि हमारे यहां 7 रूपये 35 पैसे से 20 रूपये 40 पैसे। महाराश्ट्र में स्पीकर साहब चावल के ऊपर है 22 रूप्ये 20 पस से 37 रूपये का काटन के ऊपर है 91 रूपयें 30 पैसे जो हमारे यहां 16 रूपये 80 पसे है। और गेहूं पर वहां है 22 रूपये 20 पैसे हमारे यहां है 6 रूपये 75 पैसे से 14 रूपये 40 पैसे तक और ज्वार बाजरा और मकई पर महाराश्ट्र में 14 रूपये 80 पैसे। शुगरकेन पर स्पीकर साहब महाराश्ट्र में हैं 296 रूपये से 444 रूप्ये तक जबकि हरियाणा प्रान्त में है 35 रूपये 20 पैसे से 40 रूप्ये 50 पैसे तक और बाग–बगीचों पर महाराश्ट्र में है 197 रूपये 50 पैसे से 296 रूपये तक और बाग–बगीचों पर है हमारे यहां 7 रूप्ये 35 पैसे से 20 रूपये 40 पेसे तक। तो करीब–बरीब हर प्रान्त में हमसे ज्यादा वाटर रेट हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम कल ही कोई वाटर रेट लगाने जा रहे

हैं लेकिन मैं सदन के सामने एक चीज रखता हूं अपोजीशन के सामने ट्रेजरी बैंचिज के सामने इंडीपैंडैंट भाइयों के सामने ओर जो लोग इस सदन से बाहर हों और इस सब्जैक्ट का अच्छी तरह समझते हों उन सब भाइयों के सामने जो हरियाणा प्रान्ता का कोई आदमी इस चीज को अच्छी तरह समझता हो वह मुझे किसी किस्म का कोई सुझाव किसी सैक्टर में टैक्स लगाने का दे, उस पर पूरे तौर से विचार किया जायेगा। पूरा विचार करने के बाद कोई भी नया टैक्स लगाया जायेगा लेकिन नये टैक्सों का लगाया जाना निहायत जरूरी है क्योंकि नये टैक्स लगाये बगैर हम अपनी तरक्की के काम चालू नहीं रख सकते। नये काम शुरू नहीं कर सकते बल्कि मौजूदा काम भी हम पूरे तौर से चालू नहीं रख सकते। इस तरह से मैं यह समझता हूं कि यह दो तो मैंने इंसटांसिज दे दीं बिजली की या पानी की लेकिन दूसरा जो भी किसी किस्म का रेट देहाती भाइयों पर या शहरी भाइयों के ऊपर किसी के ऊपर भी लगाने का किसी भाई की भी समझ में आये उसका सुझाव दें मैं यह नहीं कहता कि यह देहातियों पर ही लगे, शहरियों पर लगाने की बात है तो शहरियों पर लगाने की बात का मुझे सुझाव दें। जो जिस किसी भी व्यक्ति से, जिस किसी भी पार्टी से, जिस किसी भी इंडीविजुअल से ये अडीशनल रिसोर्सिज की मोबेलाइजेशन के बारे में सुझाव सरकार के पास आयेगा उसके ऊपर पूरा गौर किया जायेगा। उसके बाद हम नए टैक्स लगायेंगे। आपके जरिए मैं पूरे सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि जो सुझाव

इंडिविजुअली पार्टी के तौर पर ग्रुप के तौर पर देना चाहते हैं वह दें। शुक्रियां

***17.51 बजे**

Mr. Speaker: The house stands adjourned sine-die.

(The Sabha then*adjourned sine-die)

हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही खण्ड 2 अंक 9 दिनांक 29. 7.74

सरकार से देर से प्राप्त दिनांक 8.7.74 के अतारांकित प्रश्न का उत्तर

Irrigation of Land by Canals and Tubewells

302. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Revenue be pleased to state:

(a) the district-wise area of land being irrigated by canals and Government Tubewells, separately, in the state at present,

(b) the district-wise area of land being irrigated by private tubewells in the State at present;

(c) the district-wise acreage of BARANI land in the State; and

(d) the time by which the canal water is expected to be supplied to the said BARANI LAND district-wise?

Irrigation and Power Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): (a) The district-wise area of land irrigated by canals during the year 1973-74 is as under :-

Sr. No.	District	Area irrigated by canals (in hectares)
1	Ambala	7774

2	Karnal	109139
3	Hissar	697059
4	Jind	284034
5	Bhiwani	118129
6	Sonepat	100951
7	Kurukshetra	11603
8	Rohtak	166172
9	Gurgaon	55145
	Total	1654434

(a) The district-wise area irrigated by Govt. tubewells during the year 1973-74 is as under :-

Sr. No.	District	Area irrigated by Govt. tubewells (in hectares)
1	Ambala	44000
2	Karnal	19000
3	Hissar	2000
4	Jind	4000
5	Bhiwani	1000

6	Sonepat	4000
7	Kurukshetra	39000
8	Rohtak	1000
9	Gurgaon	5000
10	Mohindergarh	7000
	Total	126000

(b) The district-wise area irrigated by private tubewells during the year 1973-74 is as under :-

Sr. No.	District	Area irrigated by private tubewells (in hectares)
1	Ambala	92000
2	Karnal	215000
3	Hissar	95000
4	Jind	53000
5	Bhiwani	28000
6	Sonepat	58000
7	Kurukshetra	225000
8	Rohtak	54000

9	Gurgaon	169000
10	Mohindergarh	101000
	Total	1090000

(c) The district-wise area of Barani land in the State during the year 1973-74 is as under :-

Sr. No.	District	Barani area (provisional) (in hectares)
1	Ambala	203000
2	Karnal	102000
3	Hissar	465000
4	Jind	164000
5	Bhiwani	392000
6	Sonepat	97000
7	Kurukshetra	83000
8	Rohtak	202000
9	Gurgaon	258000
10	Mohindergarh	212000
	Total	217800

(d) The time by which the canal water is expected to be supplied to the said Barani land district-wise cannot be indicated because the definite time by which share of Haryana from Ravi-Beas and Kishau Storage etc, would become available for utilisation, is yet not known.